खण्ड-121, अंक-4
गुरूवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(19 मार्च, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 121 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १९ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५७)

अक्षयवर्रासिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अब्दुल रऊफ़ ख़ां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन मिश्र, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री

देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री

रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री

घुरूजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवन्तीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

उद्योग मंत्री श्री हुकुमसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[१० अप्रैल, १९५३ के लिये संख्या ५०-५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

उत्तर प्रदेश के सरकारी छापाखानों के कर्मचारियों का भत्ता तथा अन्य सुविधायें

*३--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के सरकारी छापाखानों में विभिन्न श्रेणी के मजदूरों व कर्मचारियों को क्या-क्या भत्ता तथा अन्य सुविधायें मिलती हैं ?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री)--उत्तर प्रदेश के सरकारी छापाखानों में विभिन्न श्रेणी के मजदूरों व कर्मचारियों को निम्न भत्ता तथा अन्य सुविधायें मिलती हैं--

(१) उद्योगिक कर्मचारियों (Industrial workers) को नियत समय से अधिक काम करने पर नियमानुसार भत्ता।

(२) सब कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता।

(३) कुछ कर्मचारियों को रहन सहन व्यय (City Compensatory allowance) ।

(४) गृह किराया केवल कम्पाउण्डर को।

(५) यात्रिक भत्ता (Travelling allowance) ।

(६) ठेके के कर्मचारीवर्ग (Task workers) को नियत समय में नियत से अधिक कार्य करने के लिये बोनस।

(७) वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट के अनुसार घायल व मरे हुये प्रेस कर्मचारियों को मुआविजा।

(८) कार्य काल में कर्मचारियों के निधन पर उनकी स्त्रियों को दयामूलकसेवोपहार (Compassionate gratuity) ।

(९) कर्मचारी व उन पर निर्भर रहने वालों को राजकीय औषधालयों में चिकित्सा करने में जो कर्मचारियों का व्यय होता है उसे सरकार की ओर से पूरा किया जाता है।

(१०) गृह निर्माण व क्रय व सवारी क्रय के लिये ऋण (House building and conveyance advance) ।

(११) प्राविडेण्ट फण्डों से ऋण।

(१२) सब कर्मचारियों को छुट्टियां जैसे और राजकीय कार्यालयों में मिलती हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि यह सिटी कम्पेनसेटरी एलाउन्स कहां और कितना कर्मचारियों को दिया जाता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—३५ रुपये से कम तनख्वाह पाने वालों को यह दिया जाता है। इलाहाबाद और लखनऊ में दो रुपया प्रतिमास और रुड़की में १ रुपया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि समय से अधिक काम करने पर नियमों के अनुसार कितना भत्ता दिया जाता है ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—नियम के अनुसार जो नियम में लिखा है वह दिया जाता है।

वन विभाग को जड़ी बूटियों से आमदनी

*४—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वन विभाग को जड़ी बूटियों (Medicinal plants and herbs) से कितनी आमदनी है और क्या-क्या जड़ी बूटियां उगाई जाती हैं ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—आमदनी की सूचना अभी एकत्रित की जा रही है। जड़ी बूटियां जो जंगलों में उगती हैं, उनकी संख्या इतनी अधिक है कि उनका विवरण देना सम्भव नहीं है। बहुत से पौधे, जो औषधि के काम में आ सकते हैं, उनके विषय में पर्याप्त सूचना भी नहीं है। जहां तक विशेषरूप से उगाये जाने का प्रश्न है पिछले साल गढ़वाल के भूमा स्थान पर इफिड्रा और आर्टीमीसिया (Ephedra and Artemesia) के पौधे प्रयोगात्मक रूप से लगाने का काम शुरू किया गया है ।

*५—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—इन जड़ी बूटियों की वृद्धि के लिये सरकार क्या कोई उपाय सोच रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सरकार ने एक योजना औषधियों में काम आने वाले पौधों के उगाने पर अनुसंधान करने के लिये चालू की है। वन औषधियों की खोज में उनकी वृद्धि में इस योजना के कर्मचारी अत्यन्त प्रयत्नशील हैं और अभी तक एक हजार जड़ी बूटियां एकत्रित कर के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ, में लगा दी गयी है। ऊंचाई के स्थान पर पाई जाने वाली औषधियों की वृद्धि के लिये भी कार्यवाही की जा रही है और द्रोणगिरि पर २० एकड़ भूमि वन औषधियों के अन्वेषण व प्रसरण के लिये ली जा चुकी है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि कुठ, बेलेडोना, धूप, पैरीथ्रम, रसौंद सुरन्जा, कौड़, गुलबनप्सा, सेन्टोनीन (सेसकी) दालचीनी, एशियाटिका अरेबिका, कत्था, सैफरन वग़ैरः में से कौन-कौन चीजें हमारे प्रान्त में उगाई जा रही हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—लगभग सभी चीजें।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार मेडीसिनल प्लाण्ट्स और हर्ब्स और फारेस्ट्स माइनर प्रोड्यूस के लिये वन विभाग के अन्तर्गत कोई अलग डिपार्टमेंट बनायेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस के लिये एक अलग हेड हमारे बजट के अन्दर होता ही है।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जंगल विभाग ने जड़ी बूटियों से अष्टवर्ग प्राप्त करने की कोशिश की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो आयुर्वेद का विशेष कार्य है मगर जितनी औषधियां उसमें पड़ती हैं उनमें से पता चला है कि बहुत सी वन विभाग द्वारा वहां ढूंढी गई हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी ने जड़ी बूटियों की वृद्धि के लिये योजना बनाते समय बोर्ड आफ इंडियन मेडिसन से भी कोई सलाह ली है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसमें उनकी सलाह लेने की ऐसी आवश्यकता तो नहीं है लेकिन जो जड़ियां निकलती हैं उनके एक्सपेरीमेंट के लिये वहां ड्रगरिसर्च इंस्टीट्यूट में भेजी जाती हैं और रानीखेत में भी एक ऐसी संस्था है वहां भेजी जाती हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हिमालय के अतिरिक्त विन्ध्यक्षेत्र में भी खास तौर पर मिर्जापुर जिले में भी बहुत सी औषधियां होती हैं उनका भी सरकार अनुसन्धान करायेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हर जगह जंगलों की जड़ी बूटियों का नीलाम होता है और ठेकेदार लोग रायलटी बेसिस पर निकालते हैं। अगर वहां भी ऐसी औषधियां होंगी तो वहां पर भी यह कार्य किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या जड़ी बूटी इंस्टीट्यूट रानीखेत में जड़ी बूटी वृद्धि के लिये सरकार ने कोई काम किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वह तो मैंने पहले ही कह दिया कि जो जड़ियां मिलती हैं वे वहां भी भेजी जाती हैं कि यह जड़ी किस चीज के लिये लाभकारी है और वह अपनी खोज का काम करता ही रहता है।

गाजीपुर पी० आर० डी० के क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं द्वारा मच्छरों के मारने पर व्यय

*६—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—क्या यह सही है कि गाजीपुर पी० आर० डी० के क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता (जोन वर्कर) गत ४ अगस्त, १९५२ को अग्रगामी विकास क्षेत्र में मच्छरों को मारने के लिये भेजे गये और वहां सामान के अभाव में लगभग दो सतपह तक बेकार रहने के बाद वापस चले आये ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—जी नहीं।

श्री शिवपूजन राय—तो क्या सरकार को पता है कि वहां पर कार्यकर्ता भेजे गये ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि गाजीपुर में विकास योजना के अन्तर्गत मच्छरों को मारने के लिये दवाई भेजी गई थी ?

श्री फूलसिंह—जी हां।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जो बतला सकते हैं कि अग्रगामी विकास योजना केन्द्र पर कितनी दवाई मच्छर मारने के लिये दी गयी थी ?

श्री फूलसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

*७—श्री शिवपूजन राय—क्या यह सही है कि उन लोगो को सामान आने की सूचना दुबारा १५ नवम्बर, १६५२ को दी गयी जब कि मच्छरों का मौसम खत्म हो चला था ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं ।

*८—श्री शिवपूजन राय—इन कार्यकर्त्ताओं के आने जाने में कुल कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री फूलसिंह—सवाल ही नहीं उठता ।

गन्ना समितियों द्वारा ईख उत्पादकों की गाड़ी से कटौती

*६—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गन्ना समितियों द्वारा ईख उत्पादकों के प्रति गाड़ी से कटौती की जाती है ? यदि हां, तो कितनी ? वह एकत्रित धन किस प्रकार की संस्थाओं में खर्च किया जाता है और खर्च करने का अधिकार किसको है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां, केवल उन्हीं क्षेत्रों में जहां कि गन्ना समितियां विशेष निश्चय करती हैं ईख उत्पादकों की गाड़ी से कटौती की जाती है । कटौती की दर एक आना से चार आना प्रति गाड़ी या एक पैसा से दो पैसा प्रति मन होती है । कटौती का एकत्रित धन सड़क, पुल, पुलियां निर्माण करवाने तथा दवाखाने, शिक्षालय आदि स्थापित करने और चलाने में खर्च किया जाता है । उक्त धन के खर्च करने का अधिकार गन्ना समिति के संचालक मंडल को है ।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस पैसे का कुछ उचित उपयोग हो सके इसके लिये कोई नियम सरकार बनायेगी ?

श्री हुकुमसिंह—नये नियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है उसका अच्छा उपयोग किया जा रहा है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कटौती गन्ना उत्पादकों की राय से काटी जाती है ?

श्री हुकुमसिंह—सम्भवतः ऐसे ही किया जाता है ।

श्री गँदासिंह (जिला देवरिया)—क्या मानीय उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां पर अधिकारियों की ओर से इस कटौती में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है सरकार उसको दूर करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री हुकुमसिंह—कोई कठिनाई अभी सामने नहीं आयी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जितना पैसा किसानों का प्रतिमन काटा जाता है क्या उतना ही गवर्नमेंट या मिलें उनके लिये कंट्रीब्यूट करती हैं ?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

अनुशासिक कार्यवाही तथा जांच समिति की सिफारिश

*१०--श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोई अनुशासिक कार्यवाही तथा जांच समिति बनायी गई है ? यदि हां, तो यह समिति अपना कार्य कब तक समपन्न कर देगी और अब तक इसने क्या-क्या सिफारिशें की हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दबल्लभ पन्त)--जी हां, एक अनुशासन कार्यवाही जांच समिति बनाई गयी है। समिति ने अपने कार्य का पूर्व भाग समाप्त कर दिया है और उसके रिपोर्ट का प्रथम भाग तथा कुछ सिफारिशों पर शासकीय आज्ञायें उत्तर प्रदेश गजट के ७ फरवरी, १९५३ वाले अंक में प्रकाशित हो चुकी हैं। कुछ अन्य सिफारिशों पर विभागीय आदेश अलग से जारी कर दिये गये हैं। जो इसके साथ संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०७-३२९ पर)

*११--श्री श्रीचन्द--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय कर्मचारियों में कार्यकुशलता तथा ईमानदारी लाने के लिये कोई अधिनियम शीघ्र ही सदन के सामने आने वाला है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--समिति ने राज्य-कर्मचारियों की कार्य-क्षमता और ईमानदारी में आवश्यक सुधार करने के प्रश्न पर भी विचार किया है और वह कई ऐसे पहलुओं पर अपनी सिफारिशें कर चुकी है और उनके आधार पर आदेश भी जारी किये गये हैं। समिति अब भी अन्य पहलुओं पर विचार कर रही है। यह निश्चय पूर्वक कहना कठिन है कि समिति का कार्य कब तक समाप्त हो सकेगा।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोई आदेश न्यायालयों को ऐसा दिया गया है कि वह निर्धारित समय के अन्दर मुकदमों का निर्णय कर दें ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--जी हां, जो न्यायालय हमारे अधीन हैं उनको दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का क्या स्थान इस परपोर्ट में रखा गया है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जैसा काम अब तक करती आई है वैसे ही करती रहेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार ३१ मार्च के टेम्परेरी सरवेंट्स के आदेश को भी अनुशासक कार्यवाही मानती है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--उसको एक जरूरी कार्यवाही मानती है।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि जो संलग्न रिपोर्ट अंग्रेजी में है वह हिन्दी में भी भेजी गई या नहीं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--अगर हिन्दी में नहीं भेजी गई होगी तो भेज दी जायगी।

*१२--श्री रामभजन शर्मा (जिला खीरी)--[१६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*१३—श्री रामप्रसादसिंह (जिला गोरखपुर)—[१६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१४-१५—श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—[१६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१६-१८—श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—[सदस्य महोदय की प्रार्थना पर. अतारांकित प्रश्न संख्या ४—६ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

हरे पेड़ों के काटने की मनाही

*१९—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में हरे पेड़ों को काटने से रोका गया है उन जिलों की पंचायतों या सूचना अधिकारियों द्वारा गांव की जनता को किसी तरह की नोटिस दी गयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उत्तर प्रदेश निजी बन संरक्षण ऐक्ट के अन्तर्गत कुछ निर्दिष्ट किस्मों के पेड़ों का काटना रोका गया था । सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह आदेश गजट में एक विज्ञप्ति में प्रकाशित किया गया था । कोई सूचना विशेष रूप से जिलों की पंचायतों या गांव की जनता को नहीं दी गई थी।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय महोदय बतलायेंगे कि सरकारी गजट की कापी गांव पंचायत के प्रधानों को भी भेज दी गई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—नहीं, वह तो बड़े-बड़े दफ्तरों में ही जाती है इस बारे में पुराने ही नियम हैं और नये नहीं बनाये गये हैं।

चीनी मिलों के मजदूरों के शेष वेतन के संबन्ध में मुकदमे

*२०—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन चीनी मिलों के मालिकों और मैनेजरों पर शूगर फैक्ट्री कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत ईख का दाम न देने तथा मजदूरों के वेतन बाकी रखने के अपराध में १९५१-५२ वित्तीय वर्ष में मुकदमें चलाये गये तथा उन्हें सजा दिलायी गयी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—१९५१-५२ वित्तीय वर्ष में ईख के दाम न देने के अपराध में प्रदेश की किसी भी चीनी मिल पर मुकदमा नहीं चलाया गया । मजदूरों के वेतन बाकी रख देने के अपराध में कठकुइयां, गोलागोकर्णनाथ, खड्डा व पडरौना मिलों पर (Payment of Wages Act, 1936) के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा रहा है ।

*२१—श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि १९५१-५२ के सीजन के ईख की कर की रकम ३ करोड़ ९० लाख की बाकी पड़ी है ? यदि नहीं, तो प्रदेश के किस चीनी मिल से कितनी रकम अब तक वसूल हुई है और जिन्होंने बाकी रखा है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी या की जा रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी नहीं, १९५१-५२ सीजन के ईख के कर की रकम २ करोड़ २१ लाख बाकी है । प्रदेश के किन-किन चीनी मिलों ने कितना रुपया अब तक अदा किया है, उसके आंकड़े संलग्न तालिका में दिये गये हैं। शेष रकम शीघ्रातिशीघ्र वसूल करने के लिये जिलाधीशों को उचित आदेश दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३३०-३३१ पर)

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार को पता है कि पडरौना मिल में पिछले साल क साढ़े ५ लाख रुपये और इस साल के १८ लाख रुपये गन्ने के दाम अभी बाकी हैं ?

श्री हुकुमसिंह—नोटिस की जरूरत है।

श्री गेंदासिंह—जिन मिलों पर मुकदमें चलाये गये हैं उनके मालिकों के नाम मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह—नाम इस वक्त तो मेरे पास नहीं हैं, वर्ना बतला देता और बताने में कोई ताम्मुल न करता ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—माननीय उद्योग मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्पादकों का कितना रुपया मिल मालिकों पर बकाया है ?

श्री हुकुमसिंह—कुछ बाकी है वह अदा हो रहा है। एग्जैक्ट तादाद बताना मुश्किल है क्योंकि रोज अदायगी हो रही है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक गन्ने का दाम न देने के कारण मिल मालिकों पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री हुकुमसिंह—मुकदमा चलते ही झगड़े में फंस जाते। नया गन्ना कौन पेलता ? किसानों का नुकसान होता ।

श्री गेंदासिंह—जब मिलें पिछले वर्ष बन्द हो गयी थीं उस समय कितना रुपया गन्ने का बाकी था ?

श्री हुकुमसिंह—कई करोड़ था। लेकिन अब तो बहुत कम बाकी रह गया है।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि पडरौना, कठकुइयां मिलों के संचालक जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है उनको यू० पी० सरकार ने कठकुइयां मिल इस साल दे दी है संचालन करने के लिये ?

श्री हुकुमसिंह—वह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया करती है। मैं तो देता नहीं हूं।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष कितनी रकम मिलों पर बाकी थी, उसमें से कितनी मिली और कितनी बन्द होने के वक्त तक बाकी रह गयी ?

श्री हुकुमसिंह—४ करोड़ ६८ लाख के करीब थी। उसमें से अब २ करोड़ २१ लाख के करीब बाकी है और जो गवर्नमेंट आफ इंडिया से सबको सब्सिडी मिलने वाली है वह १ करोड़ ३२ लाख के करीब है। वह हमारे कंट्रोल में आ गयी है। ८८ लाख के करीब बाकी है। वह भी बहुत जल्द वसूल हो जायगी।

श्री गेंदासिंह—इस रकम को वसूल करने के लिये सरकार ने आज से पहले क्या-क्या कार्यवाहियां कीं ?

श्री हुकुमसिंह—बड़ी-बड़ी कोशिशें कीं मैंने।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि गोकुलनगर मिल, किछा के संबंध में केन कमिश्नर साहब ने जो एवार्ड दिया था उसको मिल मालिकों ने नहीं माना ?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

कानपुर जिले में ताड़ के गुड़ के केन्द्र

*२२—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के जुगराजपुर, मकनपुर, अर्मापुर स्टेट और खेड़ामऊ में सन् १६५२ के जनवरी से लेकर ३१ दिसम्बर, सन् १६५२ तक कितना-कितना ताड़ गुड़, किस-किस केन्द्र में बना ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इन स्थानों में बने हुये ताड़ गुड़ का ब्योरा यों है—

	मन	सेर	छटांक
जुगराजपुर ...	३५	४	८
मकनपुर ...	७७	२०	०
खेड़ामऊ ...	४२	०	०
योग ..	१५४	२४	८

*२३—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन केन्द्रों में कितना रुपया सरकार ने दिया ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—अर्मापुर स्टेट में कोई केन्द्र संगठित नहीं किया गया था। ताड़ छेदन तथा ताड़ गुड़ बनाना सीखने वालों को खाने इत्यादि के लिये लगभग ४१६ रुपया दिया गया। इसके अलावा सरकार का लगभग १,१७८ रुपया और खर्च हुआ।

*२४—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन केन्द्रों में जो गुड़ बना वह कितना था और कितना किस भाव में बिका और कितना गुड़ अभी बिकने को पड़ा है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इन केन्द्रों में जो गुड़ बना उसका ब्योरा प्रश्न संख्या २२ के उत्तर में दिया गया है। इसमें से १०८ मन १४ सेर १० छटांक गुड़ १८ रूपये से लेकर २५ रुपया प्रति मन की दर से बिका। ४६ मन ६ सेर १४ छटांक गुड़ शेष है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अर्मापुर स्टेट में केन्द्र संगठित क्यों नहीं किया गया ?

श्री हुकुमसिंह—चन्द वजूहात से नहीं हो सका।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी उन वजूहात पर प्रकाश डाल सकेंगे जिन वजूहात के कारण नहीं बना सके ?

श्री हुकुमसिंह—जो बुकलेट निकली है। उसमें वजूहात लिखे हुये हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बतलायेगी कि इन ताड़ गुड़ केन्द्रों पर कितने गुड़ कर्मचारी लगाये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है, इस वक्त फीगर्स हैं नहीं।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ताड़ गुड़ की योजनायें स्वावलम्बी हैं या हानि में चल रही हैं ?

श्री हुकुमसिंह—नुकसान तो इसमें ज्यादा होता नहीं ।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—यह बतलाया गया कि लगभग ४१६ रुपया ट्रेनिंग में खर्च हुआ और १,१७८ रुपया.....

श्री अध्यक्ष—जवाब को मत पढ़िये, सवाल कीजिये ।

श्री ब्रजहविहारी मेहरोत्रा—सवाल यह है कि क्या इन कानपुर जिले के केन्द्रों में केवल १२ आदमियों को ट्रेनिंग दी जा सकी ?

श्री हुकुमसिंह—एग्जेक्ट फिगर बताना मेरे लिये असम्भव है ।

कैनाल आयरन फाउण्डरी, रुड़की

*२५—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कैनाल आयरन फाउण्डरी, रुड़की सरकार द्वारा कब ली गयी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी—कैनाल फाउण्डरी, रुड़की डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के उपनियम ७५-अ (२) के अन्तर्गत प्रांतीय सरकार द्वारा २३ अप्रैल, १९४३ को ली गई।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कम्पेंसेशन के डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के अन्तर्गत आर्बिट्रेशन के अण्डर में जाने से पहले इसका मुआविजा कितना तय किया गया था ?

श्री हुकुमसिंह—लगभग १२ लाख का आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दिया है, जिसके खिलाफ अपील दायर की गयी है।

श्री भगवान सहाय—मैंने यह सवाल पूछा था कि जैसा कि आन्सर टू है, इसके पहले कोई मुआविजा तय किया गया था या नहीं और किया गया था, तो कितना ?

श्री हुकुमसिंह—४ लाख के लगभग था जिसको कलेक्टर ने आफर किया था ।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या इस कम्पेंसेशन एमाउण्ट के ऊपर कुछ सरकार ने सूद भी देने का निश्चय किया है और यदि किया तो कितना ?

श्री हुकुमसिंह—सरकार ने नहीं निश्चय किया। आर्बिट्रेटर ने किया है और उसके खिलाफ अपील दायर हुई है । जहां पर उनकी शरह अलग-अलग है वहां अलग-अलग शरह पर दी जाती है। सब जगह एक समान नहीं है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २७ मार्च, सन् ४५ को जब इस फैक्टरी को कम्पेंसेशन डी० आई० आर० के अंडर देने का निश्चय किया गया तो फिर १४ अप्रैल, सन् १९४८ को इसका मुआविजा क्यों दिया गया ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी—पहले सन् ४३ में ऑफर हुआ। उन्होंने लिया नहीं। फिर एक आर्बीट्रेर मुकर्रर हुआ। फिर दूसरा हुआ। उसका ट्रांसफर हो गया फिर तीसरा हुआ। इसी वजह से देर होती रही।

*२६—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसका मुआविजा कब दिया गया ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—सरकार ने यू० पी० डिफेंस आफ इंडिया (कम्पेन्सेशन ऐंड आरबीट्रेशन) रूल्स, १९४३ के नियम ४ के अन्तर्गत इसका मुआविजा निश्चित करके २७ मार्च, १९४५ को इसके मालिकों को देने का प्रस्ताव किया और उस मुआविजे में से ४ लाख रुपया १४ अप्रैल, १९४८ को मालिकों के हिसाब में कलेक्टर के पास जमा करा दिया गया।

*२७—श्री भगवान सहाय—क्या यह बात सही है कि District Judge, Agra जो इस मसले पर Arbitrator बनाये गये थे उन्होंने अपने Arbitration में ३,००,००० के लगभग सूद देने का award दिया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां।

कम्युनिटी प्रोजेक्ट सम्बन्धी अमेरिकन आर्थिक सहायता

*२८—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट संबंधी अमेरिकन आर्थिक सहायता प्रदेशीय सरकार को अमेरिका से सीधे प्राप्त होती है या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति प्रोजेक्ट अमेरिकन सहायता कितने रुपयों की होती है ?

श्री फूलसिंह—कम्युनिटी प्रोजेक्ट के संबंध की अमेरिकन आर्थिक सहायता केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होती है। प्रति प्रोजेक्ट अमेरिकन सहायता ३ साल में लगभग सोलह लाख रुपया होगी ऐसा अनुमान किया जाता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यदि प्रत्येक स्थान पर कोई अमेरिकन अफसर नहीं है, तो क्या किन्हीं स्थानों पर कोई अफसर है ?

श्री फूलसिंह—तीन अमेरिकन अफसर हैं। उनमें से एक लखनऊ में रहता है, एक मैनपुरी की तरफ और एक फैजाबाद की तरफ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इन अमेरिकन अफसरों के नाम क्या हैं और प्रांतीय सरकार को उनके लिये क्या खर्च करना पड़ता है ?

श्री फूलसिंह—इन अफसरों के नाम तो श्री ए० के० स्मिथ, श्री डब्लू० डब्लू० गेबल राय और श्री आर० एन० एस० कैविन हैं। इनके ऊपर क्या खर्च करना पड़ता है उसकी नोटिस आने पर मैं उसका जवाब दे सकता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सहायता की यह रकम किस प्रकार खर्च की जाती है इसके ऊपर अमेरिका का कोई कंट्रोल है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—जी नहीं।

*२९—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या प्रदेश के विभिन्न स्थानों में चालू कम्युनिटी प्रोजेक्ट में प्रत्येक स्थान पर कोई न कोई अमेरिकन अफसर नियुक्त है ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं ।

*३०—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या प्रदेशीय नियोजन बोर्ड में कोई अमेरिकन सदस्य है ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं ।

*३१—श्री श्रीचन्द—[१६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३२-३३—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—[१६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३४—श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—[२५ मार्च, १९५३ के लिये संख्या ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

किसानों को जंगलों से झाखर की लकड़ी काटने में रुकावट

*३५—श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि जंगलों से किसानों को खलियानों की तथा खेतों की रक्षा के लिये झाखर तथा व्याह आदि कार्यों के लिये लकड़ी आसानी से मौके पर काटने को मिल जाती थी परन्तु अब नहीं मिलती ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जहां तक सरकार को सूचना है राज्य के अधिकांश भाग में काश्तकारों को झाखर और लकड़ी मुफ्त नहीं मिलती थी पर कुछ सहूलियतें और रियायतें किसानों को कुछ निजी जंगलों से मिला करती थीं और अब भी वे उनको मिलती रहें इसकी व्यवस्था कर दी गई है।

*३६—श्री श्रीपति सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसके संबंध में सरकार ने क्या प्रबंध किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सरकार ने उचित आदेश जारी कर दिये हैं। इन आदेशों का वर्णन "१९५२-५३ में वन विभाग की कार्यवाहियां" में किया हुआ है।

श्री श्रीपति सहाय—सरकार ने जो व्यवस्था की है वह बिना मूल्य की है या मूल्य पर। अगर मूल्य पर है तो उसका क्या रेट है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जहां पर वह उनके बाजिबुल अर्ज और दस्तूर तहरीरी में यह बातें मुफ्त लिखी हुई हैं वहां पर मुफ्त में दी जाती हैं और जहां पर उनकी शरह अलग अलग है वहां अलग अलग शरह पर दी जाती है। सब जगह एक समान नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि नदी के खोलों के फारेस्ट डिपार्टमेंट में वेस्ट हो जाने के बाद जो खोलों के ऊपर बेकार झाड़ खड़ी हैं उनको भी गवर्नमेंट ने रोका है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वह तो मैंने आपसे बता ही दिया कि जहां पर काश्तकारों को लकड़ी मिला करती थी वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मगर जहां पर वन उगाने की आवश्यकता है झाड़ों की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके अन्दर जो पेड़ उगते हैं उनको जानवर आसानी से चर नहीं पाते हैं ।

*३७—श्री धनुषधारी पाण्डेय—(जिला बस्ती)—[२ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३८-३९—श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)—[९ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४०—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—[३० मार्च, १९५३ के लिये संख्या ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

तहसील डुमरियागंज (बस्ती) में कम्युनिटी प्रोजेक्ट चालू करने की योजना

*४१—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर राप्ती तहसील डुमरिया गंज (बस्ती) में कम्युनिटी प्रोजेक्ट चालू होने की कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री फूलसिंह—प्रदेश में कुछ नये क्षेत्र विचाराधीन हैं। अभी निश्चय नहीं हुआ है।

*४२—श्री रामलखन मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी की उपर्युक्त क्षेत्र में डेवेलप्मेंट की कोई स्कीम चालू भी की गयी है ?

श्री फूलसिंह—सामान्य योजनायें चालू हैं ।

श्री रामलखन मिश्र—क्या सामान्य योजना में यह विशेष सिंचाई की योजना भी सम्मिलित है, इसका स्पष्टीकरण कर दिया जाय ?

श्री फूलसिंह—जी हां ।

श्री रामलखन मिश्र—इस विभाग में सिंचाई की योजना के संबंध में क्या योजना लागू की गयी है, इसका स्पष्टीकरण कर दिया जाय ?

श्री फूलसिंह—सिंचाई संबंधी कौन योजना उस क्षेत्र में लागू है, यह नोटिस आने पर बताया जा सकेगा ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि बिचाराधीन क्षेत्रों में हर्रैया दक्षिण-पश्चिम जिला बस्ती भी शामिल है ?

श्री फूलसिंह—बस्ती का ट्रांस राप्ती एरिया शामिल है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि डुमरियागंज के अलावा उत्तर राप्ती में बांसी तहसील का समस्त उत्तरी भाग भी शामिल है ?

श्री फूलसिंह—अभी तो शामिल नहीं है परन्तु उस पर भी विचार किया जा सकता है।

*४३-४४—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—[१६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४५-४६—श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—[२ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४७-४८—श्री द्वारका प्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—[९ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहरादून)—[१६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया ।]

जौनपुर जिले में कम्युनिटी प्रोजेक्ट के नये ब्लाक

२—श्री लाल बहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट के नये ब्लाक जौनपुर जिले में रखने का कोई निर्णय उन्होंने किया है? यदि हां, तो वह जिले के किस हिस्से में रक्खे जावेंगे?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी नहीं ।

खनिज पदार्थों पर नियंत्रण

३—श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी तक किन किन खनिज पदार्थों पर कंट्रोल है?

श्री हुकुम सिंह—पेट्रोलियम (Petroleum) नेचुरल गैस (Natural gas) तथा कुछ माइनर मिनरल (minor minerals) जैसे कंकर, पत्थर, साधारण बालू इत्यादि को छोड़कर सब खनिज पदार्थों पर मिनरल कन्सेशन रूल्स, १९४९ (Mineral Concession Rules, 1949) लागू है।

केन्द्रीय सरकार के श्रम सचिवालय द्वारा संचालित बनारस विश्वविद्यालय के केन्द्र में ओवरसियर की ट्रेनिंग

४—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार के श्रम सचिवालय द्वारा संचालित बनारस विश्वविद्यालय में एक केन्द्र है जहां ओवरसियर की ट्रेनिंग दी जाती है?

श्री हुकुमसिंह—जी हां ।

५—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस योजना में प्रांतीय सरकार का कुछ व्यय होता है या नहीं?

श्री हुकुमसिंह—जी हां, होता है ।

६—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार उक्त केन्द्र से उत्तीर्ण ओवरसियरों के प्रदत्त सर्टिफिकेट को मान्यता देती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार मान्यता देने का विचार रखती है?

श्री हुकुमसिंह—(अ) जी नहीं ।
(ब) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष—वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ ई० के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव। इसके संबंध में समय नियत करने के लिये जो सुझाव हों वे दिये जा सकते हैं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि अनुदान संख्या १ कृषि आयकर की उगाही पर आधा घंटा रखा जाय। अनुदान संख्या २ मालगुजारी पर २ घंटे रखे जायं, और अनुदान संख्या २२ कृषि संबंधी विकास और खोज पर १ घंटा ५० मिनट रखे जायं। यही तीन अनुदान आज लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—आज तीन ही अनुदान रखे जायं ?

श्री जगन्नाथ मल्ल—जी हां।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि आज अनुदान संख्या १ व २ व ३६ ले लिये जायं। माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने यह सुझाव दिया है कि अनुदान संख्या २२ ले लिया जाय जो ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंध रखता है और अनुदान सं० १ व २ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं। मेरा सुझाव अगर मान लिया जाय तो जो अनुदान रेवेन्यू विभाग से संबंध रखते हैं वे आज समाप्त हो जायेंगे और बाकी अनुदान जो कृषि विभाग से संबंध रखते हैं वे कल ले लिये जायेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल—चूंकि सिलसिले से हम लोग तैयार हो करके आये हैं, इस लिये हम माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि अनुदान सं० २२ ही आज ले लिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी एक ही हैं, वे सब पर विचार करके आये हैं। और सदस्य सब पर तैयार हो करके नहीं आये हैं। इसलिये उनकी कठिनाई को देख कर के मैं समझता हूं कि इसमें कुछ अनुचित नहीं होगा अगर पहले तीन अनुदान आज ले लिये जायं।

(माननीय मंत्री जी से) आप को इसमें कोई विशेष आपत्ति तो नहीं है, उसके लिये सभी तैयार हैं।

श्री चरण सिंह—मुझे आपत्ति वैसे तो नहीं है, लेकिन बात माकूल मेरी ही है।

श्री अध्यक्ष—वह तो ठीक है, लेकिन उनकी तैयारी नहीं है।

श्री चरण सिंह—लेकिन यह तो माननीय जगन्नाथ मल्ल जी की तैयारी का सवाल है और भी बहुत सारे सदस्य हैं जो इस अनुदान से ज्यादा संबंधित हैं।

श्री अध्यक्ष—यह ठीक है लेकिन बजट के संबंध में विरोधी जो हैं वह ही ज्यादा बोलने की इच्छा करते हैं कि उसके ऊपर टीका टिप्पणी करें। सरकार यह उचित समझेगी कि उनकी बात सुने। अनुदान संख्या ३६ आज आवेगी यह उन्होंने समझा नहीं होगा इसलिये स्टडी नहीं की होगी, यह कठिनाई उनकी सही है। और कोई सुझाव तो नहीं है ?

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—आप हमेशा तैयार रहा करते हैं। मुझे ताज्जुब है कि आज आप कह रहे हैं कि आप तैयार नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम तैयार नहीं हैं। यही समय ठीक है कि आज आधा घंटा पहले के लिये और दो घंटा अनुदान संख्या २ के लिये और बाकी समय जो आज का रहेगा वह अनुदान संख्या २२ के लिये रहेगा। बोलने में कटौती के प्रस्ताव पर पहले के लिये ७ मिनट, दूसरे में १० मिनट और तीसरे में ७ मिनट रहेंगे, बाकी लोग पांच-पांच मिनट बोलेंगे।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—लेखा शीर्षक ४—कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—लेखा शीर्षक—४—कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय (कारपोरेशन कर को छोड़कर आय पर दूसरे कर) के अन्तर्गत २,३२,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सूबे में अब से चार साल हुये ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के नाम से एक ऐक्ट पास हुआ था और उसके मातहत एक सीमा को छोड़कर उससे आगे जिन लोगों की कृषि आय होती थी उन पर एक टैक्स लगता आया है और उस टैक्स के इस्टैब्लिशमेंट का जो खर्चा है, उस टैक्स को एडमिनिस्टर करने में जो खर्चा होता है, उस खर्चे से यह अनुदान सम्बन्ध रखती है। पिछले साल यानी जो मौजूदा साल से चल रहा है उसमें २,८५,००० रु० रिवाइज्ड एस्टीमेट था और आयन्दा साल कुछ काम कम हो जाने की सम्भावना है इसलिये उसमें कोई ५३ हजार रुपये की कमी कर दी गयी है और २,३२,९०० रु० का अनुदान यहां पेश किया गया है। आपकी इजाजत से, मैं यहां बता देना चाहता हूं कि अभी इस जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के पास हो जाने से और वैसे भी जो तजुर्बे ने बतालाया है कि ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स में कुछ नुक्स हैं। इन नुक्सों को दूर करने के लिये गवर्नमेंट एक बिल लाने पर भी विचार कर रही है। एक यहां स्टेट हेडक्वार्टर्स पर ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स कमिश्नर हैं जो कि एक जुडिशल ट्रिब्युनल के तौर पर अपीलात सुनते हैं और उनके खिलाफ अगर रिवीजन करना होता है तो एक ट्रिब्युनल है जिसमें बोर्ड आफ रेवेन्यू का एक मेम्बर है और डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत से एक दूसरे आफिसर हैं जिसमें कि रिवीजन वगैरह की सुनवाई होती है। जिले-जिले में कुछ अफसरान हैं जो जाकर इस ऐक्ट की तस्खीश करते हैं। तो इस पर जो खर्चा होता है जिलों में या यहां स्टेट हेडक्वार्टर में, उस सबके लिये यह अनुदान पेश किया गया है। यह बहुत छोटा सा अनुदान है और मैं समझता हूं कि सदन के किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर होगी तो उसका जवाब दिया जायगा।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी की जाय। जहां तक सिद्धांत का सम्बन्ध है उसके मुताल्लिक तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन कुछ खराबियां एडमिनिस्ट्रेशन में हैं उनके मुताल्लिक मुझे अर्ज करना है। माननीय मन्त्री जी ने जहां तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वारर्टर्स की बात कही है वहां तक तो ठीक है लेकिन जिलों में कुछ ऐसी कठिनाइयां हो रही हैं जिनकी वजह से अपीलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि अपील के समय जब लोग कमिश्नर के यहां या बोर्ड आफ रेवेन्यू में जाते हैं तो जितने केसेज आते हैं उनमें ज्यादातर लिमिटेशन का सवाल उठ रहा है। सबसे पहला सवाल यह है कि ३,००० से ऊपर वाले जमींदारों के ऊपर यह टैक्स लगाया जा रहा है। कुछ जमींदार ऐसे हैं जो ढाई सौ के ऊपर हैं लेकिन उन पर, सीर और खुदकाश्त उनकी जोत में न होते हुये भी, टैक्स लगाया जाता है। इससे ज्यादा कठिनाई होती है। यह टैक्स तो उन पर लगाना चाहिये जो लोग खेतों को अपने फार्म के जरिये या और किसी तरह से निजी जोत में रखते हों। ढाई सौ से ऊपर के जमींदारों के काश्तकार हेरिडिटेरी टैनेंट हो चुके हैं और वह किसी तरह से बेदखल नहीं कर सकते। तो ऐसी हालत में उन काश्तकारों से रुपया वसूल करने के बजाय उन बड़े-बड़े जमींदारों से वसूल किया जा रहा है। यह तरीका ठीक नहीं है। इसमें गलतफहमी हो सकती है। जो काश्तकारों के मुताल्लिक मैंने कहा उससे यह मतलब नहीं है कि कैसे भी हो, बल्कि ३,००० से ऊपर का काश्तकार होना चाहिये। इस तरह से ज्यादातर मैं देखता हूं कि जितनी अपील

[श्री कमला सिंह]

वगैरह इसके मुताल्लिक चल रही हैं उनमें लिमिटेशन की दिक्कतें हैं क्योंकि लोग इधर उधर से आते हैं और लखनऊ में कमिश्नर की इजलास है। यहां के रिवाज से लोगों को जानकारी भी नहीं है। अकसर यह भी देखा जाता है कि जहां लिमिटेशन का सवाल आता है कमिश्नर साहब यह कह देते हैं कि बोर्ड आफ रेवेन्यू में जाकर आप इसकी अपील कीजिये। यह भी ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि लिमिटेशन में ज्यादा रिलैक्सेशन दीजिये क्योंकि इसके न्याय होने में अच्छे तरीके पर सहूलियत हो सकती है। इसके साथ में अपने प्रस्ताव को रखता हूं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया इस विभाग में डिस्ट्रिक्ट लैंविल और कमिश्नर लैंविल में बहुत ज्यादा लम्बा चौड़ा खर्चा नहीं है। अभी जो एतराज विरोधी दल की ओर से उठाया गया है यह उन जमींदारों पर पड़ता है जिनके काश्तकार इस समय मुस्तकिल तरीके से हेरिडिटरी टैनेंसी या भूमिधर बन गये हैं। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि उनका यह आरोप सर्वथा निराधार है क्योंकि यह इनकमटैक्स है। जिस आदमी की इनकम जरा अधिक से इस कदर समझी जाती है कि टैक्स लगाना चाहिये तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। शरह के मुताल्लिक यह है कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी योजनायें हैं जो ३० एकड़ तक के लोगों पर टैक्स लगाया जाय तो मैं इसका विरोध करता हूं। उसका कारण यह है कि ३० एकड़ की पैदा इतनी थोड़ी है कि उससे आमदनी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती कि जो टैक्स के योग्य हो। बल्कि अगर सरकार को कुछ आमदनी बढ़ानी है तो उसका सहल तरीका यह हो सकता है जैसा किसी भी इनकमटैक्स में होता है, कि छोटों के ऊपर छोड़ा जाय और जो बड़े हैं उन पर ग्रेजुअल टैक्सेशन के तरीके से लगाया जाय। जैसे मान लीजिये इस समय ५० एकड़ पर टैक्स है तो इसके बाद में ७५ एकड़ वालों पर हो और वह ज्यादा बढ़ा दिया जाय साढ़े सात सैकड़ा और जो सौ १०० एकड़ वाले हैं उन पर १० परसेंट कर दिया जाय। इस तरीके से जितना ज्यादा बढ़ता जाय उनके ऊपर उतना ही ज्यादा टैक्स बढ़ता जाय। मैं समझता हूं कि यह टैक्सेशन के उसूल के माफिक होगा और इससे गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ जायगी, बजाय इसके कि छोटे छोटे ३० एकड़ वाले काश्तकारान के ऊपर टैक्स लगाया जाय। यह एक मेरा सुझाव है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे जिस समय वह अपना ऐक्ट लायेंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस अनुदान पर इसलिये बोलना पड़ा जैसा कि मेरे मित्र ने बतलाया कि सरकार यह सोच रही है कि कृषि आय कर से जो आमदनी होती थी वह घट जायगी क्योंकि जमींदारी अबालिशन के बाद आमदनी बहुत कम हो जायगी। इसलिये इसको बढ़ाने की नीयत से सरकार ऐसा सोच रही है कि इस आमदनी को किसी तरह से बढ़ाया जाय। इसलिये इस बजट में बहुत कम कमी दिखाई गई है और यह लिखा गया है कि शायद वही लोग रखे जायं। अगर आप अन्न का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि लोग अन्न की पैदावार को बढ़ायें तो आपको ध्यान रखना चाहिये कि अगर आप इस कर को बढ़ायेंगे तो किसानों को और फार्म करने वालों को बड़ा भारी धक्का पहुंचेगा।

दूसरी बात यह है कि श्रीमन्, जो रवैया अभी तक टैक्स वसूल करने का रहा है, वह इतना असंतोषजनक रहा है कि लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सरकारी आफिसरान हर तरीके से सरकारी आमदनी बढ़ाने के लिये, जो हिसाब किसान, फार्म वाले और जमींदार देते हैं उसको न मानकर, मनमानी करके टैक्स लगा देते हैं, दूसरे इतना कम स्टाफ रखा है जिससे बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपके द्वारा सरकार को बतलाना चाहता हूं कि पूरे सूबे के लिये एक ही कमिश्नर अपीलों के लिये रखा है।

तीन चार साल से पहले की अपीलें पड़ी हुई हैं और लोगों का माली नुक़सान होता है। सरकार को तो टैक्स से मतलब है लेकिन उसको यह भी तो देखना चाहिये कि जो लोग टैक्स देते हैं उनको कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है। अगर सरकार इस बात की तकलीफ गवारा करे और रिपोर्ट मांगे कि कमिश्नर के यहां कितनी अपीलें पड़ी हुई हैं, कितने लोगों के मुक़दमे पड़े हैं। जब से यह टैक्स लगा है तभी से बहुत अपीलें पड़ी हुई हैं। यह निहायत अफसोस और दुख की बात है। सरकार जब टैक्स लगाती है तो उसको यह भी सुविधा देखनी चाहिये कि जो टैक्स देता है उसको सहूलियत दी जाय और सहूलियत से टैक्स वसूल किया जाय। यह नहीं कि टैक्स लगाने के बाद आप यह करें कि चाहे कितनी ही तकलीफ हो उससे टैक्स लिया ही जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि सरकार इस कृषि आय-कर को कुछ दिन के लिये यदि समाप्त कर दे तो कोई हर्ज नहीं होगा। यह मैं इसलिये कहता हूं कि जब इतनी बड़ी आमदनी खत्म हो गई तो इस थोड़ी आमदनी के वास्ते इतना खर्च करें और सोचें कि इससे और वसूल करेंगे तो यह नीति तो हमें पसन्द नहीं है। जब हमारे प्रांत में कृषि ही खास पेशा है और लाखों रुपया विकास योजनाओं में खर्च हो रहा है तो सरकार इसके लिये विचार करे कि इसे रखा जाय या समाप्त कर दिया जाय। यदि इसे रखना है तो ध्यान रखा जाय कि जो वसूल करने वाले हैं, उनको हिदायत हो कि वह सही टैक्स लगायें और सहूलियत से वसूल करें यह नहीं कि सरकार की आमदनी को बढ़ाने के लिये वह अपनी कारगुजारी दिखावें और मनमानी करें।

तीसरी बात मैं यह कहता हूं कि जो कमिश्नर हैं और मुकदमें बहुत से पड़े हुये हैं। अगर आप इसको चलाते हैं तो इतनी सुविधा तो दीजिये कि लोगों की अपीलें को सुनने के लिये आफिसरान हों और उनको सहूलियत मिले ताकि उनकी सुनवाई हो सके और उनके मुकदमों का फैसला जल्दी हो सके। इसके लिये अगर हर डिवीजन में न हो सके तो कम से कम प्रांत में दो जगहें तो जरूर ऐसी मुकर्रर होनी चाहिये जहां पर लोग जाकर अपील कर सकें और यह न हो कि सब लोग लखनऊ आयें। लखनऊ आने जाने में इतना अधिक खर्चा पड़ता है कि क़रीब-क़रीब टैक्स के बराबर हो जाता है, वकील आदि को जो दिया जाता है उसको मिला कर। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री मेरी इस प्रार्थना पर विचार करेंगे।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय कमला सिंह जी ने जो आपत्ति की है कि उन जमींदारों पर भी टैक्स लगता है कि जिनके काश्तकार भूमिधर हो गये। इस सिलसिले में मैं बतलाना चाहता हूं कि यह जो टैक्स लगता है, मसलन् १३६० में जो टैक्स वसूल हो रहा है वह १३५९ की आय पर लगा था और १३५९ में उन जमींदारों के ऐग्रीकल्चरल रेट से आमदनी होती थी। तो शायद यह मुगालता मालूम होता है कि अब उन जमींदारों पर टैक्स लगाया गया है। आज बेशक जमींदार नहीं रहे, लेकिन जो टैक्स एसेस हुआ वह १३५९ की इन्कम पर एसेस हुआ था जो १३६० में वसूल हो रहा है और १३५९ में उनको लगान से आमदनी थी। लिहाजा चाहे उनके काश्तकार भूमिधर हो गये हों वह असेसमेंट उनकी पिछली आमदनी पर हुआ था, और वह होना चाहिये। फिर यह बात कि किस पर टैक्स लगता है या नहीं यह तो उस कानून की बात है और कानून एक ला होता है, उसका इंटरप्रेटेशन होता है। अगर उसमें कोई नुक्स है, तो कानून में संशोधन करके उस नुक्स को दूर किया जा सकता है। जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का संबंध है उसकी तो कोई शिकायत इसमें नहीं रही।

माननीय बलवन्त सिंह जी ने जो यह जिक्र किया कि ३० एकड़ तक के काश्तकारों पर गवर्नमेंट टैक्स लगाने की बात सोच रही है। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि यह बात कम से कम इस समय गैर मुताल्लिक थी। मेरी तरफ से केवल यह कहा गया था कि गवर्नमेंट एक

[श्री चरण सिंह]

संशोधन विधेयक लाने का विचार कर रही है। उसमें क्या होगा। यह मैंने जिक्र ही नहीं किया था। तो एक बात को मान कर उस पर बहस कर डालना मैं समझता हूं कि उन्होंने मेरे साथ यह ज्यादती की है।

रही राजा साहब ने जो बात कही कि अब उस टैक्स से आमदनी नहीं होती है लिहाजा अब उसको मंसूख कर दिया जाय। तो बेशक अगर आमदनी नहीं होगी तो उसको मंसूख कर दिया जायगा और अगर आमदनी नहीं होती है तो फिर राजा साहब को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये।

जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का संबंध है, तीनों मित्रों ने कोई विशेष बात कही नहीं है जिसके जवाब की जरूरत हो।

राजा वीरेन्द्र शाह—अध्यक्ष महोदय, क्या मैं एक सवाल माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष—पूछिये।

राजा वीरेन्द्र शाह—मंत्री जी ने अभी कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में किसी ने कोई शिकायत नहीं की। आपका एक ही कमिश्नर है और इसके बारे में मैंने कई बार शिकायत की और मंत्री जी कहते हैं कि कोई शिकायत नहीं की।

श्री चरण सिंह—बेशक एक ही कमिश्नर हैं लेकिन वह शिकायत आपको कुछ पुरानी मालूम होती है। पिछले साल से जो हमारे कमिश्नर हैं उन्होंने पहले से ड्योढ़ा काम किया और मैं समझता हूं कि जो अपीलें पैंडिंग हैं उनकी तादाद बहुत कम हो गयी है। इसलिये उसका भी कोई सवाल नहीं उठता। एक बात मैं आपकी इजाजत से बताना चाहता था वह यह कि जमींदारों पर जो टैक्स १३५९ की आमदनी पर एसेस हुआ अगर वह आमदनी उनकी हो चुकी और उस आमदनी पर जो टैक्स हुआ उसके वे देनदार इसी साल हो गये। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने यह निश्चय किया कि जिन लोगों की ज्यादातर लगान के जरिये आमदनी होती थी उन पर जो टैक्स लगा है उसका तीन चौथाई इस वक्त वसूल नहीं किया जायगा अगर वह बाकी एक चौथाई एक किस्त में अदा कर दें। उस हालत में वह तीन चौथाई कम्पेंसेशन में मुजरा करने पर विचार किया जायगा। तो जमींदारों की सहूलियत के लिये गवर्नमेंट यह एग्जीक्यूटिव आर्डर पास कर चुकी है इसी साल और उससे जमींदारों को बहुत राहत मिली है ऐसी मेरी इत्तिला है।

श्री कमला सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो कमिश्नरों की अदालतों के बारे में कहा था उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। माननीय शाह साहब ने यह फरमाया कि कमिश्नर की तादाद एक है और वह अपील सुनते हैं और माननीय मंत्री जी ने भी बतलाया कि ऐसे मुकदमात कम हैं, इसलिये अगर ऐसा कर दिया जाता कि डिस्ट्रिक्ट कलक्टर को अपील का हक दे दिया जाता तो बेहतर होता ताकि जिलों में ही मामला खत्म हो जाता और जो लिमिटेशन की दिक्कत बतायी गयी है वह भी दूर हो जाती क्योंकि बोर्ड आफ रेवेन्यू में जो अपील होती है वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जरिये से होती है। इसलिये एक बार जिले से लखनऊ और फिर लखनऊ के जिले को जाना होता है और फिर रेवेन्यू की अदालत में अपील करते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे तो अच्छा होगा।

श्री चरण सिंह—माननीय कमला सिंह जी ने जो सवाल रक्खा है वह ऐक्ट में तरमीम करने से ही हल हो सकता है और अगर सदन ऐसा चाहेगा तो २, १ संशोधन जो मैं इसमें लाऊं सदन उन पर विचार करे कि ऐग्रीकल्चरल कमिश्नर को बजाय हेडक्वार्टर पर रखने के हर डिवीजन में हो जाय।

श्री कमला सिंह—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस किया गया)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—लेखा शीर्षक ४—कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय (कारपोरेशन कर को छोड़ कर आय पर दूसरे कर) के अन्तर्गत २,३२,९०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष—अभी १२ बजे हैं, जो समय नियत किया गया है उसमें कुछ अन्तर पड़ जायगा । सवा घंटा और पौने तीन घंटा यानी अभी ४ घंटे का समय है। इन चार घंटों का बंटवारा इस प्रकार होगा—

(१) ढाई घंटा अनुदान संख्या २ के लिये, और
(२) डेढ़ घंटा अनुदान संख्या २२ के लिये ।

कटौती के प्रस्तावों के लिए समय इस प्रकार रहेगा

अनुदान संख्या २ के लिये—
(१) कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले के लिये १५ मिनट।
(२) अन्य सदस्यों के लिये १० मिनट।

अनुदान संख्या २२ के लिये—
(१) कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले के लिये १० मिनट।
(२) अन्य सदस्यों के लिये ७ मिनट।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी के अन्तर्गत २,८९,७९,७०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, पिछले साल की अपेक्षा अब की बार ६३ लाख रुपये की अधिक मांग लेकर मैं सदन के सामने आया हूं। पिछले साल २२८ लाख रु० बजट में रखे गये थे और खर्चा दरअसल २७० लाख रुपया का हुआ । अब की बार यह मांग २८९ लाख रुपये की है। इस मांग के बढ़ने के कारण मैं अभी आपके सामने अर्ज करूंगा । जैसा कि सदन को मालूम है जमींदारी खत्म हो जाने के बाद मालगुजारी वसूल करने के लिये कलेक्शन एजेंसी नियुक्त की गई और उसके सिपुर्द यह काम किया गया । उस कलेक्शन एजेंसी में ४५ कलेक्शन आफिसर्स हैं, ६०० नायब तहसीलदार हैं जिनमें से २०० बारह महीने काम करने वाले हैं और चार सौ ६ महीने काम करने वाले ४७०० अमीन ६ माह काम करने वाले हैं। ९८३ क्लर्क हैं और १० हजार चपरासी वगैरह हैं । तो यह एजेंसी तय हो चुकी है और मुझे यह खुशी है कि इसके लिये जो डिमांड थी, उसके लिये जो रुपया मांगा गया था उसे सदन स्वीकार भी कर चुका है। प्रांट नं० १२ में एल० आर० सी० बजट के नाम से जो डिमांड थी उसे यह सदन स्वीकार कर चुका है और मुझे ज्यादा खुशी इस

[श्री चरण सिंह]

बात को जानकर हुई कि उस सिलसिले में कोई आलोचना या नुक्ताचीनी वगैरह नहीं हुई और जहां तक मुझे याद है कोई कटौती का प्रस्ताव भी पेश नहीं हुआ। वैसे भी अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी इत्तिला है वह यह है कि आमतौर पर कृषक वर्ग जिस तरह से मालगुजारी वसूल की जा रही है, उससे बहुत संतुष्ट है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कठोर आदेश जिला अधिकारियों को भेजा गया है कि अगर किसी कर्मचारी की ओर से जरा भी शिकायत आये इस बात की कि किसानों को तंग किया गया है या किसी तरह की कोई फोस आदि बांध ली गयी है तो फौरन सख्त कार्यवाही करें। और जितने सदन के माननीय सदस्य हैं और जितनों से मेरी बातचीत हुई है, अब तक मुझे एक भी सदस्य नहीं मिला जिसे इस सिलसिले में किसी प्रकार से असंतोष हो। यह जरूर है कि कुछ जिलों में कुछ अमीनों की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को शिकायत मिली तो उन्होंने एकदम कार्यवाही की, जिसका कि बहुत अच्छा असर दूसरे लोगों पर पड़ा। तो जिस प्रकार माननीय सदस्यों के जरिये से किसी प्रकार की शिकायत मेरे कानों में नहीं पड़ी, इसी प्रकार इस बीच में मुझे देहातों में भी जाने का मौका मिला और बहुतों से मेरी बातचीत हुई, मुझे यही मालूम हुआ कि आमतौर पर किसान लोग उससे संतुष्ट हैं। यही नहीं कि राज कर्मचारियों की ओर से किसी तरह की शिकायत नहीं आयी बल्कि यहां तक कि, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जहां-जहां भी मैं गया मुझे मालूम हुआ कि किसी जगह कोअर्सिव प्रोसेस इस्तेमाल करने का मौका नहीं हुआ और आमतौर पर अधिकतर किसानों ने अपनी रजामन्दी से रुपये दिये हैं। अब तक यानी २८ फरवरी तक केवल ७६ परसेंट रुपये ही वसूल हो पाये हैं लेकिन इसमें किसानों का कोई दोष नहीं है बल्कि काम चूंकि नया था और कुछ जिलों से १५ दिसम्बर से और देर में काम शुरू हुआ और कुछ जिलों में खाते बहुत छोटे छोटे हैं और वहां अमीन उन किसानों तक जा ही नहीं सकते थे। इस वजह से आय ७६ परसेंट हुई २८ फरवरी तक। वरन् मुझे यह आशा है कि अगले साल या अगली फसल में इससे भी बहुत अच्छी आय रहेगी। तो कोअर्सिव प्रोसेस इस्तेमाल करने की कोई नौबत नहीं आयी और मेरे पास भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं आयी है कि कहीं कोअर्सिव प्रोसेस इस्तेमाल किया गया या कोई सख्ती बरती गयी।

जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंध रखता है और यह अनुदान स्वीकार हो चुका है। मैंने पार्सिंग रेफरेंस इस सिलसिले में कर दिया। और जो रकम बढ़ी है वह ६० लाख रुपया है जो रेलिजस ऐंड चैरिटेबिल इनडाउमेंट्स यानी धार्मिक संस्थाओं के सिलसिले में है। और जो शिक्षणालय लिये गये हैं जिनकी आय होती थी किसी जमीन से और वह जमीन इनडाउमेंट प्रापर्टी थी, और वह गवर्नमेंट के पास आ गयी है, तो उसके लिये लगान वगैरह तो मैनेजमेंट कमेटी वसूल कर नहीं सकती थी और उनका कम्पेनसेशन अभी तय नहीं हुआ है। तो अभी जो विधान मंडल से एक संशोधन विधेयक पास हुआ है, तो जमींदारी अधिनियम में यह रखा गया है कि पहली जुलाई सन् १६५२ से ही इस तरह के चैरिटेबिल और रेलिजस इंस्टीट्यूशन्स ऐन्यूटी पाने के मुस्तहक हो जायेंगे और जमींदारों के लिये कम्पेनसेशन जब डिटरमिन होगा तब जमींदार उसके पाने के मुस्तहक होंगे। बेशक उनको अन्तिरिम कम्पेनसेशन ६ महीने के बाद यानी पहली अप्रैल सन् ५३ से मिलेगा। लेकिन जहां तक सार्वजनिक संस्थाओं के ऐन्यूटी पाने की बात है उनको ऐन्यूटी पाने का अधिकार इसी विधान सभा ने और सारे विधान मंडल ने पहली जुलाई सन् १६५२ से दिया है।

उन एन्युटीज को पे करने के लिये ६० लाख रुपये इसमें रक्खे गये हैं। इसकी वजह से यह २ करोड़ २८ लाख के बजाय २ करोड़ ८६ लाख रुपये की मांग है जिसकी वजह से यह रकम बढ़ गई है।

अध्यक्ष महोदय, इसी अनुदान के अन्दर पटवारियों की तनख्वाह वगैरह आती हैं। पटवारियों के सिलसिले में आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहता हूं। कुछ कहने की

जरूरत तो नहीं मालूम होती थी लेकिन चूंकि एक समस्या उठ खड़ी हुई थी इसलिये इस सिलसिले में कुछ कहना जरूरी है। इसमें संदेह नहीं कि पटवारी लोगों की तरफ से दो तीन बरस से बराबर यह मांग थी कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाय और उनको होलटाइम गवर्नमेंट सर्वेंट घोषित कर दिया जाय, उनको तहसीलों में आने जाने का सफर का भत्ता दिया जाय, उनको मकान का किराया दिया जाय और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वे गवर्नमेंट की तरफ से दिये जायं। तो यह मांग उनकी थी कि ६० रुपये से १२० का ग्रेड हो। उनकी मांग को अगर स्वीकार कर लिया जाता तो कई करोड़ रुपये का खर्चा होता था। जैसा सदन को मालूम है, जो हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति है और जो हमारे बजट की स्थिति है, उसको देखते हुये उस मांग को स्वीकार करना संभव नहीं था लेकिन यह कि उन पटवारियों को तनख्वाह कम मिलती थी २५—१—४० का ग्रेड था और उसमें दस फीसदी को ४०—१—४५ का ग्रेड और १२ रुपये भत्ते के मिलते थे। तो तनख्वाह दूसरे कर्मचारियों की अपेक्षा कुछ कम थी, इसमें कोई शक नहीं लेकिन उनको इसके साथ ही साथ बहुत सी सुविधायें थीं। उन सुविधाओं के रहते हुये उनकी यह मांग उन सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुये माकूल नहीं मालूम होती जितनी कि माकूल मालूम होती है। उन लोगों को जहां मकान का किराया नहीं मिलता था वहां उनका तबादला भी नहीं होता था। उनका तबादला एक जुडीशियल मैटर था। अध्यक्ष महोदय, इतने मेरे माननीय मित्र इस सदन में तशरीफ रखते हैं वह जानते हैं कि पटवारियों का तबादला करना कोई मामूली बात नहीं थी। किसी बड़े से बड़े राज कर्मचारी का तबादला हो जाय तो वह हो गया। आम तौर पर अंतिम तरीके से बात तै हो जाती थी लेकिन पटवारी के खिलाफ चाहे किसान कितनी ही शिकायत करे और सारे कार्यकर्त्ताओं को कितनी ही शिकायत हो, उसका तबादला नहीं होता था। अगर होता था तो उसकी अपील कलेक्टर के यहां होती थी, कलेक्टर के यहां अपील नामंजूर हो गई तो फिर अपील कमिश्नर के यहां होती थी, तीसरा मौका बोर्ड आफ रेवेन्यू में अपील करने का मिलता था और चौथा मौका रिप्रेजेंटेशन के तौर पर गवर्नमेंट को आता था। इस प्रकार तीन चार अपीलें वह लड़ता था। बाकायदा एक मुकदमा हो जाता था। तीन चार मंजिलें उसके लिये खुली हुई थीं और कहीं न कहीं उसका काम हो जाय, तो आम तौर पर हो जाता था, तो जिस एस० डी० ओ० ने उसका तबादला किया है उसी के सामने वह बस्ता ले कर हाजिर होता था। तो इसलिये वह एस० डी० ओ० आमतौर पर तबादला नहीं करता था। तो उनको यह सहूलियत थी कि आमतौर पर उनका तबादला नहीं होता था।

फिर रिटायर होने के लिये कोई उम्र की कैद उनके लिये नहीं थी। ६५,६५ और ७०, ७० वर्ष के पटवारी मौजूद हैं। यह भी था कि अपने इलाके के अन्दर वह खेती वगैरह करता था। इसके साथ ही यह भी था कि जो वारिस हैं उनको हक था कि मरने के बाद या रिटायर होने के बाद वह उस जगह पटवारी बना दिये जाते थे। हेरिडिटरी पोस्ट थी। हमारे यहां किसी राज्य कर्मचारी की पोस्ट हेरिडिटरी नहीं है। तो इन सहूलियतों के कायम रहते हुये फिर जो उनके मतालबात थे जिनमें करोड़ों रुपये खर्च होते थे उनको गवर्नमेंट के लिये मानना नामुमकिन था। बेशक तनख्वाह कम थी और उनसे बराबर कहा गया कि तुम्हारी मांगों पर विचार हो रहा है। अब जमींदारी खत्म हो गयी तो उसके साथ-साथ उनके अख्तियारात भी जो बहुत ज्यादा हो गये थे कम हो गये और उनको उपयोग करने का उनको कोई मौक़ा नही रहा क्योंकि न काश्तकारों को नई जमीन दी गई और न बेदखली हुई तो इस तरह से उनके अख्तियारात में कमी हुई। अब जब अख्तियारात में कमी हुई तो उससे जो सहुलियतें थीं वह भी कम हो गयीं। फिर दूसरी बात यह कि लैंड रिकार्ड्स मैनुअल जिसमें कि ये अधिकार उसको थे वह रिवाइज कर दिया गया और दिसम्बर के महीने में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के पास पहुंच गये। उसमें तबादिले को एक एक्जीक्यूटिव मैटर कर दिया गया जैसे कि और

[श्री चरण सिंह]

राज्य कर्मचारियों का तबादिला होता है इसी तरह से उनका तबादिला भी एक्जीक्यूटिव कर दिया गया और जो उनको इन्दराजात वगैरह करने के अधिकार थे वे बहुत हद तक ले लिये गये मसलन् यह कि अब तक उनको किसी आदमी के कब्जे की नवइयत तय करने का हक़ था कि कोई शख्स बिला तसफिया लगान काबिज है या काश्तकार के हिसाब से काबिज है, तो कभी-कभी जाने या अनजाने जो वाकई काश्त करता हो उसको बिला तसफिया लगान लिख सकता था और लिख देता था या जो बिला तसफिया लगान काश्तकार होता था उसको काश्तकार लिख सकता था और अक्सर लिखा करता था। ऐसे काश्तकार जो बीस-बीस और पचीस-पचीस साल से काश्त करते हैं, उनका नाम कागजात पटवारी में बिला तसफिया में दर्ज है। तो लैंड रिकर्ड्स मैनुअल में यह कर दिया गया कि जिस आदमी का नाम कागजात में दर्ज चला आ रहा है और यह मालूम हो कि पड़ताल करने के वक्त उसका क़ब्जा वह नहीं पाता और दूसरे का कब्जा है तो वह उसका कब्जा जरूर लिखेगा लेकिन उसकी नवइयत नहीं लिखेगा उसमें काश्त का टाइटिल नहीं देगा कि यह बिला तसफिया है या मारगेज है या ठेकेदारी है या काश्तकारी है और कैफियत के खाने में लिखेगा कि फलां का क़ब्जा है यानी बकब्जे फलां के हैं और सबसे बड़ी बात जो उसको करनी होगी वह यह कि उसकी इत्तिला देगा उस शख्स को कि मैंने मौक़े पर आप के खेत पर फलां आदमी का क़ब्जा पाया और उसके दस्तखत अपने खसरे पर भी लेगा। दूसरे गांव सभा के प्रधान को भी इत्तिला देगा। जितने गांव सभा में नाम दर्ज हैं अगर उनका नाम न पाकर वह किसी दूसरे का नाम पाता है तो उसकी पूरी इत्तिला गांव सभा को देगा और उसके प्रधान के दस्तखत भी उस इत्तिला की वसूलीयाबी के संबंध में हासिल करेगा। फिर तीसरे वह कानूनगो को इत्तिला देगा और कानूनगो जब मौक़े पर आयेगा तो जिसका नाम दर्ज है और उसका क़ब्जा नहीं है और दूसरे का है तो वह सब को बुलाकर तसदीक करेगा कि आया क़ब्जा किसको मिलेगा। तो नवइयत जो कागजात में लिखने का अधिकार था वह खत्म हो गया और वही सबसे बड़ी अथारिटी की बात थी।

दूसरी बात जो हुई वह यह कि जो वाकई काश्त करता आया था लेकिन उसका नाम नहीं दर्ज है तो अब तक उनको मौक़ा नहीं था कि जिस आदमी का क़ब्जा नहीं है उसका नाम हटे। अब यह अधिकार भी उसको नहीं रहेगा। तो यह दूसरा काम बड़ा भारी हुआ।

तीसरी बात यह हुई कि अब तक कागजात पटवारी के पास एक साल के रहते थे लेकिन अब नहीं रहेंगे। मान लीजिये १३६० फ़सली ३० जून सन् १९५३ को खत्म हो जाती है तो ३० जून सन् १९५४ तक इस ६० फ़सली के कागजात उसके पास रहते थे। इस बीच में कोई मुक़दमा वगैरह खड़ा होता था तो दोनो फ़रीक़ को मालूम नहीं होता था कि कागजात पटवारी में क्या लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं है। ज्यादा तफ़सील में मैं जाना नहीं चाहता लेकिन अब यह कर दिया गया है कि जब साल फसली खत्म हो उसके १५ दिन के अन्दर यानी १५जुलाई, १९५३ तक वह कानूनगो के पास पहुंचा दे और कानूनगो ३१ जुलाई तक उसको तहसीलदार के यहां पहुंचा दें। तो इस तरह पर इन्दराजात वगैरह में तरमीम करने या अदला बदली करने का जो डर वाक़ई रहता था साल भर तक, अब वह नहीं रहेगा। तो यह तीन बड़ी तब्दीली दिसम्बर में उसमें हुईं। इसके साथ ही जो यह कलेक्शन एजेन्सी हुई जिनका मैंने अभी जिक्र किया है कि बराहरास्त मालगुजारी वसूल की जाय, उससे भी पटवारियों को कुछ नाराजगी हुई। पहले पटवारियों को कुछ ऐसा ख्याल हुआ था कि शायद मालगुजारी भी उनके जरिये ही वसूल की जायगी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है और उन्होंने अखबारों में पढ़ा होगा कि उनके एसोसियेशन ने एक रेजोलूशन पास किया था कि मालगुजारी में से १० प्रतिशत हमको कमीशन के तौर पर मिले। इतना बड़ा मतालबा उन्होंने किया। जब उन्होंने देखा कि मालगुजारी सीधे वसूल होने लगी तो यह उनकी नाराजगी का और भी एक कारण हो गया।

बस्ती में जब कि कुछ शिकायत पटवारियों की वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने आयीं तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बहुत उदारता से काम लिया। जितनी भी उदारता

से वह काम लेते गये तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के उदारता दिखाने पर उतने ही पटवारी लोग आगे बढ़ते गये। अंगुली पकड़ते पहुंचा पकड़ने लगे। तो फिर उन्होंने जरा सख्ती से काम लिया तो वे बस्ती के पटवारी ५ जनवरी को काम पर आये। इसको जिले के अधिकारियों का बुरा सलूक बतलाया गया। उनकी हमदर्दी में ९ जनवरी को सारे सूबे में एक टोकन हड़ताल की गयी और पटवारियों की तरफ से काम करने के लिये इन्कार किया गया। इसके बाद ११ जनवरी को उनके दो मेम्बरों को मुझसे मिलने का अवसर हुआ। जब उनको यहां पर एक्जि-क्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई तो उस समय उनके दो सज्जन एक आजमगढ़ के और दूसरे बस्ती के, मुझसे मिले। मैंने उनसे साफ यह कहा कि मुझको यह तसलीम है कि जमीदारी के खात्मा हो जाने से तुम्हारे अख्तियार कम हो गये, लैंड रिकार्ड मैन्युअल के रिवाइज होने से तुम्हारे अख्तियार कम हो गये। मालगुजारी का सीधे कलेक्शन हो रहा है इससे जो ग़लती तुमसे हो जाती थी वह भी एक्सपोज हो जाती थी। इससे इस तरह ये तीन बातें हुईं। इन अख्तियारों से जो तुमको सुविधा मिलती थी उनके कम हो जाने की वजह से अब मैं यह समझता हूं कि आप लोगों की जो टर्म्स आफ सर्विसेज हैं उन पर फिर से ग़ौर करने का समय आ गया है। लिहाजा जितना भी हमदर्दाना तरीक़े पर आप लोगों की ग़रीबी को देखते हुये अपने बजट की तंगी को देखते हुये मुमकिन होगा उतना बहुत जल्द किये जाने वाला है और आप लोग बहुत जल्द खुशखबरी सुनने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, अब क्योंकि वह बातें सब हो चुकी हैं तो मुझे कोई बात बतलाने में हिचकिचाहट नहीं है। यह सब बातें ११ जनवरी को हुईं और ५ जनवरी को मुहकमें माल की तरफ से एक बहुत मुदल्लल नोट जितना भी उसको पटवारी लोगों के हक़ में कहा जा सकता था और उनके मतालबे को मानने के सिलसिले में माना जा सकता था, वह कैबिनेट के सामने गया हुआ था। मैं उनसे यह बात नहीं खोल सकता था कि उस नोट के अन्दर क्या तब्दीली की गयी है क्योंकि जब तक उसको मंत्रिमंडल स्वीकार न करे या और कोई फैसला न करे तब तक वह बातें खोली नहीं जा सकती थीं। तो दो घंटे सामने बैठाकर मैंने उनको समझाया और जो बातें जितनी भी उनकी ग़लती थी और जैसा वह अभी तक करते आये थे और जो भी उनके अख्तियार थे उनका उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग वह करते आये, वह सब इनको बतलाते हुये मैंने कहा कि आप लोग इतमिनान रखें, गवर्नमेंट को इसका एहसास है कि आप की सुविधा कम हो गयी और २५-१-४० की तनख्वाह कम है और बहुत जल्द आप शुभ समाचार सुनेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उनके ऊपर कुछ और ही धुन सवार थी। उनका ख्याल यह था कि २८ हजार उनकी तादाद है और कागजात मुआविजे के अभी तैयार नहीं हुये हैं और पड़ताल भी अभी इस साल की नहीं हुई है। लिहाजा उन लोगों ने २६ जनवरी को एक दम यह तय कर लिया कि सब लोगों का इस्तीफा गवर्नमेंट को भेज दिया जाय और इस रेजोलूशन पर खुद भी उन्होंने अमल किया। क्योंकि कुल तादाद पटवारियों की २७,८०० के क़रीब है, इनमें से क़रीब २५,००० ने इस्तीफे दिये, उस वक्त क़रीब १०० जगहें खाली थीं और बाक़ी १,९०० ऐसे बचे कि जिन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिये। तो अध्यक्ष महोदय, इन सूरतों में जो कुछ किसी भी गवर्नमेंट को करना चाहिये वह किया गया। आज अगर इस क़िस्म की धमकी दे कर पटवारी वर्ग गवर्नमेंट से कुछ कराना चाहे और खासकर उस सूरत में जब कि गवर्नमेंट की तरफ़ से २ घंटे तक बराबर उनको समझाया गया और उनको सब बातें बतला दी गयीं, उस वक्त उनका कहना था कि दो तीन साल से हम लोग कह रहे हैं और मैंने उन्हें इसका जवाब दिया कि दो तीन साल से तो आप लोगों को यह सुविधाएं थीं और यह तो अभी दिसम्बर से सुविधायें खत्म की गयी हैं और इसीलिये हम इस वक्त बहुत एक्टिव कन्सिडरेशन आपके मामले पर कर रहे हैं, और यह सबूत है कि ११ जनवरी को उनको मुझ से यह बातें हुईं और उससे पहले ही से ५ जनवरी से माल विभाग में नोट कैबिनेट के लिये चलाया गया। और मैंने उनको यह भी आगाह कर दिया कि जैसे ही उनके पहले अधिकार और सुविधाएं दिसम्बर में कम हुईं वैसे ही आप का मुतालबा मंत्रिमंडल के सामने रखा जा रहा है। लेकिन इस पर भी उनका इस तरह से हड़ताल करना और उसके बाद हम उनसे कोई बाहमी गुफ्तगू करें या मसालहत या कम्प्रोमाइज की बातें करें तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अगर हमारी तरफ से ऐसा होता, तो यह गवर्नमेंट गवर्नमेंट कहलाने के लायक़ नहीं थी। माननीय अध्यक्ष

[श्री चरण सिंह]

महोदय, अगर आप उनके २६ जनवरी के फ़ैसले पर ग़ौर करें तो उसी में आप एक ख़ास ध्वनि पावेंगे कि लैंड रेवेन्यू मैनुअल के रिवीज़न पर उनको बहुत ज्यादा क्षोभ था और उनके लेख जो निकले हैं उनमें भी लैंड रिकार्ड मैनुअल संशोधन के कारण जो अख़्तियार कम हुये हैं उन्हीं का ज्यादा ज़िक्र है, तनख्वाह आदि का भी ज़िक्र उनमें है लेकिन ज्यादा कांटा इसी चीज़ का उनको था। जब गवर्नमेंट ने यह तय किया कि उनके इस्तीफ़े मंजूर किये जायें और यह ख़बर जनता में फैली तो मेरे पास सैकड़ों की तादाद में ख़त आये और उनमें लोगों ने मुझे लिखा कि जैसे ही ज़मीदारी ख़त्म की गयी थी उसी प्रकार पटवारियों के अधिकार कम करने के सिलसिले में जो क़दम उठाया गया है वह क़दम ज़मींदारी के ख़ात्मे से पहले ही उठाना चाहिये था और पहले लैंड रिकार्ड मैनुअल तरमीम होना चाहिये था और बाद में ज़मींदारी ख़त्म करना चाहिये थी।

एक बात मैं और अर्ज़ कर दूं कि पटवारी होल टाइम गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स नहीं थे और वह ज़मींदारों के नामज़द होते थे और स्वाभाविक था कि जिनके ज़रिये उनकी नामज़दगी होती थी उन्हीं की ओर उनका झुकाव होता था। जितने रेवेन्यू लिटिगेशन और उसकी वजह से क्रिमिनल लिटिगेशन होते थे उन सबमें पटवारी ही ख़ास आदमी था और उस सब से छोटे राज्य कर्मचारी को अख्तियार था कि वह ज़मीन पर किसी का नाम लिखे या न लिखे और ज़मीन ही वहां का ख़ास आमदनी का ज़रिया होती है। इसलिये जो पटवारी ने लिख दिया वही हाईकोर्ट तक लोहे की लकीर हो गया। और इन्हीं सब बातों की वजह से वह इस्तीफ़ा देने की सोचने लगे, इससे कोई इन्कार नहीं है। लिहाज़ा उन लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिये गये और जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि लेखपाल लोग उनकी जगह मुकर्रर कर दिये गये, इस वक़्त मैं उनकी कन्डिशन आफ सर्विस दोहराना नहीं चाहता, वह भी वक़्त मिलने पर बतला दूंगा। २० मार्च तक नये लोग दरख्वास्त दे सकेंगे और ५ अप्रैल तक ज़िलाधीशों को लिखा गया है कि वह तक़र्रुरी कर डालें और उसके फौरन ही बाद एक शार्ट इन्टैन्सिव कोर्स आफ ट्रेनिंग, जिसमें खूब घुटाई हो उसकी उनको ट्रेनिंग दी जाय और उसमें २० साल से ३० साल तक की उम्र के लड़के भर्ती किये जायं और उनको भगाया दौड़ाया जाय और फावडा चलवाया जाय और देखा जाय कि वह इतने मज़बूत लड़के हैं या नहीं कि खेतों पर पड़ताल के लिये पहुंच सकें। मैं उनकी कन्डीशन आफ सर्विस अध्यक्ष महोदय, बतलाना नहीं चाह रहा था लेकिन आपकी इजाज़त से मैंने इतना बतला दिया क्योंकि जब ज़िक्र आ गया तो इतना थोडा सा मैंने कह दिया। ३५–५५ उनकी तनख्वाह रखी गयी। ५५ से आगे १५ फीसदी २ रुपये सालाना तरक्क़ी के साथ ६५ तक जायंगे। इसके अलावा जो रजिस्ट्रार कानूनगो होंगे वह सब पटवारियों में से लिये जायेंगे। सुपरवाइजर कानूनगो आधे सीधे तौर से लिये जायेंगे और आधे पटवारियों में से लिये जायंगे। जिसकी दस साल की सर्विस हो वह आगे के लिये तरक्क़ी पा सकेगा। चार रुपया फिक्स्ड टी० ए० और डी० ए० होगा। लेकिन अगर दो दिन से ज्यादा हलके से बाहर पटवारी को रहना पड़ेगा तो उस को रोजाना और भत्ता अलहदा दिया जायगा। चार रुपये तो मिलेगा ही क्योंकि एक दो बार पटवारी को तहसील में आना ही पड़ेगा। इसलिये चार रुपये कर दिया गया। आठ आने माहवार स्टेशनरी के लिये देंगे। सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिये जायंगे। जैसा कि मैंने किया जनता ने इस क़दम का बहुत दिल से स्वागत किया।

अंग्रेज़ विदा हुआ। परमात्मा की दया से वैसे ही हमारे किसानों की आर्थिक हालत अच्छी हुई। डेट रिडम्शन ऐक्ट जो पहले कांग्रेस मिनिस्ट्री ने पास किये थे उन की वजह से भी क़र्ज़ का वह बोझ नहीं रहा जो पहले था। जो थोड़ा बहुत है वह भी ख़त्म हो जायगा। उम्मीद यह है कि शार्ट टर्म क्रेडिट, तकावी के रूप में ज्यादा से ज्यादा रुपया देने की कोशिश की गयी और कोआपरेटिव सोसाइटी लोगों की बनेंगी तो वह चीज़ ख़त्म हो जायगी। जिस तरह से पहले महाजन था वह भी क़रीब-क़रीब हमारे देहात में नहीं रहा है। ज़मींदार था। ज़मींदार भी गायब हुआ। सिर्फ पटवारी बचा हुआ था। वह पटवारी खुद इस्तीफा दे कर चला गया। तो इस तरीक़े से इस पुराने सिस्टम से जो किसानों को तक़लीफ़ थी वह सिस्टम एक एक करके ख़त्म कर दिया गया या वक़्त के तकाजे ने ख़त्म कर दिया या खुद ख़त्म हो गये

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मुझे उम्मीद यह है कि जहां तक जमीन का संबंध है हमारे किसान जो मुक़द्दमेबाजी में फंसे रहते थे, उनको सारी परेशानियों से फुरसत होगी, उनको समय मिलेगा अपने खेतों में मेहनत करने का। खेती ही धन का श्रोत है। और दूसरे नम्बर पर हैं पशु। तो मुझे उम्मीद यह है कि जो लोगों को इन सब परेशानियों से छुट्टी मिल गयी तो हमारे खेतों की पैदावार भी बढ़ेगी। इसलिये यह सात लाख रुपया इसमें ज्यादा रखा गया।

गवर्नमेंट एस्टेट्स के कुछ रुपये हैं। शायद ७ लाख ८० हजार की रक़म है। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बजट की यह मोटी सी बातें हैं। बाक़ी इस मुहकमे में ज्यादातर लीगलैस्टिक, कवानीन पास करने की बात होती है। ऐडमिनिस्ट्रेटिव बात नहीं है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार का खर्चा भी ग्रांट नम्बर १३ में सदन मंजूर कर चुका है। इसके अलावा १२ नवम्बर की ग्रांट में भी कुछ खर्चा मंजूर हो चुका है। ग्रांट नम्बर २ में पटवारी, पार्टीशन स्टाफ, कहीं लैंड रेकार्ड्स वग़ैरः करने हों, गवर्नमेंट एस्टेट्स का प्रबन्ध आदि के लिये हैं। लेकिन इसमें एक करोड़ ६३ लाख की रक़म पटवारियों के लिये हैं। यही बड़ी मद थी। इस सिलसिले में जो अभी नयी बात हुई वह मैं आपके सामने अर्ज कर चुका।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि इस अनुदान को सदन स्वीकार करेगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान में आप की आज्ञा से १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना। माननीय राजस्व मंत्री जी की इस पटुता का मैं कायल हूं कि वह सदन के इमोशन को, सदन को किस तरह से घुमाया जा सकता है दूसरी-दूसरी बातों को कह कर के असली असली बातों से दूर कर दिया जाय यह बहुत अच्छी तरह से वह जानते हैं। सारे बजट की २,८९ लाख की मदों में कहीं उन्होंने जाने की कोशिश नहीं की और न तो उस पर एक भी चर्चा की और न रोशनी डाली। लेकिन वह ऐसा समझते हैं कि यह सदन पटवारियों की बरखास्तगी की खबर को सुन कर सारी बातों को भूल जायगा। इसको उन्होंने बहुत खूबी के साथ पेश किया, बावजूद इसके कि न तो पटवारियों से हमारे सदन का और न सूबे का पिंड वह छुड़ा रहे हैं, बल्कि "पटवारी" शब्द को हटा कर के "लेखपाल" लिख कर के अपनी उस प्रखर बुद्धि और हमको भुलाने वाली बुद्धि का परिचय दे रहे हैं। पटवारी की जगह पर लेखपाल नाम रख कर, जिस तरह से किसान की खेती की कमाई का गाढ़ा पैसा पटवारी वसूल करते थे जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी आज बतला रहे हैं उसी तरह से इनको भी वसूल कराने का अवसर देंगे। मैं सिर्फ इतना ही पटवारी के संबंध में कहना चाहता हूं। मैं इस संबंध में और भी बातों को छोड़ कर के पटवारियों के पीछे पड़ जाऊं, तो इस सदन के साथ अन्याय होगा और अपने साथ भी धोखा होगा। इसलिये मैं सीधी बात यह सोचता हूं कि पटवारियों की बात तो अन्त में कहूंगा और उसमें एक मिनट से ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा। मैं और बातों की तरफ माननीय राजस्व मंत्री और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सब से पहली बात, जो भूमि संबंधी कानून है, वह माल मुकदमें से संबंध रखता है। खेती करने वालों से और माल मुहकमें से बड़ा घनिष्ट संबंध है, लेकिन खेती करने वालों के सम्बन्ध में जो कानून माल मुहकमें ने बनाया है और जिसकी एक फ़ेहरिस्त इस रिपोर्ट में भी है उस में मैं देखता हूं कि बहुत से हिस्से इस सूबे के ऐसे हैं जहां पर कि आज दूसरे प्रकार के कानून लागू हैं और मैंने पिछले वर्ष भी माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा था कि उत्तर प्रदेशीय सरकार एक उपनिवेशवाद का समर्थन करती है और एक उपनिवेश अपने राज्य में भी रखना चाहती है, चाहे वह बनारस रियासत में हो, रामपुर रियासत के नाम से हो, कुमायूं के नाम से अथवा जौनसार-बावर के इलाक़े में रखा गया हो, लेकिन एक उपनिवेश रखना हमारी सरकार चाहती है

[श्री गेंदा सिंह]

और उसका भी एक कारण है। ऐसी बात नहीं है कि यह बिलकुल अकारण ऐसी बात हो या अकारण ही कोई बात हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार किया करती है। उस कारण को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। वह यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और राजस्व मंत्री जी कुछ लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं, कुछ लोगों को इनाम देना चाहते है, कुछ लोगों को बड़े-बड़े खेतों के मालिक बनाना चाहते हैं। तो फिर उनके लिये कठिनाई है कि वह उत्तर प्रदेश के उन जिलों में कोई भूमि नहीं दे सकते जहां पर कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू हो गया है, इसलिये आवश्यक हो जाता है कि वह किसी कोने में ऐसी जगह रखें। जहां उनका इनाम देने का इरादा हो,जब उनका प्रसन्न करने का इरादा हो तो किसी को दो सौ एकड़ किसी के पाँच सौ एकड़ और किसी को एक हजार एकड़ के फार्म बनवा सकें। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार २४ हजार एकड़ भूमि का जो तराई-भावर के इलाके में बटवारा किया गया है, उसमें से कितनी भूमि भूमिहीन लोगों को दी गयी है और कितने ऐसे लोगों को दी गयी है जिन के पास सौ एकड़ से ज्यादा जमीन थी या उनके पास दूसरा जरिया भी जीवन वृत्ति रहा हो। मैं स्पष्ट इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं है, कि क्यों नहीं वह सारे प्रदेश में एक सा कानून लागू करते हैं? इसका कोई उत्तर नहीं है उनके पास कि जब हम ऐसी जगहों में जो बहुत ही पिछड़ी हुई जगहें हैं, वहां जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम को लागू कर सकते हैं तो कुमायूं में, जौनसार-बावर में क्यों नहीं लागू कर सकते, जब कि जौनसार-बावर के लिये सुधार करने के लिये रिपोर्ट करने वाली कमेटी ने भूमि सुधार के सिलसिले में जौनसार–बावर के दक्षिणी इलाके में टेनेंसी ऐक्ट को लागू कर देने की सिफारिश की। तो मैं इस बात का उत्तर चाहूंगा और सारा सदन चाहेगा कि माननीय मंत्री जी क्यों नहीं सारे प्रदेश में एक तरह का कानून बनाते हैं।

दूसरी बात यह कि जमींदारी विनाश कानून के लागू होने के बाद जो समस्यायें प्रदेश में खड़ी हुईं उनका समाधान करने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया? माननीय राजस्व मंत्री जी ने क्या किया, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है और मेरी ही समझ में नहीं बल्कि बहुत से लोगों की समझ में नहीं आती है। सबसे बड़ी समस्या जिसको उन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि जमींदारों ने चलते चलाते उन सड़कों और जमीनों का बन्दोबस्त कर लिया, सड़कों को जोत लिया, जो सिंचाई के स्थान थे, तालाब, तलैया, पोखर वगैरह उनको जोत लिया, इस बात को सरकार ने स्वीकार किया, २१ मई के बाद पट्टा न करने का नियम भी बनाया लेकिन क्या हुआ? क्या सरकार जानती है कि कितनी जमीनों पर आज खेती नहीं होती है और उस जमीन पर कागज में खेती होती है। आज सरकार यह उत्तर देती है कि ८० लाख एकड़ जमीन हमने गांव सभाओं को दे दिया, गांव पंचायतों को दे दिया लेकिन वस्तुस्थिति क्या है, इसको उन्होंने साफ नहीं किया, इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया। हमने तो कई बार ध्यान दिलाया कि ऐसी जमीनों को निकाल करके गांव पंचायतों को देने की व्यवस्था करें, कोई सस्ती से सस्ती तरकीब निकालें लेकिन इसके लिये वह तैयार नहीं हैं और फिर भी इस बात की डींग हांकते हैं कि हमने ८० लाख एकड़ जमीन गांव पंचायतों को तथा गांव सभाओं को दे दिया। दूसरी बात इन्दराजों की है। यह अनुमान तो इसी से लगाया जा सकता है कि पटवारियों के हटने की खबर मात्र से सदन प्रसन्न हो उठता है। हालांकि मेरी धारणा यह नहीं है कि इन्दराज गलत होने की सारी जिम्मेदारी पटवारियों की है। परन्तु ऐसी गलतियां हैं। उन इन्दराजों को दुरुस्त कराने का माननीय राजस्व मंत्री ने क्या प्रबंध किया? पिछले सेशन में हम लोगों ने एक अनुपूरक विधेयक भूमि व्यवस्था के संबंध में पास किया था। मैंने बार-बार पूछा था और आज भी पूछना चाहता हूं कि उस अधिनियम के अनुसार, इस संबंध में कितनी कार्यवाही हुई। अभी आजमगढ़ का किस्सा हमारे सामने मौजूद है। गोली चलती है, लोग मारे जाते हैं, और रोज ही

तूफान बरपा होता है। आज भी माननीय राजस्व मंत्री जी यह बाताने के लिये तैयार नहीं हैं कि वह क्या कर रहे हैं। आजमगढ़ में क्या हुआ, गाजीपुर में क्या हो रहा है और बलिया में क्या हो रहा है ? इन सब जगहों पर किस तरह से वह उनके हितों की रक्षा करने का बन्दोबस्त कर रहे हैं। एक बात अनुपूरक अधिनियम के पास करते समय यह कही गई थी माननीय राजस्व मंत्री से कि आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिये कि ज्यादा मुकदमेबाजी न होने पाये और उसमें गांव सभाओं और गांव पंचायतों को भी आप कान्फिडेंस में ले सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी लेकिन उस समय राजस्व मंत्री जी ने इन्कार किया और उसका कुपरिणाम भोग रहे हैं और उनसे अधिक भोग रहा है आजमगढ़ का वह हिस्सा जहां आज तूफान बरपा हो रहा है। यह कहा जा सकता है कि वहां पर लोगों ने गलत इन्दराज कराने की भी कोशिश की है। मैं भी मानता हूं कि जब एक हुड़दंग उठता है तो उसमें कुछ लोग गलत इन्दराज कराने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्यों नहीं इससे बचने का उपाय किया गया और अगर किया गया होता तो इससे अच्छा और इससे ज्यादा कोई और उपाय नहीं हो सकता कि गांव सभाओं को भी अपने कांफिडेंस में लें और उनसे लाभ उठायें। जहां पर गांव सभाओं से अनुचित लाभ उठाने की बात होती है वहां पर तो राजस्व मंत्री जी इससे चूकते नहीं लेकिन वहां पर उनको अधिकार देने की बात होती है, उनके लाभ उठाने की बात आती है तो उस वक्त मुंह मोड़ लेते हैं। इसके अलावा दूसरी बात क्या है। मैं इस वक्त उनके दो तीन विधि की कठिनाइयों को दूर करने के लिये जो आदेश निकले हैं उनकी तरफ भी उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बीमारी बढ़ा करके वह दवा करना जानते हैं क्यों नहीं जिस वक्त बीमारी होती है, जिस वक्त बीमारी का खतरा पैदा होता है उस वक्त इससे बचने का प्रिवेंटिव मेथड अख्तियार करते कि बीमारी होने ही न पाये। तो मैं यह कहूंगा कि वह बीमारी बढ़ने के बजाय पहले ही बीमारी न हो इस बात को वह सोचें। गवर्नमेंट इस्टेट्स की बात भी कुछ हमारे ध्यान में आयी। गवर्नमेंट इस्टेट्स ५३० सारे सूबे में हैं। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं माननीय राजस्व मंत्री जी से कि क्या कोई योजना है इन गवर्नमेंट इस्टेट्स में अनाज पैदा करने की, गन्ना पैदा करने की या किसी फसल को पैदा करने की। कोई सूत्र ऐसा नहीं है जिसके द्वारा इस संबंध में हम कोई जानकारी कर सकें। यह मैं दावे से कह सकता हूं कि इन गवर्नमेंट इस्टेट्स में गन्ने की खेती सबसे अधिक की जाती है। दूसरों को गन्ने की खेती के लिये उपदेश देते हैं कि गन्ने की खेती मत करो और अनाज अधिक उपजाओ लेकिन खुद सरकार इस बात को करती है और वहां जो खेती होती है उसमें गन्ना अधिक पैदा किया जाता है हम तराई भाबर के इस्टेट को लेंगे, उसके बारे में हमारे माननीय मंत्री जी बतायें कि कितना गन्ना पैदा किया जाता है और कितना दूसरा अनाज पैदा किया जाता है। दूसरे जो ५३० इस्टेट्स हैं वहां पर भी यह देखना चाहूंगा कि कितना गन्ना और कितना दूसरा अनाज पैदा किया गया। वह एक एक्सपेरिमेंटल फार्म्स हैं। वहां आदर्श फार्म्स होने चाहिये। वहां के मजदूरों को अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिये। दूसरे लोगों के लिये वह आदर्श होने चाहिये लेकिन उनको कितना आदर्श बनाया गया। कभी कोई लाभ की बात वहां की जनता को उससे नहीं हुई। कभी जनता को वहां से बीज देने का बन्दोबस्त नहीं किया गया। कहा जाता है कि १५ हजार मन बीज वहां के फार्म्स जो हैं उनसे दिया गया।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह १५ हजार मन बीज गन्ने का दिया गया, गेहूं का दिया गया या मसूर का दिया गया। १५ हजार मन बीज अगर गन्ने का दिया गया तो यह महत्व नहीं रखता है। उसी प्रकार वहां के मजदूरों की तनख्वाह के बारे में बतलाता हूं, वहां पर जो वैस्टेज होता है, जो नुकसान होते हैं उनकी तरफ भी उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर हो क्या रहा है ? वसूली के संबंध में माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह कहा कि वसूली सारे सूबे में बड़े संतोष के साथ चल रही है।

[श्री गेंदा सिंह]

पिछली मर्तबा हम लोगों ने कहा था कि वसूली के संबंध में ऐसी योजना बनाइये जिससे कम जुर्म हों और कम से कम खर्च हो। अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि पिछले वर्ष मालगुजारी १४ करोड़ वसूल की गयी और इस वर्ष १८ करोड़ से ज्यादा वसूल की गयी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष १४ करोड़ पर कितना खर्च हुआ और इस वर्ष १८ करोड़ वसूल करने पर कितना खर्च हुआ। यह भी कहा गया कि ४२७ गांव पंचायतों को वसूली का काम परीक्षण के तौर पर दिया जा रहा है और वह भी पहली अप्रैल से। पहली अप्रैल, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बहुत ही अशुभ तिथि मानी जाती है। और कामों के लिये दूसरे दिन रहते हैं लेकिन गांव पंचायतों को वसूल करने का काम माननीय राजस्व मंत्री पहली अप्रैल को देने जा रहे हैं। पहली अप्रैल के बारे में अंग्रेजी में चाहे जो कुछ समझा जाता हो और मैं माननीय मंत्री जी की नियत पर भी शक नहीं करता, लेकिन मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ऐसा करने में न्याय नहीं कर रहे हैं। वसूली के काम पर ७२ लाख रुपया खर्च होता है लेकिन अगर पंचायतों को यह काम दिया जाता तो यह रुपया बच जाता।

अभी उन्होंने पटवारियों के संबंध में भी कुछ कहा। जैसा मैंने पहले अर्ज किया वे इस बात को समझते हैं कि ऐसा करने से देश की जनता जय-जय कार बोलेगी। सदन के सदस्य जय-जय कार बोलेंगे, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे ऐसा साहस के साथ कहने के लिये तैयार हैं कि वे पटवारियों की प्रथा समाप्त कर रहे हैं। पटवारियों की प्रथा समाप्त नहीं कर रहे हैं बल्कि वे केवल पटवारियों का नाम लेखपाल बदल रहे हैं।

श्री चरण सिंह—उनके अधिकार क्या वही हैं जो पटवारियों के पहले थे?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—पुरानी शराब नयी बोतल में भर दी गयी है।

माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह कहा कि क्या उनके वही पुराने अख्तियार हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि लैंड टेन्योर सिस्टम को जितना आपने बदला है, उतना पटवारियों के अधिकार आप ने नहीं कम किये हैं। आज लैन्ड टेन्योर सिस्टम जैसा है उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पटवारी कल से आज ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। हजार मर्तबा राजस्व मंत्री जी सोचा करें लेकिन जमींदारी विनाश कानून पास होने के बाद और लागू होने के बाद पटवारियों ने काफी रुपया बनाया है। हां, एक बात जरूर है कि पटवारियों से वे नाराज क्यों हैं? पटवारियों से नाराज वे इसलिये हैं कि जब किसानों ने पटवारियों को रिश्वत देने से इन्कार किया, और पटवारियों ने यह कहा कि अगर हमको रिश्वत नहीं मिलेगी तो हम अपने हाकिमों को रिश्वत नहीं देंगे, उस वक्त से हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी उनसे नाराज हो गये हैं। जब तक पटवारी रिश्वत लेते थे और अपने ऊपर के सरकारी मुलाजिमान को रिश्वत देते थे, तब तक माननीय राजस्व मंत्री जी को पटवारियों से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन जिस वक्त पटवारी ने यह कह दिया कि हमारा तबादला होता है और हमको अगर रिश्वत नहीं मिलती है तो हम अपने ऊपर के हाकिम को भी रिश्वत नहीं देंगे, और सरकार हम को कम से कम पेट भर खाने के लिये दे, तो फिर माननीय राजस्व मंत्री जी नाराज हो गये। अब तबादले पर जब पटवारी एक जगह से दूसरी जगह जायेगा तो उसको वहां अपना घर बनाना पड़ेगा। माननीय राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि पटवारी, अपना घर बनावे और अपनी जोड़ू के साथ वहां रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं अन्त में अवश्य कहना चाहता हूं कि उनका यह भी कहना है कि अगर उसकी माली हालत खराब हुई तो उसको बरखास्त कर देंगे। जब यह सारी बातें उन्होंने कहीं तो पटवारी ने कह

कि खाने को दीजिये और जहां उसने खाने की बात कही, माननीय राजस्व मंत्री जी नाराज हो गये और अब कहते हैं कि बरखास्त कर देंगे। अगर आप बरखास्त कर देंगे तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप पटवारी प्रथा को खत्म करने जा रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि हमने दो घंटे तक उनको मनाने की कोशिश की। दो घंटे अगर हम से बात करते तो मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें मानी जाती। मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी उनकी नहीं हुई कि कभी एक घंटे भी मुझ से बात करते। जब मैंने कभी एक मिनट बात की तो कहा कि चुप रहो, लेकिन मैं कहता हूं कि पटवारियों से उन्होंने दो घंटे तक बात की। दो घंटे बात करने के बाद भी जब वह नहीं राजी हुये तो उसके बाद नाराज हो गये और कहा कि बरखास्त कर देंगे। इसके मानी हैं कि पटवारियों को आप रखना चाहते हैं, पटवारियों की प्रथा को आप रखना चाहते हैं। पटवारी रिश्वत देना नहीं चाहते इसलिये आप नाराज होते हैं और पटवारियों को पेट भर और भूख भर खाना देने से आप इन्कार करते हैं।

मैं अन्त में अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सूबे की सारी जनता की जिम्मेदारी एक तरह से माल विभाग के ऊपर है। उन्हें संयोजित योजना या कानून सोच समझ कर बनाना चाहिये। वे अभी कहेंगे कि तुम कम सोचते हो लेकिन मैं समझता हूं कि जब कभी वे कानून बनाते हैं तो वह कम सोचते हैं। आज फिर अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि उन्होंने कहा कि एक करोड़ ६३ लाख पटवारियों के ऊपर खर्च होता है। हम को सुनकर यह संतोष हुआ कि एक करोड़ ६३ लाख रुपया अब नहीं खर्च करना पड़ेगा लेकिन एक तरफ तो पटवारियों की बरखास्तगी का ढिंढोरा पीटा जा रहा है और दूसरी तरफ एक करोड़ ६३ लाख रुपया बजट में पटवारियों के लिये रखा गया है यह दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। इसलिये अब आप जो कुछ किया करें इसे स्पष्ट कहने की कृपा करें।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं कि इस समय से पहिले हमारे प्रदेश में जो वातावरण फैला हुआ था और हमारी गवर्नमेंट की ओर से कुछ अविश्वास बढ़ता जा रहा था उसको संभाल लिया। जनता में जो प्रेम कांग्रेसियों के साथ सन् १९३०, ३१ और ३२ में था, वही प्रेम इस समय भी माननीय मंत्री जी ने पैदा कर दिया है। अब रहा यह कि नये प्रकार से जो प्रबंध पटवारियों के लिये किया गया है, कुछ अंश तक मैं माननीय गेंदा सिंह जी के विचारों से सहमत हूं। जिन पटवारियों ने त्यागपत्र नहीं दिये थे वे एक प्रकार से बहुत ही चलाक. भ्रष्टाचारी थे। दूसरा वर्ग वह है जिनकी नियुक्ति करनी है, पूरी जांच के साथ ये नियुक्तियां करनी हैं कि वे किस प्रकार के लेखपाल बनाने हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पटवारी शेष रह गये हैं उनकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि मैंने अपने क्षेत्र में घूम कर ज्ञात किया है कि जो पटवारी अधिक संख्या में भ्रष्टाचारी थे उन्होंने ही त्यागपत्र नहीं दिये हैं इसलिये उन पटवारियों की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जो कार्यवाही वे करें पूर्णतः उन पर विश्वास नहीं होना चाहिये बल्कि जिलाधीशों, को यह आदेश देना चाहिये कि विशेष तौर से उनके ऊपर निगाह रखें। यह वर्ग एक प्रकार से आगे चलकर हमारी सफलता का कारण होगा। एक वर्ग और है पटवारियों के शिक्षण का, वह पटवारी स्कूलों से संबंधित है। मैं आप से कह देना चाहता हूं कि जिन पटवारियों को आगे चल कर लेखपाल कहा जायगा उनको इस प्रकार से शिक्षा देनी है कि पहले से ही भ्रष्टाचार मिटा दिया जाय। जिस समय इन लड़कों का दाखिला होता है, हर एक जिले में एक एल० आर० सी० (लैन्ड रिकार्ड्स क्लर्क) होता है और उसके साथ में एक सदर कानूनगो होता है, वह जिले में चुनाव करते हैं। मैं तो यह समझता हूं, जहां तक मैंने देखा है, कि वे लोग जो अधिक से अधिक

[श्री श्रीचन्द]

रुपया देते हैं वही भरती कर लिये जाते हैं। इस संबंध में मैंने मंत्री जी से कहा भी था और मेरी बातों को स्वीकार भी किया है और मुझे विश्वास है कि जो कुछ त्रुटियां पटवारियों के स्कूल शिक्षण, और बोर्डिंग हाउस इत्यादि के बारे में हैं वे शीघ्र दूर हो जावेंगी।

इसी प्रकार इस विभाग से संबंधित एक दोष यह भी है कि इस विभाग में और दूसरे विभागों में भी कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनका कार्य एकसा ही है। जैसे लेखपाल जो नया नाम रखा जा रहा है पतरौल, ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरी और ट्यूबवेल के आपरेटर्स ये चार कर्मचारी ऐसे हैं जिनका काम आपस में मिलता जुलता है। अगर ये जिन्स सिंचई के साधन, लिखते हैं तो वे लगान, महसूल, आबपाशी और काश्तकार इत्यादि तो ये एकसे ही होते हैं। मेरा अनुरोध है कि यदि इन विभागों के कार्य की बचत का ध्यान रख कर जोड़ दिया जाय और कुछ कार्य विभाजन हो जाय जिससे एक ही कार्य २ या ३ आदमियों को न करना पड़े और उनका एक ही नाम रख दिया जाय और केवल विभागीय उपनाम उसके साथ जोड़ दिये जावें, तो इससे काम में बहुत सुविधा हो सकती है और बचत भी होगी। इसके पश्चात् जितने भी पटवारी कागजात हैं उनमें बहुत कार्य कम हो गया है और ये कार्य इसी तरह से विभाजित किये जा सकते हैं। मुझे अनुभव है कि लैन्ड रेवार्ड्स मैनुअल के पैराग्राफ ८७ और ८४ में जो आदेश दिये हुए थे उनका पालन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता था। किसी कानूनगो ने भी इसे नहीं देखा। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने कहा है, एक आज्ञा भेज दी गई है जिसमें कानूनगो, प्रधान और पटवारी सभी मिल कर इंदराज का ख्याल करेंगे। लेकिन मुझे एक भय इसमें यह भी है कि पटवारी चालाक लोगों से मिलकर उनका नाम खसरे के खाना कैफियत में उनका नाम बतौर काबिज के यदि लिख दें तो वास्तविक काश्तकार के लिये कुछ कानूनी आपत्ति हो सकती है कि ३ साल के पश्चात् तमादी आरिज हो जाती है। यह झंझट इसके साथ पड़ जाता है। मैं समझता हूं कि कोई कानूनी बात ऐसी होनी चाहिये कि जो पटवारी कागज हैं उनमें कानूनी रुकावट किसी तरह से पैदा न हो। इस समय मैं देख रहा हूं कि ऐसे काश्तकार जिनके नाम पटवारी के कागजात में दर्ज थे परन्तु कब्जा दूसरे का ही है तो जब लगान लेने के लिये अमीन पहुंचता है तो उन लोगों ने जिनके नाम फर्जी चले आ रहे थे उन्होंने ही अमीन को लगान दे दिया है और अब वह कोशिश कर रहे हैं कि जब हमने अमीन को लगान दे दिया तो हमारा इस खेत पर कब्जा रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के जितने भी अनुचित कार्य हो रहे हैं मुझे उन्हें सुलझाने की आवश्यकता है और अन्त में मैं यह निवेदन और कर दूं माननीय मंत्री जी की सेवा में, कि इस विभाग में जितनी भी त्रुटियां हैं वे लगभग पटवारियों के सुधरने से ठीक हो गई हैं और मुझे विश्वास है कि आगे भी उन्हीं के कारण जैसे एक विभाग को पकड़ा है इसी प्रकार से इनको देखकर और इनका उदाहरण लेकर दूसरे विभाग भी हमारी सरकार के सब ठीक हो जायेंगे। यदि ऐसा किया जायगा तो हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और हमारी बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जावेंगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो आपने नया प्रबंध किया है उसकी ओर ध्यान दिया जाय और दूसरे विभागों में भी तुरन्त कड़ाई से काम करके सुधार आरम्भ कर दिये जायं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने भूमि व्यवस्था में जिस प्रकार का सुधार किया है और अपने प्रांत के किसानों को जितनी सुविधायें दी हैं और आप आगे सुधार करने के और सुविधा देने पर जो वह विचार करते जा रहे हैं उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन जहां तक पटवारियों का संबंध है उस पर कुछ कहना चाहता हूं एक कड़ी तो उन्होंने अपने ख्याल से दुरुस्त कर ली है। चाहे नामकरण संस्कार में आगे बढ़ गये हों लेकिन जो पटवारियों को बरगलाने वाली चीज थी जिनकी वजह से लेखपाल नाम भले ही दे दिया जाय लेकिन वास्तविक

सुधार होने की गुंजायश नहीं है। वह असली कड़ी है गिरदावर कानूनगो साहबान की उनका अनुभव रहा होगा और हमारा भी अनुभव है कि जो थोड़ी बहुत तनख्वाह पटवारियों को मिला करती थी, हर पहली तारीख को या १६ तारीख को वह दो चार रुपया दस्तूर के तौर पर गिरदावर कानूनगो को दिया करता था, वह अब भी मौजूद हैं जिन्होंने इतने दिनों तक सिखा पढ़ाकर अपनी जेब गरम की है तो मुझे अध्यक्ष महोदय, भय है कि नाम में परिवर्तन भले ही हुआ हो लेकिन उनमें इस तरफ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न उनके बारे में कोई जिक्र ही किया गया है। तो क्या यह भय नहीं रह सकता है। लेखपालों का नाम सुन्दर होते हुये भी वह कहीं उनको बरगला न दें और जिस मकसद को हम पूरा करना चाहते हैं कि किसान अपने खेतों को अच्छी तरह से फरटाइल करे और अपने पशुओं का अच्छी तरह से पालन करे और बीच में ऐसी कोई कड़ी न आये जिससे उत्पादन में कोई बाधा पहुंचे। इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि गिरदावर कानूनगो की तरफ भी ध्यान दिया जाय।

ऊपरी व्यवस्था तो माननीय मंत्री जी ने जमींदारी अबालिशन करके ठीक कर ली है क्योंकि किसानों को जमींदारों के चंगुल से बचा लिया है। लेकिन अब भी बहुत से सरकारी कर्मचारी और मध्यवर्ती हैं, इसका हम अहर्निश अनुभव करते हैं। तहसीलों में एक सूची दी है कि इतने नायब तहसीलदार साहबान मुकर्रर किये गये हैं, इतने अमीन मुकर्रर किये गये हैं, और उनको जहां संतोष है वहां मुझको भी संतोष है कि जो रुपया मालगुजारी के सिलसिले में वसूल किया जा रहा है उसमें वह शिकायतें अब नहीं हैं जो पहले रहा करती थीं लेकिन हम इस बात की गारंटी नहीं कर सकते हैं कि अदला बदली में रहने वाले लोग क्या करते हैं।

आज भी कहा जाता है कि लेखपालों में से कानूनगो हो सकते हैं, रजिस्ट्रार कानूनगो हो सकते हैं लेकिन यह जो ढाई हजार साहबान बाकी रह गये हैं २८ हजार में से उनका क्या हश्र होगा। यानी २५०० ने इस्तीफा दे दिया है बकिया नहीं दिया है तो वह रहेंगे या नहीं। अगर वह रहेंगे तो वह संक्रामक रोग फैलाने के लिये काफी हैं। श्रीमन्, २,००० के करीब वह रहते हैं जिनका आपने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। श्रीमन्, इसका माननीय माल मंत्री जी ने कुछ भी जिक्र नहीं किया है कि उन्होंने इस्तीफे दे दिये हैं अगर वह आपके सामने प्रार्थनापत्र लेकर पहुंचें तो उनकी तकरुरी होगी या नहीं। इस पर भी श्रीमान्, प्रकाश डालना चाहिये था। मुझे मालूम नहीं है कि आप उनको रखेंगे या नहीं। लेकिन भूले भटके जरूर कहीं न कहीं से इन लोगों की इम्दाद से जो आयेंगे उनका क्या होगा। मैं आपको अपने तजुर्बे की बतलाता हूं कि पटवारियों की जगह लेखपाल का नामकरण संस्कार होने पर भी कुछ न कुछ तरीका जरूर अख्तियार कर लिया जायगा। आजकल कहा जाता है कि लैण्ड रिकार्ड मैनुअल में काफी सुधार किये गये हैं। ठीक है और काफी सुविधायें पटवारियों को थीं और आज दो चार रुपये जो भत्ता दिया जा रहा है वह भी सुविधा है। उतनी सुविधायें जो लेखपालों के लिये दी जा रही हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। सामाजिक और आर्थिक स्थिति जैसी हमारे देश की है उसको देखते हुये वे जो कुछ भी थोड़ा बहुत पाते हैं उससे उनका उदरपोषण नहीं होता है। चारों तरफ ऐसा वायुमंडल है कि उनको भड़काने में कोई ज्यादा देर नहीं लग सकती है। अब क्या प्रतिबन्ध समय समय पर हमारे मंत्री जी करेंगे उसको हमें देखना होगा कि क्या सफलता मिलेगी। लेकिन एक हमको शिकायत यह भी है कि जब आप अमीनों की तकरुरी कर रहे थे तो मैंने विरोध किया था कि उनसे हमको खतरा है। पूर्वी जिलों में तो वे बटवारे का काम करते हैं लेकिन पश्चिमी जिलों में जो आबपाशी के सिलसिले में अमीन का काम करते हैं उन्हीं के मुकाबिले में हमारे माल मंत्री जी का कहना था कि इस प्रकार के वे अमीन होंगे। आज कल शिकायत होने लगी है, जिस गांव में वे पहुंचते हैं उनका दस्तूर थोड़ा बहुत बढ़ता जा रहा है। तो यह कहना कि आपके

[श्री रामकुमार शास्त्री]

कान तक यह चीज नहीं पहुंची, ठीक नहीं होगा। हम लोग जो गांवों में रहते हैं वे जानते हैं कि शनैः शनैः यह चीज हो रही है। लेकिन ये जितनी कड़ियां यहां से तहसीलदार तक लगी हुई हैं उन पर जब तक सतर्कता से अवलोकन नहीं होगा तो मुझको भय है कि ये जो दो हजार के करीब लोग हैं ये सिवाय हानि पहुंचाने के लाभ नहीं पहुंचायेंगे।त ालीम की घुटाई आप कहते हैं। मैं नहीं जानता कि कितने दिनों में उनकी घुटाई हो जायगी। नये नये बीस बीस, बाइस साल के लड़के उसमें आयेंगे। जो भूमि व्यवस्था हमारे प्रांत की है वह समस्त देश के अन्य प्रांतों से जटिल है। तो उस जटिलता में थोड़े दिनों की घुटाई से काम चल जायगा, मैं समझता हूं कि यह ठीक है नहीं।

पटवारियों की शिकायत की जाती है। मैं पटवारियों के लिये एक साफ्ट कार्नर भी अपने दिल में रखता हूं। जहां बन्दोबस्त हुआ है और फर्जी सीर, खुदकाश्त लिखने की जहां मिसालें हैं और जिसको मैं मानता हूं, बहुत रिश्वतें उन्होंने लीं, लेकिन क्या यह बात भूलने के लायक है कि पंचायत राज के सिलसिले में इसी सदन में मुक्तकंठ से हमने उनकी प्रशंसा की थी? उनमें से ऐसे भी पटवारी हैं, हमारे फूलसिंह जी पटवारियों के अग्रगण्य रहे हैं और कई बार मुख्य मंत्री जी के सामने उनके समस्याओं को उपस्थित किया था, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया था। ऐसे भी पटवारी हमको मिले हैं कि जिनको बर्गलाया गया, मारा गया और पीटा गया और कहा गया कि अगर तुम हमारे आंदोलन में शरीक नहीं होते तो तुमको बैठने की जगह नहीं है और मजबूरन उन्होंने इस्तीफा दिया। तो पटवारियों को भी यह कहना कि समस्त २८ हजार के २८ हजार पटवारी खराब हैं यह ठीक नहीं है। जहां बस्ती जिले की यह शिकायत आती है कि वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बड़ी उदारता से काम लिया वहां बांसी तहसील में ऐसे भी वाकयात मिलेंगे जिनको आपके देखने की जरूरत है। इसलिये मैं माल मंत्री जी से कहूंगा कि ऐसे भी पटवारी आपको मिलेंगे जिनकी तरफ हमदर्दी की निगाह अवश्य करनी पड़ेगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय श्री गेंदासिंह जी ने कहा कि हमारे माननीय माल मंत्री जी की वाणी में इतना जादू है कि वह इस सदन को मोहे लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यही है कि उनकी वाणी में जादू है और वह जादू इसलिये है कि हमारे मंत्रिमंडल का एक ही व्यक्ति ऐसा है जो किसान है, जिसके हृदय में उत्पीड़न है, पीड़ा है और जब वह बोलता है तो उसकी वाणी से किसानों की आवाज निकलती है कम से कम हमारी सरकार के अन्दर एक ऐसा मंत्री है जिसने किसानों की भलाई के लिये जो काम किया है और कर रहा है उसका आज इतिहास और उत्तर प्रदेश के किसान गवाह हैं।

अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहता हूं कि हमारे प्रदेश में ३६ लाख १२ हजार व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है और वे कांग्रेस सरकार की ओर आंखें लगाए हुए हैं इसलिए समय आ गया है कि माननीय मन्त्री जी को उनके लिए भी कुछ न कुछ अवश्य ही करना चाहिए। आचार्य विनोबा भावे के आन्दोलन से जो प्रतिक्रिया हुई उससे उन्हें कुछ सन्तोष हुआ है। अतः हम ऐसे किसान हितैषी मन्त्री से आशा करते हैं कि कम से कम, ३० एकड़ से ज्यादा जमीन जिनके पास है, उनसे ले ली जाय और भूमि-हीन मजदूरों के परिवारों में बांट दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान एक बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने जो तक़ावी की व्यवस्था रखी है उसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पूर्ण अधिकार दिये हैं और यह जिलाधीश महोदयों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि किसी को वे तक़ावी दें या किसी को न दें। वे देते हैं उसी को जिससे तक़ावी वसूल हो सकती है और जिससे नहीं हो सकती है, उसको नहीं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको

तक़ावी दी जाती है लेकिन किसानों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता। यानी अन्य आवश्यकताओं के लिए तक़ावी ले लेते हैं खेती के नाम पर। मैं माननीय मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि इस तक़ावी को उन मजदूरों और भूमिरहित व्यक्तियों को भी तक़ावी दी जाय क्योंकि जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उन्होंने मनीलेन्डर्स को ख़त्म कर दिया है। जब महाजन समाप्त हो गये हैं तो इन ३६ लाख १२ हजार भूमिहीन मजदूरों का कोई सहारा ही नहीं रहा। जब आप किसानों के लिए तक़ावी की व्यवस्था करते हैं तो उन भूमिरहित मजदूरों के लिए भी, जो कि गांवों में रहते हैं, तक़ावी की व्यवस्था करना चाहिये जिससे वे अपना कार्य चला सकें।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि हमने पटवारियों को ख़त्म कर दिया और प्रदेश के किसानों, बड़े-बड़े आदमियों और गरीब जनता की तरफ़ से शुभ कामनायें आयीं और आ रही हैं कि बड़ा अच्छा कार्य किया। उनके बारे में माननीय शास्त्री जी ने जो कुछ कहा मैं उससे सहमत हूं कि आप एक समाज के द्रोही को समाप्त करके दूसरे लेखपालों को भर्ती कर रहे हैं। उस पर कितना ख़र्चा होगा यह आप स्वयं जानते हैं आपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को उनकी नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वे किस तरह के व्यक्ति होंगे और किस प्रकार से वे नियुक्तियां की जायेंगी तथा उनसे किस प्रकार का फ़ायदा किसानों को हो सकेगा। उनके बारे में जो कुछ माननीय शास्त्री जी ने कहा मैं उससे पूर्णरूपेण सहमत हूं कि वे भी पटवारियों की तरह ही साबित होंगे। इसलिए मेरी राय में उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं। जहां तक पंचायतों से कलेक्शन का सवाल है मैंने उसके बारे में एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें यह लिखा हुआ था कि मालगुजारी पंचायतों के द्वारा वसूल करने का परीक्षण किया गया, लेकिन उस रिपोर्ट में आगे यह नहीं बतलाया गया कि वास्तव में इसमें सफलता मिली या नहीं। इस काम के लिए १० हजार के क़रीब अफ़सर नियुक्त किये गये हैं और उन पर क़रीब ८० लाख रुपया ख़र्च किया गया है। भूमि से १८ करोड़ रुपये की आमदनी होती है। तो उस आमदनी के हिसाब से जो ख़र्चा होता है, वह ज्यादा ही होता है और इस ख़र्चे को हम बचा सकते हैं। उसे जनता की भलाई के लिए ख़र्च कर सकते हैं। अतः मैं पुनः माननीय मन्त्री जी ! निवेदन करूंगा कि वसूली के लिए आप पंचायतों को अधिकार दें और पंचायतों के जो सेक्रेटरीज हैं तथा जो लेखपाल आप नियुक्त कर रहे हैं, उनसे इस काम को लें, तो इस मद में आपको बहुत भारी बचत हो जायगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान को देखने से प्रतीत होता है और अगर सारे बजट को देखा जाय, तो १ करोड़ २१ लाख रुपया कंटिजेंसी के लिए ही रक्खा गया है। अगर इस ख़र्चे के आंकड़े को देखें, तो हर अनुदान में यह कंटिजेंसी भरी पड़ी है। इस ख़र्चे को कम करके और इसमें बचत करके उसे दूसरे अच्छे कामों में जैसे निर्माण कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। एक बार फिर माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल के लिए नाम निर्देशित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देना चाहता हूं। नर्सेज ऐण्ड मिडवाइव्ज कांउन्सिल के लिए दो सदस्य चुने जाने वाले हैं। इसके लिए श्रीमती प्रकाशवतीसूद और श्री बसंतलाल शर्मा की नामजदगी हुई है। तो यदि इनमें से कोई अपना नाम वापस न ले जब तक कि वापस लेने का वक्त है तो यही दोनों सदस्य कौंसिल के लिए भी बाद में घोषित कर दूंगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री [illegible] की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

सदन का समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव

अधिष्ठाता––मैं समझता हूं कि बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या अधिक है। इसलिए मैं बजाय १० मिनट के ७ मिनट का समय निर्धारित करता हूं।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसको ४ बजे तक ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा है।

अधिष्ठाता––किसी माननीय सदस्य को इसमें आपत्ति तो नहीं है कि बजाय साढ़े तीन बजे के इस अनुदान को ४ बजे तक ले लिया जाय?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––अगली अनुदान रिसर्च डेवेलपमेंट के लिए भी बहुत आवश्यक है। अतएव उचित यही होगा कि रामनरेश शुक्ल जी समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लायें।

अधिष्ठाता––माननीय राजस्व मन्त्री, आपको सदन का समय बढ़ाने में तो कोई आपत्ति नहीं है?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)––मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अधिष्ठाता––इस अनुदान पर बजाय साढ़े ३ बजे तक के ४ बजे तक वादविवाद होगा और सदन बजाय ५ बजे तक के साढ़े ५ बजे तक बैठेगा।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़))––मैं आशा करूं कि अब समय बजाय ७ मिनट के १० मिनट ही रहेगा।

अधिष्ठाता––नहीं, समय ७ मिनट ही रहेगा।

वित्तीय वर्ष १६५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या २–लेखा शीर्षक ७–मालगुजारी (क्रमागत)

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)––इस अनुदान पर बोलते समय माननीय मन्त्री महोदय को धन्यवाद दिये बिना जी नहीं मानता। जब से यह सरकार बनी है, मैं समझता हूं कि प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझता है कि यदि सरकार ने कोई क्रान्तिकारी कदम उठाया है, यदि उसने कोई मौलिक परिवर्तन यहां के जीवन में किया है, यदि प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को उठाने का प्रयत्न हुआ है तो वह राजस्व मन्त्री की कृषि सम्बन्धी, भूमि सम्बन्धी व्यवस्था के फलस्वरूप ही हुआ है। इसलिए इस अनुदान के समर्थन में जितनी भी बातें कही जा सकती हैं कहनी चाहिए। देश में जो जीवनस्तर बन रहा है, देश के समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, वह प्रिय परिवर्तन राजस्व मन्त्री के प्रयत्नों के कारण हमारे देश में प्रारम्भ हुआ है। लगान सम्बन्धी वसूली के सिलसिले में और पड़तालों के सम्बन्ध में जो बातें की गयी हैं वे एक-एक ऐसे वैज्ञानिक ढंग से की गयी हैं जो प्रशंसनीय हैं। भूमि व्यवस्था और जमींदारी एबोलिशन के बाद जो दूसरा क्रान्तिकारी कदम उठाया गया वह चकबन्दी का है। भूमि व्यवस्था और जमींदारी एबोलिशन के बाद एक ही प्रश्न था जो कि हर एक को हैरान और परेशान कर रहा था। वह जोतों के सम्बन्ध में था। माननीय मन्त्री जी ने इस परेशानी को महसूस किया और इस बात का प्रबन्ध किया कि १३५६ फ़सली की जो जोतें हैं उनके लिए सेकिंड क्लास मैजिस्ट्रेट फ़ौरन जाकर इस बात की इन्क्वायरी करेगा कि जिसकी वह जोत होगी उसको वह कब्जा

दिलायेगा। मैं समझता हूं कि जमींदारी एबोलिशन, चकबन्दी और जोतों के सम्बन्ध में यह जो व्यवस्था के नियम बने ये नियम इस क़दर वैज्ञानिक हैं, ये अपने स्थान पर इतने अनुकूल हैं और समाज के लिए लाभप्रद हैं कि किसी को कोई गुंजाइश शिकायत की नहीं हो सकती। फिर भी मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जोतों के सम्बन्ध में जो परेशानियां जिले जिले में आ रही हैं वह इसलिए नहीं कि सरकार कहीं चूक गयी बल्कि इसलिए कि लोगों का जो सहयोग होना चाहिए, चाहे कोई किसी दल से सम्बन्ध रखता हो, वह सहयोग नहीं मिल रहा है। माननीय गेंदा सिंह जो इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं उन्होंने आजमगढ़ जिले की चर्चा की, जोतों और पड़तालों की चर्चा करते हुए यह कहा कि वहां गोलियां चल रही हैं और क़त्ल हो रहे हैं, बलवे हो रहे हैं और न जाने क्या-क्या हो रहे हैं। वह यहां पर इस समय नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज उनके पास किसी न किसी तरह से पहुंचे। मैं उनको दावत देता हूं आजमगढ़ चलने के लिए। मैं किसी भी सदस्य को जो इस तरह से महसूस करते हैं आजमगढ़ चलने के लिए दावत देता हूं। आज आजमगढ़ जिले में एक अव्यवस्था फैलाई जा रही है, कुछ व्यक्तियों के द्वारा। आजमगढ़ जिला एक ग़रीब जिला है जिसमें १० रुपये से ५० रुपये तक के मालगुजारों से बड़े मालगुजार नहीं थे और अगर थे भी तो बहुत नगण्य। जमींदारी की समाप्ति के बाद वहां लोग मामूली काश्तकार हो गये हैं। कांग्रेस के अतिरिक्त जो दूसरी पार्टियां हैं उनका केवल एक ही कार्य रह गया है कि तरह-तरह के काश्तकारों को परस्पर लड़ावें। १० रुपये के काश्तकार हैं या १५ रुपये के काश्तकार हैं, १० बीघे के काश्तकार हैं और ७ बीघे के काश्तकार हैं दोनों को आपस में लड़वा दिया, मुक़दमेबाजी करवा दी, बलवे करा दिये, आदि-आदि। रामसुन्दर जी पाण्डेय की कांस्टीटुएंसी से कुछ दरख्वास्तें आयी हैं मैं कहता हूं कि उनमें से कम से कम ७५ फ़ीसदी दरख्वास्तें बिलकुल ग़लत हैं। केवल लोगों के बरगलाने से ही वे दरख्वास्तें दी गई हैं। सन् १९५१ में वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कुछ खेतों की पड़ताल ख़ुद की थी और उसके बाद उन्होंने एक आर्डर दिया था। उसको कार्यान्वित किया गया। लेकिन आज कुछ लोगों ने बहकाकर दरख्वास्तें उसके ख़िलाफ़ दिलायी हैं और वे सत्यता के प्रतिकूल हैं। बहुत सी दरख्वास्तें ऐसे लोगों से दिलायी गयीं जिनका नाम तो दरख्वास्तों में है लेकिन उनको मालूम भी नहीं है कि दरख्वास्तें क्या हैं? उनको कुछ का कुछ बताकर दरख्वास्तें दिलाई गयी हैं। कुछ को यह कह कर दिलायी गयीं हैं कि यदि वह दरख्वास्त दे देंगे और अगर सही और झूठ साबित हो गया तो उनको जमींदारी वापस मिल जायगी। किसी को अगर वह दस पांच वर्ष से खेत पर जोतने वाला है तो उसका हक़ खेत पर हो जायगा। यह कहकर दरख्वास्तें लिखवा ली गयीं। मैं समझता हूं कि जो सरकार की नीयत है उसमें सहयोग करने से ही समाज की व्यवस्था चल सकती है। मैं समझता हूं कि अगर जमींदारी उन्मूलन बिल और जोत सम्बन्धी जो नियम हैं और जो चकबन्दी के नियम हैं उनको अगर कार्यान्वित करना है तो हर एक को संजीदगी के साथ आगे बढ़ना है। इस सम्बन्ध में सरकार के साथ हमारा सहयोग होना चाहिए और सहयोग की दृष्टि से ही काम होना चाहिए। जो समाज को ऊंचे उठाना चाहते हैं उनको चाहिए कि समाज को सुव्यवस्थित बनावें क्योंकि अव्यवस्था में तो ग़रीबों का ही नुक़सान है। बलवे, मुक़दमे और गोली चलना वैसे तो आजमगढ़ जिले में कोई भी गोली नहीं चली, लेकिन वह सब न हो तो अच्छा है उसके लिए और देशहित के लिए यह आवश्यक है कि व्यवस्था कायम हो और पार्टियां और व्यक्ति भी खूब छान-बीन के साथ जनता को सही बातें बताकर कार्य नहीं करेंगे तो सरकार के कार्य में अड़चन पड़ेगी। जिस कार्य को राजस्व मन्त्री जी करना चाहते हैं और जिसका वे परिचय भी दे चुके हैं, दे रहे हैं उस पर वे सफलतापूर्वक बढ़ नहीं सकते।

अन्त में मैं पटवारियों के सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं। समय बदल रहा है, व्यवस्था बदल रही है। जमींदारी टूट गयी है, चकबन्दी हो जायेगी। उसके बाद निश्चित रूप से पटवारियों का कार्य भी बदल जायेगा और पटवारी जिस रूप में आज तक था उसकी वह आवश्यकता भी नहीं रह जायगी। अब गांवों में प्रधान हैं, सरपंच हैं, सेक्रेटरीज हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर जो १५ हजार नये पटवारियों की नियुक्ति हुई है उसमें पुरानी

[श्री पद्मनाथ सिंह]

शैली का अनुकरण न करें। मैं समझता हूं कि राजस्व मन्त्री जी ने जो क्रान्तिकारी क़दम उठाया है उसी तरह से इस व्यवस्था के लिए भी क़दम उन्हें उठाना चाहिए और यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि यदि पटवारियों की व्यवस्था समाप्त हो गयी तो उसका स्थान दूसरी व्यवस्था को लेने में किसी को परेशानी न उठानी पड़े।

श्री रामसुन्दर पांडेय (ज़िला आज़मगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री जी ने एक बात कही कि मालगुज़ारी की वसूली में कोई शिकायत नहीं आयी है। उस सम्बन्ध में मैं अपने ज़िले आज़मगढ़ की दो एक बातें कहना चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय, हमारे आज़मगढ़ ज़िले में उन स्थानों को मैंने देखा है जहां से घाघरा बहती है और घाघरा के कटाव से हज़ारों एकड़ ज़मीन कट गयी है और अब खेती के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी उन किसानों से मालगुज़ारी वसूल की गयी है और बड़ी सख्ती से वसूल की गयी है। आज़मगढ़ ज़िले की हर एक तहसील की हालत को राजस्व मन्त्री जी भी जानते हैं कि लगातार सूखा और बाढ़ आने के कारण वहां की हालत ख़राब है, फिर भी मालगुज़ारी जिस सख्ती के साथ वसूल की गयी है, मैं समझता हूं कि उसकी बात शायद राजस्व मन्त्री जी के कानों तक नहीं आयी हो। आज सदन में हमारे साथी श्री गेंदासिंह ने आज़मगढ़ ज़िले के सम्बन्ध में भूमि व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाले क़ानून के सम्बन्ध में चर्चा किया अर्थात् गलत इन्दराज दुरुस्त करने के क़ानून के सम्बन्ध में कहा। इस सदन में माननीय राजस्व मन्त्री जी द्वारा केवल एक ही क़ानून बनाया गया जो सबसे अच्छा कहा जा सकता है ग़लत इन्दराज दुरुस्त करने का। इससे यह हुआ कि वे किसान और खेतिहर मज़दूर जो २० वर्षों से खेतों को जोतते बोते चले आ रहे थे लेकिन काग़ज़ में ग़लत इन्दराज होने की वजह से वह उससे बेदख़ल कर दिये जाते रहे हैं। इससे राहत मिलने की आशा है। मुझे माननीय पद्मनाथ सिंह जी की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं पद्मनाथ जी से पूछना चाहूंगा कि वे स्वयं जिस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर आये हैं उस क्षेत्र में उन्होंने कितनी नोटिसें बांटी हैं और सभायें की हैं जिससे प्रेरित होकर किसान ग़लत इन्दराज दुरुस्त कराने के लिए प्रार्थना-पत्र देते। प्रचार न होने के कारण उनके क्षेत्र के किसानों ने प्रार्थना-पत्र नहीं दिये हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनके क्षेत्र में उनके घर के पास जहां पर माननीय राजस्व मन्त्री जी जा चुके हैं बढ़ुवा गोदाम गांव है जहां पर किसान ही बसते हैं। वहां पर मैं १५ मार्च को कुछ साथियों के साथ गया था। हमने देखा कि बढ़ुवा गोदाम में जहां पर किसानों की बहुत बड़ी आबादी है वहां पर जांच में अधिक खेत ज़मींदारों को दे दिये गये हैं। किसानों के पक्ष के खेत रुके हुए हैं और ज़मींदार लोग काटने नहीं दे रहे हैं। मैं दो नाम जानता हूं श्री भोला सिंह और श्री बासुदेव सिंह, जोकि गांव सभा के प्रधान भी हैं। किसानों ने हाकिमों के पास प्रार्थना-पत्र भी दिये, परन्तु १५ मार्च तक कोई इन्तज़ाम नहीं किया गया था। ज़मींदारों का ही पक्ष लिया जा रहा है। आज भी वहां पर किसानों की खड़ी फ़सलों को काटा जा रहा है और पुलिस वाले ज़मींदारों का साथ दे रहे हैं। बीबीपुर, महमूदाबाद तहसील में किसानों के ऊपर बहुत सख्ती हो रही है और हाकिम परगना इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मैं पद्मनाथ सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा किसान है जिसने ज़मींदार के खेत को काटा है और कौन सा ऐसा किसान है जिसने ज़मींदार को मारा है और कौन ऐसा किसान है जिसने पुलिस को मारा हो। माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने देखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर जनता का दमन करने के लिए ज़मींदारों का साथ दिया जा रहा है और ज़मींदारों के नाम से लिखे हुए खेतों को जो ग़लत इन्दराज हैं उनको क़ायम रखा जा रहा है। किसानों को आतंकित करने एवं ज़मींदारों का ग़लत स्वार्थ अक्षुण्ण रहे पुलिस की पी० ए० सी० की बटालियन वहां पर बुलायी गयी है। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं क्योंकि मैं अभी १४, १५ तारीख़ को आज़मगढ़ ज़िले के २०० मील एरिया का चक्कर लगाकर आया हूं। वहां पर मैंने देखा है और अपनी ख़ुद आंखों से देखा है, झूठ नहीं बोलता हूं कि जो कुछ वहां पर हो रहा है उसको देखने के लिए माननीय पद्मनाथ सिंह जी को दावत देता हूं। कि वह मेरे साथ चलें और देखें कि वहां पर क्या हो रहा है। मैं

राजस्व मन्त्री जी से भी निवेदन करता हूं कि वह भी चलें और देखें कि हमारी बात सही है या माननीय पद्मनाथ सिंह जी की बात सही है। अभी आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में एक विराट प्रदर्शन इसी २२ मार्च को होने जा रहा है जो कि इस रवइये के खिलाफ़ होगा। मैं दो एक किसानों के नाम आपको बतला सकता हूं जिनके खेत काटे गये हैं। खैरा मुहम्मदपुर के महगुमर और बलनी चमार हैं। ढडवल पटराव के श्रीराम केवल अहीर और भोजीपुरा के बेलबली के श्री दुख अहीर हैं जिनके खेतों को पुलिस द्वारा जमींदारों ने कटवाया है। श्री इन्द्रदेव चौहान जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता हैं पुलिस द्वारा मारे गये हैं और उनको १०७ में बन्द कर दिया गया है। यह सब कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर असल में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता और एवं जनता को आतंकित करने के लिए इस तरह के दांवपेंच की बातें की जा रही हैं। सही बात तो यह है कि वहां के अधिकारियों के ऊपर वहां कांग्रेसियों का वरदहस्त है और जो कुछ भी करते हैं वह सही समझा जाता है और उनके कामों का वे लोग समर्थन करते हैं। माननीय सदस्यों को और माननीय राजस्व मन्त्री को अगर सही बात खेती की देखनी हो तो वह एक दिन के लिए मेरे साथ वहां पर चलें, मैं उनको दिखा दूंगा कि नेमडाड के साथी अगर असगर अन्सारी को जमींदारों के गिरोह ने मारा। वहां के किसानों से मालगुजारी वसूल की गयी है पर ग़लत फ़ैसला किया गया है। और जाकर देखें कि सही मानों में वहां जनता के खेतों के सही इन्द्राज हो रहे हैं या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैंने वहां अपनी आंखों देखा है कि हाकिम लोग एक जगह बैठकर दस-दस गांवों के मुकदमे करते हैं और न वह खेतों पर जाते हैं और न किसी की गवाही ही लेते हैं। वहां सोशलिस्ट पार्टी के आदमी क़त्ल किये जाते हैं और जमींदारों के लठबन्द गिरोह कांग्रेसी गिरोहों की मदद से किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं और मुझे यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि वहां गांवों के लोग परेशान हैं और वहां जमींदारों और कांग्रेस के लोगों का गठबन्धन स्थिर होता जा रहा है। श्री पद्मनाथ सिंह जी ने जो कहा है कि वह दरख्वास्तें हमने दिलाई हैं और वह ९० फीसदी ग़लत है। मेरा कहना है कि उनमें से ९० फीसदी दरख्वास्तें सही हैं उनकी मौके पर जांच की गई है और गवाहियां भी ली गई हैं और जितनी दरख्वास्तें दी गई हैं उनमें से ९० फीसदी की हम हिमायत करते हैं।

श्री पद्मनाथ सिंह—श्रीमान् जी, आपकी आज्ञा हो तो एक बात जो अभी ग़लत कही गई है उसका जवाब मैं दे दूं।

अधिष्ठाता—इस समय मैं अवसर नहीं दूंगा।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, पहले इसके कि मैं इस अनुदान पर अपने विचार पेश करूं मैं मजबूर हो जाता हूं कि माननीय मंत्री जी को दो बातों के लिये बधाई दे दूं। मजबूरी इसलिये है कि मुझे यहां पर कुछ बहुत अधिक भाषण सुनने को नहीं मिले, परन्तु अभी जो भाषण हुआ उसको सुनने के बाद और भी बधाई देने की मजबूरी बढ़ जाती है। पहले मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को इसलिये बधाई दूंगा कि जिस तरीक़े से मालगुजारी वसूल की गई है, मैं अपने प्रान्त भर के हालात तो नहीं जानता परन्तु यहां के हर एक माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र के हालात तो अवश्य ही जानते हैं और मैं यह कह सकता हूं कि अपने क्षेत्र भर घूमने के बाद मुझे कोई ऐसा केस नहीं मिला जहां पर कुर्कअमीनों द्वारा या कानूनगो द्वारा या अन्य किसी अथारिटी द्वारा किसी पर जबरदस्ती की गई हो या तकलीफ किसी तरह की दी गई हो। जमींदारी प्रथा खत्म करने के बाद जिस सहूलियत से और जिस खूबसूरती के साथ माननीय राजस्व मंत्री द्वारा नियुक्त अथारिटीज़ ने मालगुजारी वसूल की है उसके लिये मैं उनको केवल बधाई ही नहीं किन्तु धन्यवाद भी देता हूं। दूसरी चीज़ बधाई के लिये है पटवारियों के त्यागपत्र पर माननीय राजस्व मंत्री और सरकार का चुप रहना। मैंने अभी-अभी पटवारियों के बारे

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

में एक भाषण सुना और यह भी देखा कि बहुत से आंसू बहाये गये परन्तु मैं भी अपने अनुभव से कह सकता हूं कि पटवारियों से और उनके द्वारा जो तकलीफ जनता को होती रही है उससे छुटकारा पाने के लिये इससे ज्यादा खुशनसीबी नहीं हो सकती कि वह खुद ही त्यागपत्र देकर जा रहे हैं और इससे ज्यादा बधाई के लिये और कोई बात नहीं हो सकती कि सरकार ने उनके त्यागपत्र मंजूर कर लिये और अब नई भर्ती करने जा रही है। कहा जाता है कि जमींदार किसानों पर अत्याचार करते थे वह अत्याचार भी अब चला गया, लेकिन जो हमेशा अत्याचार करने वाले थे और जिन्होंने न मालूम क्या-क्या बातें जमाबन्दियों में की हैं और किस तरह से उनको तहसील तक दौड़ाया है और उनका रुपया खर्च कराया है कि जो २४ घंटे बेचारे खेतों पर मेहनत करते हैं उनके खेतों पर, जो बेचारे २०, १८, १५ बरस से जोत रहे हैं उनकी जगह पर किस-किस के नाम लिख देते हैं, होता यह है कि फसल कटने वाली है दूसरा आकर कह देता है लगान मैंने दिया है मैं मालिक हूं फसल मैं काटूंगा। मुझे सौभाग्य हुआ कि मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कुछ बातें करूं और इस पर कुछ इन्तजाम भी किया गया। श्रीमन्, मैं नम्रतापूर्वक माननीय राजस्व मंत्री को यह बतलाऊंगा कि जो इंतजाम किया गया और वह माकूल भी था, मगर वह बात हुई नहीं। मैंने जब अपने जिले की अथारिटीज से बातें कीं तो उन्होंने कहा कि हर एक कुर्क़अमीन को एक रजिस्टर दिया गया है, जिसमें ऐसे केसेज के नाम दर्ज हो जायंगे। और हर एक ऐसा काश्तकार जिसका नाम जमाबन्दी में नहीं है लेकिन काबिज है वह जाकर तहसील में अपनी मालगुजारी जमा कर सकेगा। मालगुजारी जमा करने का समय अब निकट आ गया है। परन्तु अभी तक किसी भी काश्तकार को यह नहीं मालूम कि ऐसा इंतजाम सरकार की ओर से किया गया है। किसी प्रकार का इंतजाम चाहे वह कितना भी भला हो, अगर उसका प्रचार नहीं होता, अगर काश्तकार को पता नहीं चलता, तो वह तक़लीफ़ रफा नहीं हो सकती। इसलिये मैं आपके द्वारा, माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह फिर एक ऐसा आर्डर निकालें जिसकी वाइड पब्लिसिटी हो सके कि ऐसे केसेज कुर्क़अमीन द्वारा रजिस्टर किये जायेंगे और वह ऐसा काश्तकार तहसील में जाकर अपना लगान अदा कर सकता है। कहने को तो बहुत था। किन्तु ७ मिनट में केवल बधाई दे कर बैठ जाता हू। और ज्यादा अब शिकायतें नहीं करूंगा।

श्री देवमूर्ति राम (जिला बनारस)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने सदन में बैठ कर माननीय माल मंत्री जी तथा माननीय अन्य सदस्यों के भाषण को सुना।

माननीय माल मंत्री जी ने सूबे के किसानों के अन्दर जो उनकी नसें सूख गयी थीं उनमें रक्त प्रवाहित कर दिया। जो किसानों का शरीर जर्जर हो चुका था, लड़ाई झगड़े से जी ऊब गया था, जो रोज फौजदारी और क़त्ल के मुक़दमों में फंसा रहता था आज वह ठंठी सांस लेगा। पटवारियों के संबंध में नयी व्यवस्था कर देने से किसानों की जान बच गयी। इसलिये मैं माननीय माल मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं।

मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि माल मंत्री जी ने जो व्यवस्था काश्तकारों की हालत दुरुस्त करने के लिये रखी है उसमें अभी बहुत सी खराबियां हैं। बेचारे पटवारियों के नेता, गिरदावर कानूनगो और रजिस्ट्रार कानूनगो, जो कचहरियों में बैठे रहते हैं, पांच-पांच वर्ष पीछे के काग़जों को रुपया लेकर बदल देते हैं। ऐसा केस मेरे सामने आया। मैंने आंखों देखा। मिर्जापुर जिले में मैंने देखा कि एक जमींदार का खेत था। किसी काश्तकार के नाम लिखा गया। उसने भूमिधरी हासिल की थी। भूमिधरी को नष्ट करवाने के लिये पटवारी, गिरदावर कानूनगो और रजिस्ट्रार कानूनगो को मिलाकर उसने वहां से सारे काग़जात तहसील में बदलवा दिये और उस जमीन पर क़ब्जा करने के लिये १४५ में उसको कुर्क़ करा लिया। इसलिये मेरा माननीय माल मंत्री जी से अनुरोध है कि पटवारी के काग़जात के वह खाने जो खाली पड़े रहते हैं, जैसे कैफियत का खाना, उसमें पांच लकीरें ऐसी खिचवा दें, ताकि जो काग़जात बन्द हो गये हों उनमें कोई तब्दीली करने का मौक़ा न मिल सके। यह मेरा अनुरोध है।

माननीय गेंदा सिंह जी ने मालमंत्री जी को वाक्पटु कहा । वाक्पटु किसको कहते हैं ? वाक्पटु वह नहीं है जो सही चीज को सही तरीक़े पर रखे । वाक्पटु वह है जो ग़लत चीजों को सही तरीक़े पर और सही चीजों को गलत तरीक़े पर रखने की कोशिश करता है । हमारे विरोधी दल के सदस्यों ने जब कभी भी पहले पटवारियों का मामला आया तो उनको बहुत कोसा कि जमींदारों की तरफदारी कर रहे हैं और किसानों को जमींनें नहीं मिल रही हैं । आज उन्हींकी हमदर्दी करने चले, उन्हीं की बात करने चले । यह मेरी समझ में नहीं आता कि वाक्पटु कौन है । हमारे माल मंत्री जी हैं या हमारे विरोधी दल के वह साहबान हैं जो पटवारियों की हमदर्दी करने चले हैं ।हमारे शास्त्री जी ने पटवारियों को दूध का धोया हुआ भी बतलाया । मुझे आश्चर्य हुआ । सारा समाज, उत्तर प्रदेश का एक-एक किसान, एक-एक मजदूर, उससे अगर आप जा कर के पूछें तो आप को मालूम होगा कि कोई भी पटवारी दूध का धोया हुआ नहीं है । हर एक पटवारी ने ग़लत इन्दराजी की है । उन्हीं पटवारियों की वजह से आज प्रदेश में बखेड़ा मच रहा है, क़त्ल हो रहे हैं, बलवे हो रहे हैं और तमाम तरह-तरह की खुराफातें हो रही हैं । इन सारी खुराफातों का दारोमदार पटवारियों पर है और हमारे शास्त्री जी कहते हैं कि पटवारी भी दूध के धोये हुये हैं । मैंने भी ३० वर्ष से पब्लिक सर्विस की है और मैंने पटवारियों को देखा है । बनारस में कोई एक भी दूध का धोया नहीं मिला, जौनपुर में नहीं मिला, मिर्जापुर में नहीं मिला । शायद शास्त्री जी को बस्ती में मिला हो, पर यह मेरी समझ के बाहर की चीज है ।

मैं और बातों को क्या कहूं, माननीय माल मंत्री जी ने क्या कर दिखाया । लोग हमेशा कहा करते थे कि हुकूमत बदली लेकिन तर्ज हुकूमत नहीं बदला । उसको उन्होंने सही करके दिखला दिया कि तर्ज हुकूमत बदल रहा है और तेजी के साथ बदल रहा है । किसानों के अन्दर जान आ रही है ।

श्री शिवराम राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी को बधाई दे रहा हूं । जिस समाज की रचना में माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपना इतना अमूल्य समय लगाया है, महात्मा गांधी जो स्वप्न देखा करते थे कि हम चाहते हैं कि समाज के अन्दर जमींदार और किसान के बीच की खाई बैठ जाय, ताकि हम संसार के सामने अपने देश के मुख को उज्ज्वल कर सकें और संसार को शान्ति और सुव्यवस्था का संदेश दे सकें, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने एक नये समाज की रचना कर महात्मा जी के रास्ते पर चलकर उस काम को पूरा किया है ।

इसके बाद मैंने यहां देखा कि कुछ चर्चा आजमगढ़ के बारे में हमारे विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने बड़े जोरों के साथ और गर्व के साथ की है । मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक इस सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी जमींदारों के बारे में कहा जाता है जिस तरह के जमींदार घोसी तहसील में हैं उसी तरह के और जगह के हैं । यह जरूर है कि आजमगढ़ में ५०,६० ऐसे जमींदार हैं जो एक हजार से ज्यादा मालगुजारी देते हैं और बाक़ी छोटे जमींदार हैं और उनका और छोटे तबके के किसानों का बड़ा घनिष्ट संबंध रहता है । परन्तु मैं देखता हूं कि जिस ग़लत-सही तरीक़े से माननीय सदस्य को यहां इस सदन में आने का अवसर मिला है उसी ग़लत या सही तरीक़े को, इस्तेमाल करके वह और भी अपने को पापुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं । मैं आपके सामने बहुत ही नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने कुछ जमींदार ऐसे रहे हैं या ऐसे किसान रहे हैं जिन्होंने डटकर माननीय सदस्य की साधारण निर्वाचन में मुखालिफ़त की थी और वे लोग उनकी आंखों में खटका करते हैं । आये दिन जब अवसर मिलता है माननीय सदस्य डटकर उनको जलील करने की कोशिश करते हैं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में मैं यह बतला देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य सरकारी कर्मचारियों को, बल्कि अधिकारियों को और मिनिस्टरों तक को इस्तेमाल करते रहते हैं और अनेक प्रकार से उनको (अपने विरोधियों को) परेशान करने की कोशिश करते हैं ।

[श्री शिवराम राय]

वहां बड़े-बड़े जमींदार, जिनमें से कुछ के मैं नाम भी बतला सकता हूं, जैसे गौरी मिश्र, विश्वनाथ मिश्र जो कि उनके बड़े मददगार थे उनका उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। उनकी जमींदारी के अन्दर बहुत से ऐसे किसान थे जिनको वे तंग किया करते थे, लेकिन फिर भी उन जमींदारों के खिलाफ़ उन्होंने एक भी आवाज नहीं उठायी। उन्होंने अभी-अभी कहा कि महमूदाबाद तहसील के भोला सिंह जमींदार और भी कई जमींदार हैं जिन्होंने ज्यादती की और ग़लत इन्दराज कराया। परन्तु मैं बतलाना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वहां जाकर ठीक फैसला किया और किसानों के हक़ में फैसला किया। मैंने यह देखा कि महुला ग्राम के अन्दर पहुंच कर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कई दिन तक दिन भर तक कोशिश की और ६० फीसदी किसानों के हक़ में फैसले किये। मैं इस सदन के सामने बतला देना चाहता हूं कि माननीय विरोधी पक्ष के सदस्य जो यह प्रचार करते फिरते हैं कि हम जनता के शुभचिन्तक हैं, ग़लत हैं बल्कि हम शुभचिन्तक हैं। इसलिये हमें गर्व है कि हम लोगों ने सरकार बनाई और हमारी सरकार ने किसानों को छाती तानकर समाज में चलने के लिये प्रेरित किया है और हम बराबर प्रयत्न कर रहे हैं कि जो कानून किसानों के लिये बन गया है उसकी पाबन्दी हो। जहां तक कि जिला कांग्रेस कमेटी की चर्चा उन्होंने की, जिला कांग्रेस कमेटी के बारे में मैं बतला देना चाहता हूं कि आजमगढ़ जिले में जब जब एलेक्शन आया है तब तब बड़े बड़े जमींदारों का इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो हमारी विरोधी पार्टी के सदस्यों ने किया है, न कि हमारी पार्टी के किसी सदस्य ने। उनकी पार्टी ही बड़े बड़े जमींदारों को साथ लेकर चुनाव लड़ती है। हमारी पार्टी का कोई भी ऐसा मेम्बर नहीं है जो कि ऐसा करता हो। मैंने अभी गौरी मिश्र का नाम लिया और भी कुछ नाम मैं लेना चाहता हूं। वहां गोविनापुर में ठाकुर शंकर दयाल सिंह बहुत बड़े जमींदार हैं जिनके लड़के सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से असेम्बली के उम्मीदवार थे। वह कितना ही अत्याचार अपनी जमींदारी के अन्दर करते हैं कितना भी जुल्म करते हैं लेकिन कभी उनके खिलाफ़ विरोधी पार्टी का कोई चूं भी नहीं करता है और भी बहुत से ऐसे लोग हैं। मैं थोड़े में यह भी कह देना चाहता हूं कि इन्हीं के पार्टी के एक माननीय सदस्य ने वहां बहुत से लोगों को इकट्ठा किया। सैकड़ों आदमियों को उभाड़ कर कहा कि चलो फलां खत पर क़ब्जा कर लो। बिनोवा भावे ने कहा कि भूमिहीन जो हैं उन्हें भूमि मिलनी चाहिये। तुम कब्जा कर लो। तहसीलदार या कलेक्टर चाहे कुछ भी फैसला करे, तुम डटे रहो, आखिर में हम तुमको भूमि दिला कर छोड़ेंगे। लगातार इसी तरह यह वहां लोगों को उभाड़ते रहते हैं। अभी यह भी कहा गया कि वहां पर क़त्ल हुआ, गोली चली। मैं कहता हूं कि यह बिलकुल निराधार बातें हैं। कहीं न क़त्ल हो रहा है न गोली चल रही है। हां, एक जगह माननीय सदस्य के ही हथकंड़ों की वजह से, माननीय सदस्य के ही इशारे पर क़त्ल हुआ। नीमडाण के अन्दर पं० कन्हैया मिश्र को इन लोगों ने बहुत तंग किया। उनका नाई, धोबी, बारी, सब बन्द करा दिया। वह बेचारे इतना तंग आ गये, इतना ऊब गये कि वहां से बनारस चले गये और इतने शोकातुर हुये कि वहां उनका प्राणान्त हो गया। वही क़त्ल हुआ। उनका खेत था। ५०० आदमियों को लाल झंडे के साथ इन्होंने उनके खेत पर चढ़ा दिया। उनकी तरफ के भी आदमी आये। लेकिन जब देखा और लोगों ने कहा कि यह ग़लत बात है तो वह वापस लौट रहे तो फिर पीछे से कुछ आदमियों ने उनको ललकारा और उसके बाद यह सब हुआ। मैं मानता हूं कि उस क़त्ल की सारी जिम्मेदारी इनकी पार्टी के लोगों की है। इनकी पार्टी के लोगों में डकैत, चोर, बदमाश, धोखेबाज, गुमराह और हर तरह के समाज विरोधी उसमें शामिल हैं। मैं उनके नाम अगर जरूरत होगी तो बताऊंगा। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि नीमडाण के अन्दर एक रामदत्त चौबे जो इन्हीं की पार्टी के सदस्य हैं उनका कोई दूसरा पेशा नहीं है .....

अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि जो लोग इस सदन में मौजूद नहीं हैं उनका नाम इस सदन में न लें।

श्री शिवराम राय—अच्छी बात है। मैं नाम नहीं लूंगा।

श्री नौरंग लाल (जिला बरेली)—अधिष्ठाता जी, मैं इस अनुदान का जो कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने रक्खा है उसका समर्थन करता हूं। इसके साथ साथ मैं पहले एक उसूल की बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि यह तो सही है जैसा कि अक्सर कहा गया है कि पटवारियों में ज्यादातर सभी खराब थे लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकता कि कोई भी अच्छा नहीं था। यह एक ऐसी सिलेंड्रस बात है कि जिसको कि मैं इस सदन में बिला कहे हुये नहीं जाने दे सकता। मैं जानता हूं कि पटवारियों में अब भी बहुत से ऐसे हैं जो दूध के धोये कहे जा सकते हैं। हर गवर्नमेंट के सीने में कोई न कोई अफसर जरूर है जो कि ईमानदार है और अगर हम ऐसा कहने को तैयार नहीं हैं और अगर ऐसा वाक्या है कि हमारे किसी सीने में एक भी ईमानदार आदमी नहीं है तो इसके माने हम कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान स्वराज्य के काबिल नहीं है, आजादी के काबिल नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। पटवारियों के सारे तबके में कोई भी भला नहीं है यह बात ग़लत है। मैं इन पटवारियों में से ऐसे आदमियों को जानता हूं जिन्होंने त्याग किया है, बलिदान किया है और जिन्होंने एक पैसा भी रिश्वत नहीं ली है। ऐसे भी कुछ आदमी हैं। मैं नाम बता सकता हूं। यह तो सभी कहते हैं कि पटवारी बेईमान है, ज्यादा बेईमान है लेकिन यह कहना कि कोई भी ईमानदार नहीं है यह तो ऐसा है जो कि ठीक नहीं है। मैं बतलाना चाहता हूं कि तीन चार आदमियों के नाम। हमारे यहां एक रघुनन्दन प्रसाद पटवारी हैं जिन्होंने एक महीने तक भख हड़ताल की, अत्याचार के खिलाफ़, वह पटवारी असोसियेशन के सेक्रेटरी थे, वह डिस्मिस हुये, मुअत्तल हुये लेकिन अपनी ईमानदारी को न छोड़ा उसके साथ साथ उनका रिइंस्टेट किया गया और उसकी फाइल में लिखा गया कि "ही इज दि मोस्ट आनेस्ट मैन"। मैंने आप को नाम बतलाया लेकिन मेरे प्रतिवाद करने का यह मंशा नहीं था कि यहां पर कोई चीज खड़ी हो जाय। हर आफिसर को इस तरह कह देने के माने यह हैं कि हम अपने को बदनाम करते हैं। खैर इसे जाने दीजिये आज हम तीन चार नौकर रखते हैं। एक पटवारी हमने रखा है, एक नहर अमीन हमने रखा है, एक सेक्रेटरी हमने रखा है, एक रेवेन्यू का अमीन हमने रखा है। मेरा सुझाव यह है कि बजाय इसके कि हम तीन चार आदमी रखें, एक ही आदमी को रखना चाहिये, चाहे वह पटवारी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे अमीन हो। उसका हल्का छोटा कर दिया जाय और यह तमाम ड्यूटीज दे दी जायं और उसका स्टेट्स बढ़ा दिया जाय। इस प्रकार बजाय चार पांच आदमियों को तनख्वाह देने के एक ही आदमी को तनख्वाह देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और काम भी ठीक होगा।

तीसरी बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं वह यह है कि यह शिकायत आमतौर पर है और रहेगी कि हमारे मुहकमों में भ्रष्टाचार है। हम इस संबंध में असल जड़ को नहीं देखते हैं। हम फर्दन फर्दन अपने दिलों की बातें कहते हैं कि हमारे यहां यह परेशानी है वह परेशानी है लेकिन हमको इसकी तह में जाने की जरूरत है। जब तक हम उसको असल बुनियाद को नहीं देखेंगे तब तक हम उसको दूर नहीं कर सकते हैं। कल भी मैं इस संबंध में अपना सजेशन देना चाहता था क्योंकि मेरा सजेशन हर मुहकमे के लिये लागू हो सकता है और उसका जो इलाज है वह भी हर मुहकमे के लिये लागू हो सकता है। हमारे देश या हमारे सूबे की जो पब्लिक है वह मानोक्रेट है, उसके अन्दर इतनी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि वह उस उत्तरदायित्व को जो डिमोक्रेसी ने उसके ऊपर डाला है उसको संभाल सके। इसके अलावा जो हमारे आफिसर्स हैं वे पिछली गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रख चुके हैं और वे आटोक्रेट्स हैं, हमारे मंत्री डिमोक्रैट्स हैं और यहां लेजिस्लेटर्स जो बैठे हुये वे रेवोल्यूशनरी हैं। इस कारण मिल करके ठीक कार्य हो नहीं पाता है। एक सजेशन मैं इस हाउस में देना चाहता हूं। हमारे सिंचाई के मंत्री ने एक स्कीम बतलाई थी और वह मुझे बहुत पसन्द आयी थी। उन्होंने यह बतलाया था कि हर जिले में इरिगेशन कमेटीज बनाने जा रहे हैं, उसमें आफिसर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव रहें और

[श्री नौरंग लाल]

पब्लिक के भी रिप्रेजेंटेटिव रहें और गांव पंचायतों के भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। उस कमेटी के बनाने से भ्रष्टाचार के रोकने में कुछ न कुछ असर जरूर पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से इरिगेशन कमेटीज बनाने के लिये कहा गया है उसी प्रकार हर डिपार्टमेंट में कमेटीज बनाई जायं। इससे आफिसर्स की नीति पब्लिक तक पहुंचेगी और पब्लिक की नीति आफिसर्स तक पहुंचेगी और भ्रष्टाचार में कमी होगी। यह मैं नहीं कहता कि इससे भ्रष्टाचार बिलकुल रुक जायगा लेकिन भ्रष्टाचार रोकने के लिये प्रयत्न करना हमारा फ़र्ज है और उसी के लिये मैंने यह सुझाव पेश किया है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—माननीय सभापति महोदय, मैं इस ग्रांट पर बोलने के लिये तैयार नहीं था क्योंकि मैं समझता था कि मुझको कृषि ग्रांट पर बोलना चाहिये, लेकिन विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिया उसको सुन करके मैं सिहर गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक तरफ विरोधी दल के सदस्य और माननीय गेंदा सिंह जी का यह कहना है कि सोशलिस्ट पार्टी प्रगतिवाद की द्योतक है और दूसरी तरफ वह एक क्षण प्रतिक्रियावादी कदम उठाते जा रहे हैं। देश के अन्दर इन तमाम समस्याओं को कांग्रेस गवर्नमेंट हल ही करती जा रही है परन्तु वह कुछ तत्वों के साथ खिलवाड़ करते चले जा रहे हैं। मुल्क को इससे नुक्सान होगा या लाभ होगा, यह नहीं सोचते हैं। आज कांग्रेस जो कि पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने जा रही है, सोशलिस्ट सदस्य बजाय इसके कि प्रगतिवादी हाथ बढ़ाते, वह प्रतिक्रियावादी कदम बढ़ा रहे हैं। बजाय इसके कि वह देश को आगे बढ़ाते, वह ऐसा रास्ता अपना रहे हैं जिससे हमारी पंचवर्षीय योजना में अड़ंगा लगे। सोशलिस्ट पार्टी ने हमारे जिले बिजनौर के तीन गांवों में रतनगढ़, इमलिया और बुडगेर में लोगों को प्रोत्साहन दिया और कहा कि जमींदारों की जमीन पर कब्जा कर लो। इस सिलसिले में इस कदर वहां पर मारपीट हुई कि आज तक आग लगी हुई है, बुझ नहीं पाई है। परिणाम यह हुआ कि तीनों गांवों के जमींदार और काश्तकार बर्बाद हो गये और अभी परेशान हैं और उन्होंने जेलों तक की हवा खाई है। सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता यह क्या समझें। उन्होंने देश के साथ गल्ती की है, गद्दारी की है और देश के साथ खिलवाड़ किया है। आज कांग्रेस पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित करने जा रही है और देश के प्रत्येक वर्ग से यह मांग करती है और यह भीख मांगती है कि वह साथ दें और देश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में वह पूरा सहयोग दें। परन्तु सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य और सोशलिस्ट पार्टी झंडा ऊंचा करके कहती है कि यही ठीक मौका है जबकि हम विभिन्न वर्गों की मांगों को पूरा करा सकते हैं। इस प्रकार उस पंचवर्षीय योजना के साथ अड़ंगा लगाया जाता है। इसलिये यह सोचना पड़ेगा कि यह उनका कदम प्रगतिवादी है या प्रतिक्रियावादी है। इसलिये जो पटवारियों के बरखास्तगी हुई है उसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पर नहीं है, कांग्रेस गवर्नमेंट पर नहीं है बल्कि सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व पर है जो उन्होंने किया। उसकी जिम्मेदारी माननीय गेंदा सिंह जी के ऊपर भी नहीं है। एक तरफ सोशलिस्ट पार्टी मकान की ऊंची चोटी से पटवारियों को कोसती थी और आज उनकी हमदर्दी का दम भरती है। सोशलिस्टों की नीति है कि 'They run with the hare and hunt with the hound' वह खरगोश के साथ भी भागते हैं और शिकारी कुत्ते के साथ भी दौड़ लगाते हैं। इसकी आड़ ले करके पंचवर्षीय योजना में अड़ंगा लगाया गया बल्कि उसके साथ साथ टीचर्स का आन्दोलन भी चलाया जा रहा है। समाजवादियों में आज निराशावाद फैल रहा है। इससे सोशलिस्ट पार्टी ने अपने को एक बड़ी जिम्मेदारी में झोंक दिया है लेकिन यह तो भविष्य फैसला करेगा कि सोशलिस्ट पार्टी किधर जा रही है और देश किधर जा रहा है? यह ऐसे प्रश्न हैं कि जिन पर ठंडे दिमाग से सोचना है। इसलिये मैं सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों से और नेताओं से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे अपनी पार्टी के ऊपर पुनः विचार करें। जमींदारी उन्मूलन के समय काश्तकारों को भड़का कर कि जमींदारों की जमीन पर कब्जा कर लो, इसका जो परिणाम हुआ इससे सोशलिस्ट पार्टी को क्या मिला? आज सोशलिस्ट पार्टी पटवारियों

और टीचरों को भड़का करके कि वे काम न करें देहातों के अन्दर उथलपुथल मचा दी है। नीचे तबके के लोगों के दिमाग को कांग्रेस और कांग्रेस सरकार की ओर से विषैला कर दिया गया है। इस नीति का क्या परिणाम होगा, उस पर अकेले विचार करें। मैं बतला देना चाहता हूं कि इससे देश का भला होने वाला नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी पावर में है तो कल सोशलिस्ट पार्टी पावर में हो सकती है और अगर हमने इस प्रकार से काम किया तो दो दिन दफ्तरों में इन्हें काम करना मुश्किल हो जायगा और तीसरे दिन सब दफ्तर छोड़कर चले जायेंगे। इसलिये मैं, जो चीजें हमारे देश के सामने हैं, जैसे पटवारियों के प्रश्न को लेकर के जिसपर माननीय चरण सिंह ने और कैबिनेट ने जो कदम उठाया है, उसके लिये धन्यवाद देता हूं। मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और मैं इस बात की बहुत सराहना करता हूं। जब मैंने पहले हाउस में कदम रखा तो माननीय राजस्व मंत्री जी मेरे सामने आये और मैंने उनसे कहा कि मैं उनके इस पटवारियों के संबंध में कार्य की बहुत प्रशंसा करता हूं क्योंकि कांग्रेस ने पहली बार अपने जीवन में यह दृढ़ कदम उठाया है। वर्ना कांग्रेस ने देश के तत्वों को संतुष्ट करने के लिये हमेशा बड़ी दबी और लचर नीति से काम लिया है जिसका परिणाम हमारे सामने आया है। मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी पूरी पूरी सराहना करता हूं बशर्ते कि यह कदम वापस न लिया जाय।

(अधिष्ठाता ने श्री नारायणदत्त तिवारी का नाम पुकारा।)

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मैं एक प्वाइन्ट आफ़ आर्डर पेश करता हूं कि कटमोशन में उनका नाम ही नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अधिष्ठाता महोदय, एक अनुदारवादी और यथेष्टवादी मंत्रिमंडल की चर्मसीमाओं में जितना कार्य हो सकता है उतना माननीय चरणसिंह जी ने और उनके मंत्रिमंडल ने इस दिशा में किया है। इतनी बधाई तो मैं उनको दे सकता हूं। पिछले वर्ष के कार्यों को जहां तक देखने का सवाल है इतना अवश्य देखने में आता है कि उनका विभाग सबसे अधिक सक्रिय सा रहा है। जितनी ऊष्णता माननीय मंत्री जी के विभाग में है अगर उसको शीतोष्ण करके माननीय मंत्री जी न चलते तो शायद और अधिक अच्छा काम हुआ होता। उनका यह दावा मालूम होता है कि पटवारियों का नाम बदल कर एक बड़ी भारी सेवा इस देश और प्रान्त की हुई है। लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या राजाओं का नाम राजप्रमुख रखकर या किसी नौकर का नाम बदल करके व्यवस्था बदली जा सकती है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो कि गांधी जी के शब्दों में अंग्रेजी राज्य की सबसे बड़ी देन थी, के अधिकारों को बदलने की कोई चेष्टा माननीय मंत्री जी द्वारा हुई है? क्या और भी जिन पदों पर माननीय श्रीचन्द जी ने प्रकाश डाला उनको बदलने की चेष्टा उन्होंने की है? अगर उधर भी माननीय मंत्री जी कुछ किये होते तो मैं उनके दावे को मानता कि पटवारियों को बदल कर और लैन्ड रेकार्ड मैनुअल में परिवर्तन करके कोई अच्छा कार्य किया है। जिस तरह माननीय मंत्री जी ने पंचायतों को लगान वसूल करने का अधिकार मिसाल के तौर पर दिया है मैं उनसे कहूंगा कि पहाड़ों में भूमि वितरण करके देखें। अगर हमें इस प्रदेश में भूमिहीनों की दुर्व्यवस्था को देखना है तो हमारे मन्त्री जी को वहां जाना चाहिए। वहां एक तरफ जहां हजारों एकड़ के फ़ार्म हैं दूसरी ओर उसमें हजारों परिवार उतनी ही जमीन में बसते हैं। वहीं पर सुरापिया पौने तीन हजार एकड़ का, प्राग साढे तीन हजार एकड़, रामराज्य साढे चार हजार एकड़, स्कोर्स लिमिटेड सवा दो हजार एकड़, धनरी, डालमिया साहब का, पौने तीन हजार एकड़ का फार्म वहां है। दूसरी ओर गरीब भूमिहीन थारू और बोक्सों को वहां से जबरदस्ती हटाया जा रहा है। जब माननीय विनोबा भावे जी बाजपुर गये और हल्द्वानी आये तो उन्होंने कहा कि जमींदारी खत्म हो गई है और फ़ार्मदारी आ रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह वहां भूमि की समस्या को मिटाने के लिये भूमि वितरण

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

करके देखें। वह सब जमीन आज लीज पर है। वे लीजें कैंसिल हों और वहां जमीन का दोबारा बटवारा किया जाय। वहां जो जमीन है और जिस प्रकार उसका बटवारा हुआ है उसके कुछ आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। आज भी वहां पर कुछ जमीन एलाट हुई है। ७४ हजार एकड़ का एक बंजर है वह बड़े बड़े लोगों को एलाट कर दिया गया। वहां पर जमीन इस तरह से एलाट हुई है :—

वर्ष		एकड़
१६४६–४७	..	४,००
१६४७–४८	..	१२,०००
१६४८–४६	..	१०,०००
१६४६–५०	..	४५,०००
१६५०–५१	..	४५,०००
१६५१–५२	..	२५,०००

इतनी जमीन वहां पर लोगों को बांटी गई है। अब यह देखा जाय कि इन लोगों ने इसमें से कितनी जमीन को आबाद किया है। अकेले बाजपुर में ४४ ऐसे फार्म्स हैं जो १०० एकड़ से ज्यादा के हैं। माननीय मंत्री जी वहां दौरे पर जा रहे हैं वह इस बात को देखें।

कुमायूं के लिये कोई भूमि व्यवस्था आने वाली नहीं है। पिछले साल वहां पर खैकर और सिरतान के अत्याचारों को खत्म करने के लिये यह कहा गया था कि जल्दी ही कोई बिल आयेगा। लेकिन रिपोर्ट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि वह कब आने वाला है। क्या हमारे यहां इन जिलों में जमींदारी वैसी ही बनी रहेगी? एक बात और कही जाती है कि बेदखली बन्द हो गई है। हमारे यहां एक नई चीज हो रही है कि वहां के खैकर और सिरतान छोटे-छोटे काश्तकारों को जमीन बेच देते हैं और लोग खरीद रहे है क्योंकि इसमें कोई रोक नहीं है। आज इन खैकर और सिरतान के कारण भूमिहीन भाइयों का एक बड़ा भारी प्रश्न हो गया है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह आशा न करूं जब कि वह एक ओर जमींदारी खत्म करने का दावा करते हैं तो इन चार जिलों में, उनके मंत्रिमंडल पर और उनके डिपार्टमेंट के लिये, यह एक बड़े अपमान और कलंक की बात है, यदि वह इस तरह की भूमि व्यवस्था को समाप्त करने की कोई चेष्टा न करें।

क्या मैं आशा न करूं जब कि वह पटवारियों का नाम बदलकर उनके खत्म करने की बात करते हैं तो क्या वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरा को भी खत्म न करेंगे यानी बृटिश साम्राज्यशाही की सारी चीज को खत्म न करेंगे, केवल उनके नाम को बदलकर नहीं बल्कि उनके अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करके ऐसा करेंगे जिससे काश्तकारों को पूर्णरूप से निजात मिल सके।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस समय हमारे माल मंत्री जी अपना क्रांतिकारी भाषण दे रहे थे, उस समय विरोधी दल में नई बोतल में पुरानी शराब उड़ी और उसकी महक का प्रभाव हमारे किसान नेता, जो सीधे साधे किसान हैं, श्री गेंदा सिंह जी उनके दिल पर जल्दी हो गया, और अधिष्ठाता महोदय इस सदन ने देखा और बड़े दुख के साथ देखा कि उन्होंने अपनी आदत के खिलाफ और जहां तक मैं सोच सकता हूं अपने उसूल के साथ और बातें कोई भी वह कहते लेकिन इनको वह संभवतः और मौकों पर न कहते।

अधिष्ठाता महोदय, क्या मैं आपके द्वारा श्री गेंदा सिंह जी को याद दिला सकता हूं कि क्या उनकी यह कामना नहीं थी, और वह इस प्रांत में वर्षों से संघर्ष किया करते थे कि जमींदारी प्रथा का नाश हो तो क्या उन्होंने उसके नाश को नहीं देखा। क्या अधिष्ठाता महोदय, मैं उनसे यह भी न पूंछूं कि उन्होंने एक दो नहीं, सैकड़ों और हजारों सभाओं में, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि पानी पी-पीकर लेकिन इतना जरूर कहा गया, सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों सभाओं में कहा

गया कि पटवारी देश का सत्यानाश कर रहे हैं। क्या उनकी यह कामना पूरी नहीं हुई। क्या उन्होंने अपने पिछले जीवन के इतिहास में यह मांग नहीं दोहराई कि वही मनुष्य भूमि का अधिकारी होना चाहिये जो भूमि पर मेहनत करता हो। क्या उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। क्या उन्होंने यह नहीं सोचा था कि छोटी-छोटी काश्त हों और काश्तकार पूर्णरूप से उनके मालिक हों। शायद एक दो नहीं, दर्जनों में बल्कि उनकी जितनी मांगें थीं, मैं सोच सकता हूं कि यदि वह ध्यान से देखें और जो कार्य माननीय माल मंत्री जी ने किया है, उस पर गौर करें तो उनकी सारी कामनायें पूरी होती दिखाई देती हैं। तो जब अपनी सफलता को वह विफलता में देखते हैं तो अधिष्ठाता महोदय मैं तो उसे केवल उस पुरानी शराब का जो नई बोतल में विरोधी दल में आयी उसी का प्रभाव मानता हूं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने सचमुच क्रांति का जो आखिरी चिन्ह था, वहां तक इस क्रांति को पहुंचा दिया और यह ताज्जुब होता है, जैसा कि मेरे एक साथी ने कहा कि आज जब पटवारी की इतनी बुराई करने के बाद वह इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि देश की आवाज क्या है। हमारे मित्र विरोधी दल में बैठने वाले तो इस बात का ज्यादा दावा करते हैं कि वे गरीबों की आवाज और नाड़ी को ज्यादा पहचानते हैं। तो मैं आपके द्वारा अधिष्ठाता महोदय क्या यह नहीं पूछ सकता हूं कि आज इस प्रान्त की आवाज क्या है, आज इस प्रान्त का घर-घर क्या चाहता है, हर आदमी क्या चाहता है? मैं इस बात के लिये तैयार हूं अगर विरोधी दल चाहता हो कि हर घर से रेफ़रेंडम ले लिया जाय कि पटवारी रखा जाय या न रखा जाय। सारा प्रान्त इस बात को चाहता है लेकिन फिर भी राजनीतिक दांव पेंच में आकर हमारे साथी यहां पर पटवारी ऐसी संस्था के समर्थन के लिये खड़े होते हैं। यह दुःख की बात है और इसका भंडाफोड़ हो कर रहेगा। यह चल नहीं सकता कि बाहर कुछ और कहें और यहां आकर कुछ और कहें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---किसान लेखपाल को चाहता है?

अधिष्ठाता---आप अपना भाषण जारी रखें, आपस के विवाद में न पड़ें।

श्री रामनरेश शुक्ल---किसान लेखपाल को चाहता है, यह मैं कहता हूं और इसलिये चाहता है कि किसान बचना चाहता है उन तमाम अत्याचारों से जिनको पटवारी ने इस देश में फैलाया और किसान बचना चाहता है उन तमाम फरेबों से जोकि तथाकथित राजनीतिक दल कहलाने वाले लोग इस प्रान्त में अपना जाल फैला रहे हैं। इसलिये किसान को लेखपाल की जरूरत है।

यह भी कहा गया उधर से कि नाम बदलने से काम नहीं होता है, मैनुअल भी बदलने से काम नहीं होता है। मैं आपके द्वारा अधिष्ठाता महोदय पूछना चाहता हूं कि नाम बदलने से काम नहीं होता है, मैनुअल बदलने से काम नहीं होता है, काम बदलने से काम नहीं होता है तो फिर क्या टोपी बदलने से काम होता है? पटवारी का नाम बदला, उसका मैनुअल बदला उसका वेतन बदला और उसका काम बदला। फिर और अगर काश्तकार का काम होगा तो किस से होगा? मैं तो यह बात सुन कर दंग हो जाता हूं और परेशान होता हूं कि इस क़िस्म की बातें सदन के अन्दर क्यों कही जाती हैं।

आजमगढ़ का जहां तक संबंध है, मुझे भी उसके विषय में कुछ सूचना है, लेकिन क्योंकि उस प्रश्न पर हमारे साथियों ने पूर्णरूप से प्रकाश डाल दिया है इसलिये उस पर और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। आजमगढ़ में एक-आध चीजें हुई हैं। अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं यह बात जरूर सदन को संकेत करना चाहता हूं कि आजमगढ़ को पूर्वांचल प्रान्त के किसी और जिले में नहीं हो सकती है। दूसरी चीज यह है कि जो मैं बड़े अदब के साथ आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इतना ही क्या, कुछ थोड़े दिन तक और इन्तजार कीजिये। अब हमारे माननीय माल मंत्री जी जो कि दिन रात इस बात में चिन्तित हैं कि कौन

[श्री रामनरेश शुक्ल]

कौन से कानून आयें और वे कानून आप निकट भविष्य में पायेंगे जिनसे कि देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि आप टेन्योर नहीं बदलते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि टेन्योर का मतलब वह क्या समझते हैं? टेन्योर है क्या चीज जो अभी तक नहीं बदली है? जरा वह पिछले दिनों के टेन्योर को उठाकर देखें तो मालूम होगा कि आज उसमें कितना परिवर्तन हो गया है। आज तो इस प्रान्त में केवल दो तीन किस्म का टेन्योर रह गया है और मुझे जहां तक उम्मीद है और जैसा कि मैंने माल मंत्री को कहते हुये समझा है वह भी एक आध किस्म के टेन्योर रह जायेंगे। इस प्रान्त में केवल काश्तकारी करने वाला ही अपनी जमीन का मालिक होगा और यह होकर रहेगा। इन तमाम बातों के लिये मैं अपने माल मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, मैं भी अपने और साथियों के साथ-साथ माननीय राजस्व मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था कानून के द्वारा हमारे ग्रामीण जीवन में एक क्रांति सी पैदा कर दी है। वह क्रांति कहां तक जायगी उसके बारे में अभी कुछ कहना असामयिक होगा, परन्तु यह सच है कि अब एक नया इतिहास बनने जा रहा है। सदियों से गिरे और पददलित किसान आज यह महसूस करते हैं कि उन्हें एक नयी आशा तथा सिक्योरिटी मिल गयी है। मुझे आज यह देखकर विशेष खुशी होती है कि इस मांग के सिलसिले में विरोधी दल के सदस्यों की ओर से भी बधाइयों की बौछारें माननीय मंत्रीजी पर पड़ रही हैं। यह अवश्य है कि उसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ टीका टिप्पणियां भी कीं। जहां तक टिप्पणियों का संबंध है विरोधीदल का यह अधिकार है, और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। विरोधी दल तो होता ही इसीलिये है कि वह शासन की कुछ कमियों को बताये। फिर हमारा भी कभी यह दावा नहीं रहा कि जो कानून हमने बनाये उनमें कोई कमी नहीं थी। हम तो केवल इतना ही कहते हैं कि संविधान को तथा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये और उसके अन्तर्गत कांग्रेस सरकार जितनी दूर तक जा सकती थी, उतनी दूर तक वह गयी और अब जो दूसरा कानून चकबन्दी का लाया जा रहा है उसके द्वारा वे अधिकांश कमियां भी जो रह गयी थीं, दूर हो जायेंगी।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट बिलकुल ही पवित्र है और उसके अन्दर कोई कमी नहीं है। इसके बारे में मैं केवल दो बातों की तरफ माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज भी माल विभाग में स्टाफ बहुत ज्यादा है और उसमें काफी कमी की गुंजाइश हो सकती है। एक ही स्थान पर चार-चार कर्मचारी काम करते हैं। मिसाल के तौर पर नहर का अमीन, लगान वसूल का अमीन, गांव पंचायत का सेक्रेटरी तथा पटवारी जिसका नाम अब बदल कर लेखपाल रख दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि क्या ऐसी कोई योजना नहीं हो सकती है कि ये चारों काम एक ही आदमी के जिम्मे कर दिये जायं। इस संबंध में मैं माननीय नौरंगलाल जी के सुझाव का समर्थन करता हूं।

तीसरे कलेक्शन आफीसर्स की अभी नियुक्तियां हुई हैं। आजकल तो मैं यह समझ सकता हूं कि चूंकि कंपेंसेशन के कागजात बन रहे हैं लिहाजा कुछ काम बढ़ गया है, लेकिन मामूली समय के लिये जब कि हमारे पास तहसीलदार साहबान मौजूद हैं तो उनकी आवश्यकता क्या है? इसके अलावा और विभागों की भांति यह विभाग भी भ्रष्टाचार से वंचित नहीं है। आज भी तहसील के अन्दर छोटे-छोटे कर्मचारी किसानों को उसी तरह से दुहते हैं जैसे कि पहिले जमाने से होता चला आया है। माननीय तिवारी जी ने फार्म्स के बारे में कहा, मैं कुछ हद तक उनसे इस बारे में सहमत हूं। जो बड़े-बड़े फार्म्स तराई भाबर में बने हैं मेरे पास उनकी पूरी डिटेल तो नहीं है कि वे किस तरह से बने हैं किन्तु यह गैर मुनासिब सा है कि कुछ लोगों के पास इतने बड़े फार्म हों जबकि भूमिहीनों की संख्या इतनी ज्यादा है। इसके अलावा

मेरी ऐसी भी जानकारी है कि पीलीभीत, रामपुर, बरेली और नैनीताल ये चार जिले ऐसे हैं जहां बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारियों के पास बड़े-बड़े फार्म्स हैं। मैं नहीं जानता कि ये बड़े-बड़े फार्म्स उनके पास कैसे आये ? लेकिन यह चीज जनता को काफी खटकती है और साथ ही उसका मिसयूज भी बहुत होता है। सरकारी ट्रैक्टर उस जमीन को तोड़ते हैं और ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उन तमाम फार्मों की देखभाल करता है। इस तरह से पोजीशन का मिसयूज वहां पर होता है। मैं चाहूंगा कि बड़े फार्म्स को सीमित करके शेष भूमि, भूमिहीनों को बांट देनी चाहिये। इसके बाद मैं दो शब्द पटवारियों के बारे में भी कह देना चाहता हूं।

मैं पटवारियों की समस्या को दो पहलुओं से देखता हूं। एक पहलू तो यह कि क्या सरकार को इन पटवारियों को रखना है या नहीं ? जहां तक उनके पिछले कारनामों का संबंध है वे निहायत ही काले और भयंकर हैं। और इसकी बाबत शायद दो रायें भी नहीं हैं। अधिकांश की राय यही है कि वे ऐसे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि इन सब बातों के बावजूद भी आपको उस तबके को रखना है या नहीं रखना है ? यदि नहीं रखना है तब ठीक है। अगर रखना है तो जो उनकी सर्विसेज के तरीके हैं वह और उनका मैनुअल व ग्रेड वाकई में सख्त था। और आज आपने उसको व उनके ग्रेड को रिवाइज भी किया है, केवल उनका नाम बदल दिया है। तो नाम बदलने की बाबत मेरा यह निश्चित मत है कि अगर वे ही लोग जैसा कि आपने कहा और उससे साफ होता है कि जिन जिलों में २६ तारीख तक जिन पटवारियों ने अपने इस्तीफे वापस ले लिये हैं उन्हीं को आप इन स्थानों पर नियुक्त करना चाहते हैं। तो जैसा कि एक माननीय सदस्य ने आपसे कहा कि पुरानी शराब नयी बोतलों में भरने से काम नहीं बनने वाला है। क्योंकि यदि वह पटवारी खराब थे तब आज भी उनकी मनोवृत्ति नहीं बदल सकती है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में कुछ ऐसी बातें कही गयीं और कुछ ऐसे सवालात भी किये गये हैं जिनका जवाब देना हमारे लिये आवश्यक है। आजमगढ़ के एक सम्मानित सदस्य ने तो यहां तक कह डाला कि हमारी पार्टी में सब चोर, डकैत और बदमाश हैं। ये शब्द उनके लिखे हुए हैं। अगर वे नहीं कहते हैं तो हमें खुशी है लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो मैं उनसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वे जरा अपने दिमाग को ठीक कर लें और सही तरीके से, सही दृष्टि से देखें। अगर हमारी पार्टी ऐसी होती तो आज उनकी जगह हमारे यहां होती। हमारी पार्टी चूंकि चोर, डकैत और बदमाशों की नहीं है इसीलिये श्रीमान् माननीय सदस्य आज हमसे बाहर हैं। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे एक मित्र जो सामने बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि आखिर सुधार कैसे होगा, केवल टोपी बदलने से तो होता नहीं। अगर नाम बदलने से नहीं होता तो टोपी बदलने से नहीं होता। मैं आपके जरिये उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे अपने घर में जाकर पूछें तो मालूम होगा कि उनके बुजुर्ग जो पहले गोल-गोल टोपी लगाते थे वह गोल-गोल टोपी चली गयी और बाद में गांधीयुग में गांधी कैप हुआ जिस गांधी कैप ने राज-परिवर्तन किया। और अब हमने जो रंगी टोपी परिवर्तन किया है वह तो युग परिवर्तन करके रहेगा।

श्रीमन्, श्री रामनरेश शुक्ल जी ने रेफरेंडम की भी बात कही। मुझे बड़ी खुशी हुई कि सदन में पहली बार कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य की ओर से रेफरेंडम की बात आयी। मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूं कि जितनी व्यवस्थायें हैं, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से यहां रखी गयी हैं, लगान वसूली के बारे में, भूमि व्यवस्था के बारे में, उन सब पर सरकार की ओर से एक नोट बना कर दे दिया जाय और एक

[श्री राजनारायण]

हम नोट बनाकर दे देते हैं, और फिर उसी पर रफरेंडम ले लिया जाय। और अगर रेफरेंडम हमारे विपक्ष में हो तो मैं उनकी कदमबोसी भी कर सकता हूं। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तथाकथित राजनीतिक पार्टी कौन है और किस राजनीतिक पार्टी को तथाकथित कहा जा सकता है? अगर माननीय सदस्य देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि शायद वही कांग्रेस पार्टी तथाकथित राजनीतिक पार्टी है जो भिन्न-भिन्न समय गिरगिट की तरह रंग बदला करती है। कभी किसी से सहयोग करने को हाथ बढ़ाती है, कभी किसी से सहयोग करने को हाथ बढ़ाती है, कभी किसी रंग को किसी दूसरे दृष्टिकोण से देखती है, कभी किसी रंग को और दृष्टिकोण से देखती है। और श्रीमन्, आज सदन के सामने साफ हुआ कि जब जयप्रकाश जी ने पंडित नेहरू के सामने भूमि व्यवस्था बदलने का सवाल रखा, जमींदारों को मुआविजा न देने का सवाल रखा, इंडस्ट्रीज के राष्ट्रीयकरण का सवाल रखा तो वहां सारा मामला टायं-टायं फिस हो गया। मुझे अफसोस है कि केवल विवाद के लिये यहां विवाद होता है ऐसा नहीं होना चाहिये। अगर यह बात किसानों के अहित में है तो माननीय राजस्व मंत्री को मुबारक हो। मुझे बड़ी खुशी हुई यह पाकर कि माननीय चरण सिंह, माल मंत्री के माथे पर पुष्पमाला की वर्षा की गयी, बहुत से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा। मगर मैं माननीय चरण सिंह जी, माल मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वे माथा का प्रयोग करें और अगर माथा का प्रयोग करेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि उनकी व्यवस्था में आज कितनी त्रुटि है, कितना दोष है और कितनी खामी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर पटवारियों की बहुत ही चर्चा हुई। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं। ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता, जरा ठंडे चित्त से और शान्तिमय तरीके से हमारे माननीय सदस्यगण विचार करेंगे तो मालूम होगा क्या पटवारियों को यह सरकार निकालने के लिये तैयार थी। माननीय गेंदा सिंह जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यह सही बात है, पटवारियों ने बहुत से गलत काम किये हैं, यह सही बात है कि हमने कई बार सरकार से पटवारियों के कंडक्ट की जांच कराने के लिये मांग की है। यह सही है कि पटवारियों ने बहुत से किसानों के घर को उजाड़ा है लेकिन सरकार में कोई साहस नहीं, क्षमता नहीं कि वह उनके खिलाफ कोई कदम उठाये। वह सरकार और सरकारी दल के सदस्य जब डींग हांकने लगते हैं कि हमने उनको निकाल दिया तो आश्चर्य होता है सरकार ने उनको नहीं निकाला है बल्कि पटवारियों ने खुद सरकार को ठोकर मारी है। सरकार तो चाहती थी कि जिस तरह से वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में रहते आये वैसे ही दूषित वातावरण में वह रहें, जिस तरह का नारकीय जीवन व्यतीत करते थे उसी तरह वह जीवन व्यतीत करें, लेकिन पटवारियों ने कहा कि स्वतंत्रता के वातावरण मे वे वैसा जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। क्या यह सरकार पटवारियों की व्यवस्था को त्याग करने के लिये तैयार है? श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि जो लेखपाल की व्यवस्था हुई है वह सरकारपाल की व्यवस्था है। सरकारपाल का नाम लेखपाल रख दिया गया है। सीधे-सीधे अगर राजस्व मंत्री आज यह घोषणा कर दें कि पटवारियों की पुरानी व्यवस्था को वह तोड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अधिक खुश कोई नहीं हो सकता। अगर उस पुरानी प्रथा को कोई दूसरा नाम रखकर, जैसे जमींदार का नाम बदल कर भूमिधर रख दिया, आर्थिक जोत की विषमता जारी रक्खा गया, तो श्रीमन् यह उसी तरह से चरितार्थ होता है कि एक बुढ़िया की आंख में कुछ तकलीफ हुई, डाक्टर ने आकर पट्टी बांध दी और जाते समय यह सारा सामान भी ले जाता था। वही हालत इस सरकार की है, देश की गरीबी को दूर करने में है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने पर यह सरकार आई। उस डाक्टर की तरह यह काम कर रही है जिसने गरीब बुढ़िया

का धन, अपने घर में रख लिया। भिन्न-भिन्न नाम रखकर उनका धन छीना जा रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि जब सम्मानित सदस्य इस तरह की बातें करने लगते हैं। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से यह घोषणा होनी चाहिये कि पटवारियों की व्यवस्था समाप्त होगी।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज मैं आपके जरिये से सदन को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस प्रकार गवर्नमेंट ने पटवारियों के सिलसिले में जो कदम उठाया है उसके सम्बन्ध में उन्होंने उसका स्वागत किया है। और जितनी बातें यहां की गई हैं या जो कुछ एक दो जाने अनजाने शंकायें, आशंकायें प्रकट की गयी हैं उनका मैं संक्षेप में जवाब देने की कोशिश करूंगा। उसमें जो आम बातें मुझे कहनी चाहिये थीं वे भी आ जायंगी।

माननीय गेंदा सिंह जी ने सबसे पहले यह बात कही कि आखिर उत्तर प्रदेश भर में, समूचे राज्य में भूमि व्यवस्था एक सी कायम क्यों नहीं की जाती है? जमींदारी सब जगह क्यों नहीं खत्म की जाती है? जैसा उन्हें मालूम है, और जैसा सदन के सभी सदस्यों को मालूम है यहां कई बार कहा जा चुका है कि एक सी ही व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जा रही है। कसवारा राजा परगना में जमींदारी खत्म हो चुकी है। बनारस स्टेट और दूधी की इस्टेट गवर्नमेंट है, बनारस स्टेट में वह हिस्सा जो बनारस राज्य कहलाता था और अब बनारस जिले में शामिल हो चुका है उन दोनों के सिलसिले में गवर्नमेंट अपना निश्चय कर चुकी है। रामपुर में वह इलाका जो पहले रामपुर की रियासत में शामिल था और अब रामपुर जिले के नाम से विख्यात है, उस पर गौर हो रहा है। थोड़ी सी कठिनाई आयी हुई है और कानूनी मुशीरों में कुछ थोड़ा सा मतभेद है। जैसे वह मामला हल हो जाय वैसे ही मंत्रिमंडल को भी उसमें निश्चय हो जायगा।

रही जौनसार बाबर की बात। मैं समझता हूं कि सदन को मालूम है कि वहां अब तक किसी तरह के काग़जात नहीं थे, अभिलेख नहीं थे, लैंड रिकर्ड्स किसी प्रकार के नहीं थे। तो उसके सिलसिले में जो काम दो एक साल से हो रहा था उसको रेगुलराइज करने के लिये अभी एक अधिनियम इस सदन से पास हुआ है। वहां भी जमींदारी जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश की जायगी।

जहां तक कुमायूं डिवीजन का वास्ता है मैं शायद दो बार निवेदन कर चुका हूं कि कुमायूं डिवीजन की भूमि व्यवस्था हमारे मैदानी इलाके की भूमि व्यवस्था से सर्वथा भिन्न थी। वहां के आंकड़े हमने इकट्ठे किये हैं और वहां भी जिस तरह से जौनसार बाबर में करीब-करीब बिल्कुल नहीं थे मैदानी इलाकों में जिस तरह के लैंड रिकार्ड्स मिलते हैं वहां भी नहीं थे। तो इस तरह के आंकड़ों को इकट्ठा करने में जिले के अधिकारियों को कुछ कठिनाइयां हुईं और इसलिये कुछ देरी हुई। अब वह आंकड़े इकट्ठे होकर आ गये हैं और उनके गौर करने पर मालूम हुआ कि जो भूमि व्यवस्था अधिनियम है उसका ऐडाप्टेशन वहां पर नहीं हो सकता है। जिस तरह से हम बनारस के इलाकों में करने जा रहे हैं या परगना कसवार राजा में कर दिया है उस तरह का एडाप्टेशन वहां नहीं हो सकता। जैसा उसकी धारा २ में दिया हुआ है कि उसमें उचित और जरूरी संशोधन करके गवर्नमेंट को अख्तियार है कि लागू कर दे, लेकिन वहां उसका एडप्टेशन नहीं हो सकता। लिहाजा एक अलहदा से विधेयक लाने की कोशिश की जा रही है और विधेयक को लाने के लिये उस पर काफी गौर होना जरूरी होता है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी इजाज़त से कुछ और बातें अर्ज करना चाहता हूं। माननीय नारायणदत्त तिवारी ने कई बार सवाल उठाया कि वहां पर जमींदारी क्यों नहीं खत्म की गई। लेकिन वहां कितने जमींदार हैं, कितने काश्तकार हैं जिनको बेदखली की आशंका रहती है? अगर सदन के सामने आंकड़े आ जायं तो सदन इस नतीजे

[श्री चरण सिंह]

पर पहुंचेगा कि वह बड़ी भारी समस्या नहीं है। बेशक पहाड़ी इलाका है और उसकी वजह से जमीन थोड़ी है और उसका रकबा बहुत ज्यादा मालूम होता है, और इससे मालूम होने लगता है कि बड़ी भारी समस्या है। लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो मालूम होगा कि कोई समस्या है नहीं और अगर है तो बहुत थोड़ी है। कुल वहां टोटल होल्डिंग्ज़ अर्थात् कुछ जमीन उनकी जेरेकाश्त जो है वह ७ लाख २० हजार ६ सौ बी० सी० है और एक बी० सी० लगभग एक एकड़ के बराबर होता है तो ७ लाख एकड़ जमीन कुल वहां पर कल्टीवेटेड है। इसमें से ७२ फीसदी जमीन हिस्सेदारों की खुदकाश्त है। हमारे मैदानों में केवल १८ फीसदी जमीन खुदकाश्त में थी और ८२ फीसदी जमींदारों की जमीन काश्तकारों की काश्त में थी। और वहां ७२ फीसदी वहां के हिस्सेदारों के खुदकाश्त में है और केवल २८ फीसदी जमीन ऐसी है जिसको कहा जा सकता है कि प्रोप्राइटर्स के खुदकाश्त में नहीं है। यह तो फुल फलेज्ड प्रोप्राइटर्स की बात है। लेकिन वहां पर एक होते हैं पक्का खायकर। पक्का खायकर ऐसे होते हैं जिनको हम कह सकते हैं अन्डर प्रोप्राइटर। ये फिक्स्ड रेंट टिनेंट्स अर्थात् जिसको हक उत्तराधिकार का मिला हो और हेरीडिटरी जिसके राइट्स हों, और हस्तान्तरण करने का भी अधिकार हो तो इस तरह के अधिकार जिस जमीन में मौजूद हैं उसका रकबा ५ फीसदी है। तो इस तरह से ७७ फीसदी जमीन एक तरह से हिस्सेदारो के कब्जे में है और १६ फीसदी जमीन कच्चा खायकरों की है, यानी हेरीडिटरी टेनेंट्स जो हैं लेकिन मालगुजारी जो जमींदार को देते हैं और उससे कहीं २५ फीसदी से ज्यादा लगान देते हैं, कहीं ५० फीसदी और कहीं दूना भी देते हैं। लेकिन ज्यादा २५ फीसदी और ५० फीसदी से ज्यादा देते हैं। ऐसे लोगों के पास १६ फीसदी रकबा है। पक्का खायकर और कच्चा खायकर हैं उनका हस्तान्तरण का अधिकार नहीं है। उसी तरह से हमारे यहां के अकुपेन्सी टेनेंट और प्रोप्राइटर टेनेंट की तरह से उनको अधिकार है। यह सब ९३ फीसदी जमीन है। उसमें से ७७ फीसदी तो हिस्सेदारों के कब्जे में है। १६ फीसदी अकुपेंसी टेनेन्ट के कब्जे में है और पौने दो फीसदी जमीन जो है वह मन्दिर वग़ैरह के कब्जे में है। अब सिर्फ सवा पाँच फीसदी जमीन ऐसी है जो कि जमींदारों के कब्जे में है। अगर यह किया जाय तो सवा पांच फीसदी लोगों को केवल वह मिलेगी जिसका जिकर बारबार यहां पर उठाकर बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश की जाती है कि साहब वह बहुत लम्बा चौड़ा इलाका है और वहां पर करुण-क्रन्दन हो रहा है और बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है और किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। इस सवा पांच फीसदी पर बेदखली बन्द कर दी गयी है। उसके लिये आर्डर है वह बेदखल नहीं हो सकते हैं सिवाय चन्द सूरतों के जो कि जरूरी हैं। मसलन् अगर कोई लगान न दे क्योंकि इन लोगों की बेदखली बन्द है। फिर भी कहा जाता है कि बेदखल हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, बहुत बड़ा शोषण हो रहा है और अगर वहां पर जमींदारी का खात्मा कर दिया गया तो वहां पर क्रान्ति हो जायगी। तो इस प्रकार की वहां पर कोई बात नहीं है। यह सही है कि वहां पर इन्टरमिडियरी को निकालना चाहिये और वहां की जमीन गवर्नमेंट में वेस्ट होनी चाहिये। और यह जो सवा पांच फीसदी लोग हैं इनका सीधा सम्बन्ध गवर्नमेंट से होना चाहिये लेकिन वहां पर कोई भीषण समस्या है इस तरह की वहां पर कोई बात नहीं है। फिर आप यह भी तो देखिये कि वह कौन सा इलाका है। हमारा प्रान्त ६०० मील लम्बा चौड़ा है और साढ़े छै करोड़ की यहां पर आबादी है। इसमें तरह-तरह के रिवाज हैं और तरह-तरह की भूमि व्यवस्था यहां पर कायम हैं और जिसकी आबादी कई देशों को मिलाकर देखी जाय तो बराबर होगी तो ऐसा हमारा यह प्रदेश है। उसमें आप चाहते हैं कि एकदम हम इन सब चीजों को कर दें। आप इस तरह की असम्भव बातों की आशा करते हैं कि जो कठिन है। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी की जा रही है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन इतना कहे बिना नहीं रहूंगा कि हमारे

जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं और हमारा जो लैंड रिफार्म कमिश्नर का दफ्तर है और जिनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है और जिनके सहयोग से यह काम हो रहा है वह सब लोग मिलकर इसमें रातदिन काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से काम करते हैं। वह छुट्टी नहीं जानते हैं और फिक्स्ड आवर को भी नहीं जानते हैं कि इतने वक्त तक काम करना है। उनकी दिनरात यही कोशिश है कि जो इस सदन की इच्छा है और जो जनता की ख्वाहिश है कि जो भूमि की व्यवस्था है उसको जल्दी से जल्दी किया जाय।

दूसरी बात गेंदा सिंह जी ने जमींदारी उन्मूलन के बारे में कही कि उससे जो समस्या उत्पन्न हो रही है उनको हल करने की कोशिश नहीं की गयी। पहली बात तो सार्वजनिक भूमि की है जो कि गांव सभाओं को दे दी गयी हैं कि उसमें लोगों का ट्रेसपास हो रहा है। मैं मानता हूं कि यह ठीक है। यह बात भी मैं मानता हूं कि ऐसी जमीन जो कि गांव सभा में वेस्ट हो गयी उसमें बहुत सी जगहों पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है। यह बात भी सही है कि जो दरख्त गांव सभा के हो गये थे उनको कुछ लोगों ने काटा है। यह बात भी सही है कि दफा २१२ के मुताबिक गवर्नमेंट ने गांव सभा को जो अधिकार दिये हैं कि कम्युनिटी परपज के लिये जो जमीन थी, आम रास्ते, आम चरागाह, श्मशान, खलिहान, तालाब वगैरह जो ८ अगस्त सन् १९४६ ई० के बाद जमींदारों ने काश्त में ले लिये हैं या किसी दूसरे को दे दिये हैं तो वह जमीन वापस आ जायगी। उसके लिये संशोधन करने की जरूरत है और जिन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उसके लिये दफा २०२ में संशोधन की कार्यवाही करने की जरूरत होगी। गांव सभा बाकायदा अदालत दीवानी में एक दावा दायर करे और उसमें नाहक परेशान हों, और लैंड मैनेजमेंट कमेटी के पास रुपया नहीं है और उसके सेक्रेटरी और उसके प्रधान अपना वक्त खराब करें तो इसमें यह सब कठिनाई पैदा होगी। यह सब बातें बिल्कुल ठीक हैं। इसके लिये कोई इमिडियेट रेमिडी निकलना मुश्किल सा है। और कम से कम गेंदासिंह जी को मालूम है कि कई बार इसका जिकर सेलेक्ट कमेटी में आया और मैं उसकी खोज में हूं और ऐसा मालूम होता है कि उस खोज के नतीजे के तौर पर हम किसी रास्ते पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जब तक वह अन्तिम रूप से यहां हाउस के सामने न आये उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और अपनी जबान नहीं खोल सकता। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके जरिये सदन के सदस्यों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसकी बहुत काफी कोशिश हो रही है कि कोई अच्छा तरीका इसका निकल आये और जब कोई तरीका इस तरह का निकल आयेगा तो इस तरह की जमीन को वापिस लेने की कोशिश की जायगी जिससे लोगों को आसानी हो और सहूलियत हो। मैं केवल इतना कहूंगा कि जमींदारी उन्मूलन के बाद जितनी समस्यायें पैदा हुई हैं वह बहुत ज्यादा हैं, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो कुछ भी उनको दूर और हल करने के लिये कर सकता है वह क़ानूनी तरीक़े से ही कर सकता है और किसी एगजिक्यूटिव तरीक़े का इस्तेमाल वह नहीं कर सकता क्योंकि वह कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नहीं है। और चूंकि भूमि तो एक तरह की सम्पत्ति है और उसमें लोगों के अधिकार होते हैं और इस सिलसिले में हमें बग़ैर क़ानूनी बन्दिश के किसी के अधिकार लेने का अख्तियार नहीं है, इसलिये क़दम-क़दम पर हमें इस तरह की दिक्क़तें पड़ती हैं, अधिनियम में तरमीम करनी होती है और इस सदन से और अपर हाउस से मंजूरी लो, फिर गवर्नर महोदय की दस्तख़त हो या जरूरत हो तो प्रेजीडेंट के भी दस्तख़त के लिये भेजा जाय। रूल्स में भी तरमीम करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिये संशोधन विधेयक लाने में और उसको आखिरी सूरत तक पहुंचाने में बहुत समय लग जाता है। अगर यह आशा की जाती है कि आज कोई समस्या आये और अगले रोज ही उसके बारे में आर्डर निकल जाय तो ऐसा नहीं हो सकता। देर तो कुछ न कुछ लगती ही है क़ानूनी मशवरा

[श्री चरणसिंह]

करना होता है, मंत्रिमंडल और हाउस के सामने चीज जाती है इसी में देर लगती है और अगर कोई देर दिखलाई देती है तो वह देर इसलिये नहीं होती कि वह देरी मुझे मालूम नहीं है या डिपार्टमेंट को काम नहीं करना है। देर के लिये तो इसलिये मजबूरी है कि एक डेमोक्रेटिक प्रासेस है और हमें हर चीज को एक छलनी में से निकालना पड़ता है।

फिर कहा गया कि जो जमीन होल्डिंग में शामिल है वह वेस्ट पड़ी हुई है। उसके लिये क्या किया जाय? अगर थोड़ी सी जमीन कहीं-कहीं पर किसी की होल्डिंग में शामिल भी है तो उसका कोई इलाज भी नहीं जब तक कि क़ानून न बदला जाय। अगर किसी की जोत में वेस्ट लैंड है और वह लगान बराबर दे रहा है तो हम क़ानूनन उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वह उस वेस्ट लैंड को इस्तेमाल करे। मान लीजिये कि किसी की बड़ी जोत में ५ एकड़ वेस्ट लैंड शामिल है तो वह गवर्नमेंट की तरफ़ से भी नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन अगर कोई वेस्ट लैंड के बड़े-बड़े इलाक़े पड़ते हैं, मान लीजिये कि कोई जमींदार अपने नाम ५०० एकड़ जमीन लिखाकर भूमिधर हो गया बिना दसगुना दाखिल किये हुये हो, और इस तरह के बड़े रक़बे अगर हों, जैसा कि गेंदा सिंह जी कहना चाहते हैं मैं उनके बगैर कहे हुये ही उनको बतलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऐसी आराजियों के लिये बहुत जल्द वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन बिल लाना चाहती है और इस काम के लिये एक अलग से गजटेड आफ़िसर मुक़र्रर किये गये हैं कि जहां कहीं भी ऐसे वेस्ट लैंड पड़े हैं जिन पर प्राइवेट लोगों का अधिकार है उनके आंकड़े इकट्ठा करें। जो छोटे-छोटे वेस्ट लैंड हैं ५ या दस एकड़ के उनके लिये ट्रेक्टर वगैरह भी नहीं जायंगे और इसलिये बड़े-बड़े इलाक़ों के लिये हमारा इरादा एक वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन बिल लाने का है और यह हमारा इरादा ही नहीं है बल्कि बिल तैयार है, लेकिन चाहते यह हैं कि वह पहले आंकड़ों से सुसज्जित हो जाय, इसलिये थोड़ा वक्त उसमें लग रहा है।

एक बात यह भी कही गयी कि रांग एन्ट्रीज हैं, ग़लत इन्द्राज हैं। बेशक कुछ ग़लत हैं इससे इन्कार नहीं, लेकिन जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनकी हिमायत की जाती है और वकालत की जाती है। मुझे ग़लत इन्द्राजात से इन्कार नहीं है लेकिन जो कुछ रेमेडी उसकी की जा सकती है वह की गयी है। लेकिन अगर लोगों का ख़याल है कि ऐसे इन्द्राजों की तादाद बहुत ज्यादा है तो यह बात ग़लत है क्योंकि मुझे बहुत से ऐसे जिले मालूम हैं कि जहां एक भी दरख्वास्त इस ऐक्ट के मातहत नहीं पड़ी। इसके मतलब यह हैं कि वहां एक भी इस तरह की शिकायत नहीं है और जिले के जिले इस तरह के हैं। केवल कुछ थोड़े जिले हैं। सबसे ज्यादा आजमगढ़, गाजीपुर और कल से एक जगह और मालूम हुआ, खीरी लखीमपुर, इन तीन जिलों की मैं कह सकता हूं कि सैकड़ों की तादाद में इन तीन जिलों की दरख्वास्तें पड़ी हैं।

श्री राजनारायण—मिर्जापुर ?

श्री चरणसिंह—मिर्जापुर की मुझे नहीं मालूम कि कितनी दरख्वास्त पड़ीं। कम से कम मिर्जापुर के जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने उसको मेरे सामने समस्या के रूप में नहीं रखा।

घोसी तहसील जहां माननीय राम सुन्दर पांडेय जी एक हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं वहां सबसे ज्यादा दरख्वास्तें आयीं। और वह सबस ज्यादा कितनी, अभी मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाया था। उनसे मालूम हुआ कि १६८६ कुल दरख्वास्तें थीं, जिसकी बाबत बड़ा शोर है, वहां इतनी दरख्वास्तें पड़ी हैं। वही सब से बड़ा इलाक़ा है यू० पी० में जहां सबसे ज्यादा दरख्वास्तें पड़ी हैं। वहां कितने खाते होंगे, तहसील घोसी में, उनका अनुपात कितना बैठता है ? मुमकिन है कि एक फीसदी बैठता हो। इसलिये वह कोई ऐसी बारीक समस्या नहीं है।

रहा यह कि वहां बड़े-बड़े अन्याय हो रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट खुद बेचारे मौक़े पर गये हुये हैं। एस० डी० ओ० और जुडीशल मैजिस्ट्रेट को मौक़े पर लगाया है। जितनी

दरख्वास्तें तय कर दी गयी थीं उनसे पूछने पर मालूम हुआ कि २१ फीसदी केवल ऐसी दरख्वास्तें हैं जो सही थीं। बाक़ी ७९ फीसदी ग़लत थीं। उन्होंने मुझको यह भी दिखलाया कि सोशलिस्ट पार्टी की मुहर लगाकर वह दरख्वास्तें दी गयीं।

अधिष्ठाता—अपना भाषण ५ मिनट के अन्दर समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री चरणसिंह—तो वह दरख्वास्तें जो भी दी गयीं उन पर कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक गांव सभाओं को कांफीडेंस में लेने की बात है, गांव सभाओं से पूछकर और मौके पर जाकर डिप्टी कलेक्टर अपना इत्मीनान करके एंट्री सही करते हैं। अगर बहुमत और अल्पमत से तय करने लगें कि किसका क़ब्जा है और किसका क़ब्जा नहीं है तो माननीय गेंदा सिंह जी मुझसे सहमत होंगे कि बहुत पेचीदगियां हो जायंगी। पीपुल्स कोर्ट्स हो जायंगी। वह हम करना नहीं चाहते हैं।

गवर्नमेंट इस्टेट्स के सिलसिले में पूछा कि उनमें कितना गेहूं, कितना चना हुआ। उनका शायद खयाल है कि गवर्नमेंट इस्टेट्स स्टेट फार्म्स हैं। वह जिस तरह से और किसान खेती करते हैं उसी तरह से वहां भी किसान खेती करते हैं।

कहा यह गया कि रेंट कलेक्शन एजेंसी से १४ करोड़ पिछले साल इकट्ठा किया गया। तो पिछले साल १४ करोड़ में अगर जरूरत नहीं पड़ी तो १८ करोड़ में क्यों पड़ी? उनको इस संबंध में कुछ मुगालता है। १४ करोड़ अगर पिछले साल रखा था तो इस खयाल से रखा था कि हम यह समझते थे कि पिछले साल जो रबी थी १३५९ फ़सली में ही वेस्ट हो जायगी, जमींदारी अबालिशन ऐक्ट लागू हो जायगा। इसलिये फसल का रुपया सीधे वसूल करेंगे। सारा बजट इसी आधार पर बनाया गया था। इसलिये १४ करोड़ रुपया रखा था कि गवर्नमेंट वसूल करेगी। तो १४ करोड़ में अगर जरूरत नहीं तो १८ करोड़ में क्यों पड़ गयी, यह दलील उनकी समझ में आ गयी होगी।

फिर एक बात यह कही गयी और वह माननीय गेंदा सिंह जी ने कही कि मैं माननीय माल मंत्री की नीयत पर हमला नहीं करता। मैं उनकी इस इनायत के लिये बहुत मशकूर हूं। लेकिन साथ ही एक बात भी कही कि पटवारियों को इसलिये डिस्मिस कर दिया गया क्योंकि मैं इस बात से नाराज था कि कानूनगोओं को उन लोगों ने रिश्वत देने से इन्कार कर दिया। मरहबा कहते हैं, या क्या कहते हैं। उर्दू का शब्द है, या यूं सही। धन्य है आप को कि आपने यह टेस्टिमोनियल मुझको दिया। मेरी नियत पर हमला नहीं करते, लेकिन चूंकि पटवारी रिश्वत नहीं देना चाहते थे इसलिये मैंने उनको डिस्मिस कर दिया। यह कहां तक दलील आपकी सही है? अपनी छाती पर हाथ रखकर देखें कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है। इसका नतीजा निकलेगा कि मैं चाहता हूं कि रिश्वत जारी रहे। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं जवाब तो सख्त दे सकता हूं लेकिन मेरे लिये शोभा नहीं देता। तो यह बात तो हुई पटवारियों के सिलसिले में।

मुझे सिर्फ एक दो बातें और कहनी हैं और अगर माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपसे यह दरख्वास्त करता हूं कि मुझे ५ मिनट का समय और दे दें अगर सदन राजी हो जाय। ५—३५ तक सदन बैठ जायगा।

अधिष्ठाता—आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री चरणसिंह—मैं पटवारियों के सिलसिले में केवल इतना कहना चाहता था कि यह बात कि पटवारियों का केवल नामकरण संस्कार हुआ है दोबारा, यह जो उनको बेरोजगार पाल कर दिया गया, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। तो मैं मानता हूं कि अगर केवल नाम ही बदला जाता तो बेशक अन्तर नहीं पड़ता, यह बात ठीक है। लेकिन उन्होंने तो सब रेकार्ड भी

[श्री चरणसिंह]

मैनुअल सारी रिवाइज्ड की है और उनके अधिकार और कर्त्तव्य सारे बदले हुये हैं। अगर फिर भी अन्तर नहीं पड़ता तो कोई इलाज नहीं है। तो फिर तो यही है कि कोई राज कर्मचारी रहेगा ही नहीं, तब तो ठीक है। अगर राज कर्मचारी, पटवारी या लेखपाल के काम बिना काम चल जाता तो इस पर तो मुहकमे माल में कई दिन और अनेकों घंटे खर्च किये गये कि कोई तरकीब निकल आये, लेकिन कोई तरकीब निकल नहीं पाई। इसलिये हमको राज कर्मचारी रखने थे और जैसे कि पहले थे वैसे नहीं रखने थे। चूंकि नाम पहले पटवारी था, उसकी जगह लेखपाल किया गया। जैसे कि जमींदार की जगह भूमिधर हमने किया। वह जमींदार तो लैंडलार्ड था, हमारा भूमिधर लैंड ओनर होगा। जमींदार लगान उसूल करते थे, शोषण करते थे, लेकिन भूमिधर लगान वसूल नहीं करेगा, शोषक नहीं बन सकेगा। इसलिये यह कहना कि "जमींदार" के माने "भूमिधर" के हैं, दोनों कनवर्टिबिल टर्म्स हैं, सिनोनिम्स हैं, इसलिये दोनों में कोई फ़र्क़ नहीं है, यह बिलकुल ग़लत है,। इस तरह से जो लेखपाल होगा तो क्या अन्तर होगा? काग़ज वह भी लिखेगा, लेकिन जब लैन्ड रेकार्डस मैनुअल सब बदल गयी तो ज़मीन और आसमान का अन्तर हो गया। एक नयी कलेक्शन एजेंसी वह क़ायम हो गयी। जब वह कोई ग़लती करेगा तो सारे सेफगार्ड्स गांव सभा को कानून में रखे हैं। अगर उसकी इत्तला न भी मिले तो ६ महीने बाद जब कलेक्शन अमीन जायगा तो उससे सब भेद खुल जायगा। और जमींदारी अबालीशन कानून से जमीन की बेदखली होना और उस पर किसी दूसरे का आबाद करना सब बन्द कर दिया गया और सबके सब किस्से निबट गये तो सारा ढांचा ही बदल गया। पहले जो पटवारी था उसके सारे कर्त्तव्य ही बदल गये, तो नाम भी बदलना जरूरी था। तो यह कहना ग़लत होगा कि खाली नाम बदल दिया गया।

बहुत से मित्रों की तरफ से यह बात कही गयी कि पटवारी, पतरोल और ट्यूबवेल आपरेटर वगैरह जो नीचे बिलेज लेविल पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इन सबका इंटेगरेशन कर दिया जाय। यह जो बात कही जाती है उसमें कुछ तथ्य जरूर है। इस काम के लिये एक कमेटी बनी थी और उसने ग़ौर किया और कुछ नतीजों पर भी वह पहुंची। लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इस मामले पर आज ही अमल किया जा सकता है। क्योंकि विलेज लेविल वर्कर्स जितने हैं, जैसे सेक्रेटरी है पंचायत राज का, वह सब वहां काम किया करते हैं। म्युनिसिपल काम सेक्रेटरी पंचायत करते हैं, जुडीशियल काम पंचायती अदालत भी करती है, सेक्रेटरी पंचायत करते हैं। डेवलपमेंट का काम जो कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह का है वह सब विलेज लेविल पर होता है उसको वह करते हैं, लैंड रेकार्ड्स का करते हैं और लैंड मैनेजमेंट का आगे को होगा। तो जितने नये काम हैं, डेवलपमेंटल काम, म्युनिसिपल काम और जुडीशियल काम ये सारे एक आदमी कर सकेगा, यह एक बहुत सुहावनी बात तो लगती है और उसमें एक आकर्षण मुझको भी लगता है लेकिन अमल में वह कहां तक हो सकेगा वह इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट का ध्यान उधर है। ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट उधर से निश्चित है।

एक बात इस सिलसिले में यह कही गयी कि जब चकबन्दी हो जायगी तब शायद पटवारियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूं। इसलिये २८ हजार के बजाय हमने अब दो तिहाई रखे हैं। एक तिहाई तो हमने हलके कम कर दिये। जो पहले हलके थे उनके दो तिहाई हलके हो गये। इसलिये साढ़े अठारह हजार पटवारी रह गये और मुमकिन है आगे चलकर उसमें से कुछ और कम हो सकें। इसलिये आर्डर्स यह गये हैं कि साढ़े अठारह हजार में से भी २५ परसेंट टेम्पोरेरी रखे जायंगे और तीन चौथाई ही परमानेंट किये जायंगे, ताकि अगर आगे हमको जरूरत पड़े और कम हो सकते हों तो बआसानी कम किये जा सकें। तो इनको भी ध्यान में रखा है। फिर जैसा कि एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है उसमें यह साफ़ कर दिया गया है कि लैन्ड रेकार्ड्स का काम तो पटवारी सीखेंगे ही, लेकिन साथ-साथ मल्टी पर्पजेज विलेज लेविल वर्कर्स में एरिया डेवलपमेंट के लिये विलेज लेविल वर्कर्स तैयार हो रहे हैं। इन पटवारियों को यह जो शुरू की ट्रेनिंग होगी उसमें इसकी भी ट्रेनिंग दी जायगी, डेवलपमेंटस

कामों की भी, ताकि आगे के प्लानिंग डिपार्टमेंट के कामों को वह अच्छी तरह से समझ सकें और उनका दृष्टिकोण प्लानिंग के अनुकूल बन सके। कलेक्शन एजेंसी की बाबत एक बात कहनी है। कलेक्शन एजेंसी में कुछ लोगों ने कहा कि शायद खर्चा ज्यादा है और आमद कम किया जा सकेगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन आफ़िसर्स रखे जायं या न रखे जायं इस बात पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिये ऐसा माननीय नवल किशोर जी ने सुझाव दिया था। तो खर्चा शायद कम किया जा सकता हो यह मुमकिन हो सकता है। यह एक ही फसल का हमको तजुर्बा हुआ है। तो अभी एक फसल का तजुर्बा करने के बाद इस मामले पर ग़ौर करेंगे और जहां तक हो सकेगा जितना रीट्रेंचमेंट हो सकता है वह करने की कोशिश करेंगे। यह पहले से ही इरादा है। इस सिलसिले में फाइल चलनी शुरू हो गयी है।

एक बात यह है कि माननीय राजनारायण जी को रिफ्रेंडम का बड़ा शौक है। अब अगर रिफ्रेंडम की बात पटवारियों के बारे में कही गयी थी लेकिन पटवारियों की समस्या पर खुले तरीक़े से न कह कर उन्होंने यह कहा कि कुल मामलों पर रिफ्रेंडम कर दिया जाय। अभी साल भर रिफ्रेंडम की बात हुये हुआ है। जितना किया जा सकता था उतना रिफ्रेंडम किया जा चुका है। और अभी १५ तारीख़ को भी रिफ्रेंडम हो चुका है। उसमें खासकर पटवारियों का भी मसला मौजूद था। उससे भी फायदा उठाया जा सकता था। इसलिये रिफ्रेंडम की पुकार की बुनियाद ही टूट गयी है। तो फिर ऐसे रिफ्रेंडम की बात करना कहां तक मुनासिब है यह आपका दिल जानता है।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं फिर सदन के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गवर्नमेंट के क़दम की सराहना की और इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि यह जो अनुदान मैंने पेश किया है इसको स्वीकार किया जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय.....

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या कटमोशन मूव हुआ था? मैं समझता हूं कि जनरल बहस थी, कटमोशन नहीं था।

अधिष्ठाता—कटमोशन मूव हुआ था।

श्री गेंदासिंह—असल में माननीय उपमंत्री ने सुना था जब कटमोशन मूव हुआ था। लेकिन एक मिनट मेरा वक्त लेने की ग़रज़ से यह प्वाइंट आफ आर्डर उन्होंने उठाया।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बहुत ध्यान से अपने माननीय सदस्यों का और माननीय राजस्व मंत्री जी का तो भाषण और भी ध्यान से सुना और उसके सुनने के बाद मुझे ज़रूर कुछ संतोष हुआ कि जो दो तीन बातों में उन्होंने आश्वासन दिया कि वह कुछ करने वाले हैं। इसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूं और यदि वह इस तरह के विधेयक लायेंगे हाउस के सामने तो उस पर विचार करने का अवसर हम लोगों को मिलेगा और प्रदेश की जनता को उससे लाभ होगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज कुमायूं डिवीजन में यह प्रश्न नहीं है कि कितने लोग बेदख़ल किये जाते हैं। वहां पर प्रश्न यह है कि कितने लोगों को ज़मीन दी जा रही है। ज़मीन को उठाने का प्रश्न है। ज़मीन को खेती के लायक़ बनाने का प्रश्न है। तो इस बात पर वह ग़ौर करेंगे कि ज़मीन किसके पास चली जा रही है, क्या उन लोगों के पास ज़मीन जा रही है जिनके पास जीविका के साधन और भी बहुत से उपलब्ध हैं? तो अगर यह ज़मीन निकल कर ऐसे लोगों के पास चली गई जो कि ऐबसेंटी लोग हैं जो दूसरे प्रकार से अपना गुज़र करते हैं तो दो वर्ष बाद, एक वर्ष बाद कानून बनाना होगा और फिर वही दिक़्क़त आयेगी जो कि और ज़मीनों के संबंध में आयी थी कि अगर ट्यूब वेल लगा लिया या कुछ रुपया खर्च

[श्री गेंदासिंह]

कर दिया, उस जमीन को आबाद करते रहे तो हर्जाना देने का, मुआविजा देने का प्रश्न उठेगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कुमायूं डिवीजन में जहां जमीन पड़ी हुई है और उसको खेती लायक़ वहां पर बनाना है।

पटवारियों के संबंध में जरूर एक बात कह देना चाहता हूं।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना समय नहीं है कि मैं कुछ विस्तार से कह सकूं जितना कि विस्तार से माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा है। माननीय राजनारायण जी को रिफ्रेडम का उन्होंने दूसरी तरह से उत्तर दिया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जैसे माननीय राजस्व मंत्रीजी पटवारियों के बारे में रिफ्रेंडम से काम करना चाहते हैं उसी प्रकार उनके कुछ ऐसे मुहकमे हैं जैसे केन कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं, उनके ऊपर इस सूबे में अगर रिफ्रेंडम कराया जाय, तो मैं नहीं कह सकता कि उनकी क्या हालत होगी? मुजफ्फरनगर में क्या हालत है, मेरठ में क्या हालत है यह तो अधिक नहीं मालूम, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है दो प्रतिशत या तीन प्रतिशत से ज्यादा लोग बाक़ी हिस्से में उसके पीछे नहीं हैं। पुलिस के बारे में अगर रिफ्रेंडम कराया जाय तो शायद उसके पक्ष में भी लोग नहीं आवेंगे। इस प्रकार कोई रिफ्रेंडम का प्रश्न इस संबंध में नहीं आ सकता। यह कहा गया कि पिछले वर्ष रिफ्रेडम हो गया। अगर गवर्नमेंट का रिफ्रेंडम हो गया तो हर मामले में रिफ्रेंडम की बात करना उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि पटवारियों के लिये यह कहा गया कि वे बड़े पापी थे। मैं बहुत ही शांति-पूर्वक अपने माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे जरा अपने दिल पर हाथ रखकर के टटोलें कि क्या क्या हम लोगों ने अपनी जिन्दगी में किया है। आज हम यहां आ कर के बैठे हुये हैं और आज भी यहां बैठे हुये माननीय सदस्यों में से कुछ ऐसे माननीय सदस्य निकल सकते हैं जो पटवारियों से ज्यादा पाप के दोषी हो सकते हैं। मैं इसकी चर्चा करना नहीं चाहता.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सदस्यों के ऊपर आक्षेप करना उचित नहीं है।

श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि हर आदमी आदमी होता है और आदमी से ग़लती होती है।

श्री शिवनारायण—प्वाइंट आफ आर्डर, सर.....।

श्री अध्यक्ष—मैंने कह दिया, अब प्वाइंट आफ आर्डर क्या होगा।

श्री गेंदासिंह—मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं किसी माननीय सदस्य पर आक्षेप करूं। केवल मेरा इतना कहना है कि हम को अपने को भी देखना चाहिये। इसी सदन में एक मर्तबा नहीं सैकड़ों मर्तबा दोहराया गया है कि वर्तमान समाज का बनाया हुआ आदमी पापी होता है, अच्छे समाज में पैदा व्यक्ति पुण्यात्मा हो सकता है। इसलिये अगर इस समाज का उत्पादन वह भी है तो फिर इस प्रकार उस पर विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि पटवारियों ने बड़ा पाप किया था और उस पाप का बदला उनको मिला और आगे भी उनको उस पाप का बदला मिलेगा। लेकिन क्या जितने पापी थे उन सब को बदला देने के लिये सरकार तैयार है? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर पटवारी प्रथा समाप्त कर दी जाती तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता, लेकिन माननीय राजस्व मंत्रीजी पटवारी प्रथा को समाप्त करने नहीं जा रहे हैं। उसका नाम लेखपाल रख रहे हैं। और काम में भी थोड़ा अन्तर कर रहे हैं। लेकिन एक वर्ष के बाद मैं देखूंगा और माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि लेखपाल लोगों का क्या हाल है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अवश्य कह देना चाहता हूं। अगर मैं उसे कहना भूल गया तो वह मेरी बड़ी भारी भूल होगी।

माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह कहा कि मेरी नियत पर वे शक नहीं करते हैं लेकिन यह कहते हैं कि पटवारियों ने ऊपर के लोगों को जब रिश्वत देना बन्द किया, तो उन्होंने पटवारियों को बरखास्त कर दिया। मैं एक बात बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कभी यह आशा नहीं कर सकता कि वे किसी के लिये रिश्वत दिलाने की व्यवस्था करेंगे, उनके मन में यह बात उठ ही नहीं सकती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी एक गढ़ बनावें और उस गढ़ में रिश्वतखोरी ही चले, तो हम किस चीज से जज करें? किसी के कार्य के परिणाम से ही किसी को जज किया जाता है, इतनी मैं क्षमा उनसे जरूर चाहूंगा.....

श्री चरणसिंह—मैं जरा यह कहना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि राजस्व मंत्री जी ने इस बात से नाराज हो करके ऐसा कर दिया।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप किसी मंत्री के लिये भी नियत पर हमला नहीं कर सकते।

श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नीयत के ऊपर बिलकुल हमला नहीं कर रहा हूं, ऐसा मैंने उसी समय कह दिया था। फिर भी इस समय मैं कहता हूं कि ऐसा कभी ख्याल भी नहीं हो सकता है कि माननीय मंत्री जी चाहेंगे कि किसी को रिश्वत मिले। लेकिन जो मंत्रिमंडल काम करता है उससे अगर रिश्वतखोरी बढ़ती है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है। अगर इस तरह की कभी कोई भावना आवे तो उसकी सफाई माननीय राजस्व मंत्री जी को करनी पड़ेगी और कम से कम इसी तरह उनको हमें माफी देनी पड़ेगी कि माननीय राजस्व मंत्री जी के सामने ऐसी बातें हम रख सकें और उसका स्पष्टीकरण वह करें। अभी माननीय शर्मा जी ने कहा कि हम प्रतिक्रियावादी कदम उठाते हैं। तो मैं कहता हूं कि मैं कभी भी प्रतिक्रियावाद के झगड़े में नहीं पड़ा। मैं सदन के माननीय सदस्यों से कहता हूं कि पटवारियों की आवश्यकता जमीन का कब्जा लिखने में पड़ती है और जरूर पड़ेगी और जब जमीन का कब्जा लिखाया जायगा तो उस वक्त उनको प्रसन्न करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक कि देश में इक्वीटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन आफ लैन्ड यानी जमीन का बटवारा नहीं किया जाता तब तक लेखपाल वगैरह से यह चीज दूर नहीं की जा सकती। अगर माननीय राजस्व मंत्री जी चाहते हैं तो वे विनोबा जी के सिद्धान्त के अनुसार जमीन का बटवारा करें और पटवारी प्रथा को दूर करें।

श्री अध्यक्ष—(श्री चरण सिंह से) कुछ आप कहना चाहते हैं?

श्री चरण सिंह—कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—मालगुजारी (लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी) के अन्तर्गत २,८९,७९,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास और खोज

मालमंत्री (श्री चरणसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२—कृषि संबंधी विकास और खोज (लेखा शीर्षक ४०—कृषि) के अन्तर्गत १,७०,१०,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

[श्री चरणसिंह]

अध्यक्ष महोदय, जब तक हमारे यहां परदेसी राज्य था यानी पुलिस स्टेट थी तो उस वक्त दो ही काम थे। एक तो शांति कायम रखना और दूसरे टैक्स वसूल करना लेकिन जैसे जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह पुलिस स्टेट लोक कल्याणकारी राज्य का रूप धारण करती जा रही है वैसे ही मुहकमे कृषि, मुहकमे शिक्षा और मेडिकल डिपार्टमेंट, इस तरह के जो डिपार्टमेंट हैं जिनको डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं यह धीरे धीरे ऐडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी जनता के दिमाग में बनिस्बत पहले के ऊंचा और ऊंचा और उससे ज्यादा ऊंचा स्थान हासिल करते चले जायेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमें देश की उन्नति करनी है तो यहां के धन को बढ़ाना है और सांस्कृतिक उन्नति के लिये जो सीगे और महकमें खुले हुये हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है। इन सीगों या महकमों में भूमि या खेती का महकमा सबसे ऊंचा स्थान रखता है क्योंकि सारा धन अन्ततोगत्वा भूमि के गर्भ से ही पैदा होता है चाहे वह खदाना द्वारा हो या खेती के द्वारा। कारखानों का कच्चा माल भी खेती से ही पैदा होता है। तो इसलिये यदि हमें अपने देश को मालदार बनाना है तो हमें अपनी खेती की पैदावार को बढ़ाना होगा। जब मैं यह बात कहता हूं तो उसके साथ ही साथ हम सबको यह बात भी याद रखनी है वह खेती गवर्नमेंट के कब्जे में नहीं है बल्कि किसानों के कब्जे में है। गवर्नमेंट केवल उनको मश्विरा दे सकती है। खेती के महकमे में शुरू में हमें खोज करनी है कि किस प्रकार पैदावार बढ़े और उसके बाद जिन नतीजों पर हम पहुंचें उनको लोगों तक पहुंचावें। बस ये दो काम हमें करने हैं। ये खेती के महकमे के दो पहलू हैं, एक रिसर्च का और दूसरा डेवलपमेंटल। रिसर्च के लिये हमारे बहुत से कालेज और स्कूल हैं और अनुसंधानशालायें भी हैं। कुछ फार्मों पर भी अनुसंधान कर रहे हैं। तरह तरह की स्कीम्स चल रही है और तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। उन प्रयोगों के नतीजे के बाद हम जिन नतीजों पर पहुंचते हैं उनको गांव के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है ताकि उनकी खेती का और आमतौर पर उनके जीवन का विकास हो सके। तो खेती के महकमे में इस साल मेरा अपना ख्याल यह है कि फील्ड और लेबोरेट्री में जो दूरी थी, प्रयोगशाला और खेत के बीच में जो खाई खुदी हुई थी उसे कुछ कम करने की कोशिश की गई। जो कुछ काम हमारे रिसर्च का हो रहा है उसे किसानों की झोपड़ी तक पहुंचाने की कोशिश की गई। बुलन्दशहर, गोरखपुर और चिरगांव में जो छोटे छोटे हमारे स्कूल हैं उनका हमने कोर्स बदल दिया है। पहले जिस तरह पढ़ाई होती थी उसमें बहुत कुछ तब्दीलो की गई है। हमने क्या क्या घटाया है और क्या क्या बढ़ाया है, इस तफसील में तो मैं इस समय नहीं जा सकता। दूसरे हमने यह किया है कि जितने भी मुलाजिम रखे जाते हैं स्कूलों में, वे सब हमने अलहदा कर दिये हैं। लड़कों के लिये लाजिम किया गया है कि वे सारा काम अपने हाथ से करें। यहां तक कि जो लड़के स्कूलों में पढ़ते हैं वे खाना भी अपने आप बनाते हैं। इन बच्चों को अलहदा अलहदा जमीन भी दी गई है ताकि वे उस पर खुद अपनी खेती करके अपने हाथ से देखें। बच्चों के लिये ही नहीं, बल्कि अध्यापकों के लिये भी यह लाजिम कर दिया गया है कि वे भी खुद खेती करें १ या २ प्लाट लेकर। साथ ही जिस जिस तहसील में तीन स्कूल वाकय हैं उसमें सारा डेवेलपमेंट का काम इन स्कूलों के द्वारा ही होगा। वहां के बच्चे और अध्यापक हफ्ते में एक या दो दिन गांवों में जाते हैं और जो कुछ उन्हें आता है उसे गांववालों के खेतों पर एक्सपैरीमेंट करके सिखाने की कोशिश करते हैं। तो यह स्कूलों के सिलसिले में काम है। विलेज प्लानिंग वर्क्स की ट्रेनिंग भी उन्हीं स्कूलों के जरिये दी जा रही है। फील्ड और लेबोरेटरी में जो दूरी है उसे कम करने के उद्देश्य से ही नेशनल एग्रीकल्चरल इनफार्मेशन कानफ्रेंस जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा, अभी राज्य भवन में हुई २, ३ महीने हुये हैं वह यहां केवल इसलिये हुई कि हमारे राज्यपाल जी को जब से कि वह कृषि मंत्री थे, उस जमाने से खेती में बड़ी भारी दिलचस्पी है अर्थात् एक राष्ट्रीय पैमाने पर, ऊंचे स्तर पर एक कांफ्रेंस की जाय जिसमें विचार किया जाय कि एग्रीकल्चर के सिलसिले में जो लोगों का ज्ञान है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमारे यहां

काफी रिसर्च हो चुकी है लेकिन कमी यह है कि खोज का नतीजा गांव वालों तक नहीं पहुंच सकता है। अब तो कोशिश यह होनी चाहिये कि फंडामेंटल रिसर्च कम हो और एप्लाईड रिसर्च ज्यादा हो यानी किस प्रकार से गांवों तक विद्वानों की राय पहुंचायी जाय। इन्हीं बातों के लिये हमारे यहां कांफ्रेंस हुई थी और माननीय राज्यपाल के यहां होने का कारण था मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा बड़ा कारण यह था कि हमारे यहां एग्रीकल्चरल इंफारमेशन ब्यूरो है वह गांव वालों तक पहुंच जाता है और यह हिन्दुस्तान में बेहतरीन माना जाता है। हमारे यहां के इस इंफारमेशन ब्यूरो से जो "उत्तर प्रदेश कृषि और पशुपालन" नामक पत्रिका निकलती है और जो ५-६ महीनों से हर माननीय सदस्य के पास जाना शुरू हो गई है उसको अगर माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा तो वह इस नतीजे पर पहुंचे होंगे। अगर किसी माननीय सदस्य के पास यह प्रति न पहुंचती हो तो मुझे बतलायें। श्री दीनदयालु जी कह रहे हैं कि उनके पास नहीं पहुंचती। अच्छा है अगर पहुंचती है। लेकिन मैंने कह दिया कि वह सब जगह पहुंचे। खैर, यह हिन्दुस्तान भर में हिन्दी की कृषि के संबंध में सब से अच्छी पत्रिका मानी जाती है और उसके १४,००० ग्राहक बन चुके हैं और अपना खर्चा करीब करीब यह खुद निकाल लेती है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है।

सन् १९५१ ई० में इंदौर में एक कांफ्रेंस हुई थी वहां यह तय किया गया था कि जितने हिन्दी स्पीकिंग एरियाज हैं उत्तरी भारत में तो सब जगह को यह उत्तर प्रदेशीय ब्यूरो ही सर्व करे। इस ब्यूरो में जो काम होते हैं उसको और प्रदेश बहुत मानते हैं और कहते हैं कि यहां के ब्यूरो का काम बेहतरीन है। इस तरह से रिसर्च का नतीजा गांव वालों तक पहुंचाने की अपनी कोशिश हो रही है।

तकावी वगैरह भी पहले से बहुत ज्यादा दी गई है। रबी के बीज और खरीफ के बीज भी इस साल पिछले साल के बनिस्बत ज्यादा बांटे गये थे। हल वगैरह भी काफी तकसीम किये गये, इम्प्रूव्ड यानी सुधरे हुये हल, कल्टीवेटर्स, थैशर्स और रेहट वगैरह भी काफी तकसीम किये गये हैं।

एग्रीकल्चर सीड स्टोर्स के बारे में लोगों को काफी गलतफहमी है। यह जो गवर्नमेंट के सीड स्टोर्स हैं उनका मंशा यह नहीं है कि जब चाहे जितने बीज की आवश्यकता हो, वह सप्लाई कर सकें। ऐसा इंतजाम किया भी नहीं जा सकता है और करना मुमकिन भी नहीं है। मसलन पिछले साल ज्यादा आवश्यकता पड़ गई और इन स्टोर्स के पास बीज नहीं था। उन्होंने बाजार से खरीद कर लोगों को बीज दिया लेकिन यह बात बिल्कुल साफ कर दी गई थी कि हमारी गारंटी नहीं है कि यह बीज जम आएगा। वह हमारे स्टोर्स से वैसे कम खरीदा गया, ज्यादातर वह आर० एफ० सी० की दुकानों से खरीदा गया। मुझे मालूम हुआ है कि धान के बीज जमे नहीं क्योंकि वह इम्प्रूव्ड बीज नहीं थे। नाली तो उनकी बहुत ऊंची हो गई लेकिन फले नहीं। इसका कारण यह है कि इम्प्रूव्ड बीज कह कर यह नहीं दिया था क्योंकि उस समय बाजार में यह नहीं मिलता था इसलिये गवर्नमेंट की दूकानों से यह दिया गया था और यह बात साफ कर दी गई थी कि इसकी गारंटी नहीं है कि यह जम आयगा।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये एक बात अर्ज करना चाहता हूं धान के सिलसिले में जो मुझे भी नहीं मालूम थी। आपके गेहूं, चना, मटर, ज्वार, जौ वगैरह के जो बीज हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा चार पांच किस्में होंगी। लेकिन धान ऐसी वस्तु है कि इसके ४०० किस्म के बीज हैं जो अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। अगर एक तहसील में एक किस्म के बीज बोये हैं तो उससे दस मील की दूरी पर वह बीज नहीं फलेगा और दूसरे किस्म का बीज फलेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बहुत ही डेलीकेट चीज है। लिहाजा गवर्नमेंट सीड स्टोर्स का इसमें कोई कसूर नहीं है।

[श्री चरणसिंह]

गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल फार्म्स के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे पहले यह नुक्सान में रहते थे अब मैं यह तो नहीं कहता कि कोई भी नुक्सान पर नहीं चलत। है लेकिन पहले से उनकी मजमूई तौर पर पैदावार बढ़ गई है इसमें कोई शक नहीं है। क्राप कम्पिटीशन स्कीम भी हिन्दुस्तान में सब से पहले हमारे सूबे में ही कायम हुई। पिछले साल ७० हजार किसानों ने उसमें कम्पीटीटर्स की हैसियत से अपना नाम लिखाया था। अब इनाम तो बहुत थोड़े ही लोगों को मिलता है लेकिन जितने लोग उसमें कम्पिटीशन के लिये अपना नाम लिखाते हैं तो इतना तो तय है कि वे लोग ज्यादा पैदावार करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से इससे फूड प्रोडक्शन में बहुत प्रोत्साहन मिला है। इस साल हमने उस क्राप कम्पिटीशन स्कीम को बिलकुल ओवरहाल कर दिया है। उसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता हूं लेकिन उम्मीद यह है कि कम से कम दो लाख किसान अबकी बार उसमें शामिल होंगे और अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन के सदस्यों से यह अपील करूंगा कि वे क्राप कम्पिटीशन स्कीम में जरा ज्यादा हिस्सा लें। माननीय सदस्य उसमें बहुत ही कम तादाद में दिलचस्पी लेते हैं। उसकी इंट्री की तारीख हमने बदल दी है, मसलन् धान की फसल की इंट्री मई से ही शुरू हो जायगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी अपनी कांस्टीटुएंसी में जब जायं तो किसानों को यह बात समझायें। तफसील से वह स्कीम पंचायत राज पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उस स्कीम को फिर से सबके पास भिजवा दूंगा। यही नहीं कि इंडीविजुअल बेसिस पर यह कम्पिटीशन होगा बल्कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से एक सुझाव आया था कि विलेज बेसिस पर भी यह कम्पिटीशन होगा। यानी सारे गांव को एक इकाई माना जायगा और जिस गांव की मजमुई पैदावार अपने प्रदेश में सब से अव्वल आयेगी उस सारे गांव को इनाम दिया जायगा, रुपया का इनाम नहीं बल्कि कहीं सड़क बनवा देने की शक्ल में, कहीं ट्यूब वेल देने की शक्ल में, इस तरह से इनाम दिया जायगा, और जो पहले इंडीविजुअल कम्पिटीटर्स को इनाम दिया जाता था उस इनाम की शक्ल में भी हमने बहुत अन्तर कर दिया है। इस तरह से हम सोच रहे हैं कि मान लीजिये कि कोई अपने जोन में या डिस्ट्रिक्ट में अव्वल आता है तो यह सोचना होगा कि उसके लड़के के लिये यह कर दिया जाय कि इंट्रेन्स तक उसकी फीस माफ कर दी जाय। तो इस तरह के जो इंसेंटिवज हैं वह भी हमने नये खोजने की कोशिश की है। यह सारी चीजें स्कीम में दर्ज हैं। मैं बहुत मशकूर हूंगा माननीय सदस्यों का अगर वह इसमें दिलचस्पी लें। हालांकि मैंने दो लाख को ही फीगर रखी है लेकिन अगर सब माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी लें तो मुझे कोई शक नहीं है कि वह तादाद पांच लाख तक पहुंचेगी और ग्रो मोर फूड में बड़ी भारी मदद मिलेगी।

एक जापानी तरीके से धान बोने की चर्चा माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ अखबारों में सुनी होगी। उसमें मोटी सी बात यह है कि ज्यादा फर्टिलाइजर दिया जाता है, ज्यादा अमोनियम सल्फेट दिया जाता है और ब्राडकास्ट सीड नहीं बोया जाता है बल्कि कतार में बोया जाता है। इस तरीके से चार पांच उसके स्पेशल फीचर्स हैं। उसके लिए पैमफ्लेट तैयार हो रहा है और वह माननीय सदस्यों को मिल जायगा। आमतौर पर हर साल हम ३५ हजार टन अमोनियम सल्फेट उत्तर प्रदेश में खर्च करते हैं। इस साल हमने ५६ हजार टन गवर्नमेंट आफ इंडिया से ली है, ४१ हजार इस साल और १५ हजार टन हमारे पास पहले से स्टाक में थी। हम यह चाहते हैं कि यह सारी की सारी इसमें खर्च हो जाय और वह खर्च तब होगी जब माननीय सदस्य इस बात की कोशिश करें और यह जापानी ढंग से धान बोना लोगों को सिखायें। इस संबंध में दो बातें याद रखने लायक हैं। एक तो यह कि अब तक तो यह होता था कि किसान को तकावी में हम रुपया देते थे और उस रुपये से वह अमोनियम सल्फेट खरीदता था। अब अमोनियम सल्फेट ही तकावी में मिल सकती है। यह नहीं कि गवर्नमेंट से रुपया लें और फिर अमोनियम सल्फेट खरीदें बल्कि अमोनियम सल्फेट ही तकावी में मिल सकती है और जो अमोनियम सल्फेट ३०

जून तक ले लेगा उसको सूद भी नहीं देना होगा, यह उसमें एक और बात रखी गयी है। दूसरी बात यह है कि अब तक ३६५ रुपये टन उसका दाम पड़ता था। अब वह उससे २ रुपये फी मन कम पड़ने वाली है, यानी करीब २९० रुपये या उससे भी कम फी टन उसकी कीमत होगी और वह तकावी में मिलेगी और जो ३० जून तक लेगा उसको सूद भी नहीं देना पड़ेगा, ये खास बातें हमने की हैं। १ लाख १६ हजार एकड़ भूमि में जहां कि वाटर सप्लाई एश्योर्ड है हम यह चाहते हैं कि कम से कम उतनी भूमि में जरूर जापानी ढंग से खेती हो। खेती के महकमें के अफसरान और इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियरों ने मिलकर एक नक्शा बनाया, उन्होंने यह आश्वासन दिया कि इस हिस्से को अवश्य ही पानी देंगे और वक्त पर मिलेगा क्योंकि ऐसा ख्याल किया जाता है कि जहां पर अमोनियम सल्फेट दिया जाता है वहां पर वक्त पर पानी न मिलने से नुक्सान हो सकता है।

यों तो हमारे यहां उत्तर प्रदेश में ९१ लाख एकड़ में पैडी बोई जाती है लेकिन उसमें से सिर्फ १०:११ फीसदी में नहरों से सिंचाई होती है। इस तरीके से जो ८ लाख एकड़ में धान बोया जाता है उसमें से भी हम केवल १ लाख १६ हजार एकड़ में यह एक्सपैरीमेन्ट कर रहे हैं और उसकी सफलता के लिये हम माननीय सदस्यों पर भरोसा रखते हैं।

दरख्त वगैरा पिछले साल कम लगाये गये हैं। मेरे पास इस समय पहले के आंकड़े नहीं हैं लेकिन पिछले साल दरख्त पहले के मुकाबिले में कम लगाये गये लेकिन इस साल हमने वन महोत्सव बड़े भारी पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि परिस्थिति बदल गयी है वह यह कि जो अनकल्टीवेटेड लैंड पहले प्राइवेट आदमियों के हाथ में थी अब वह भूमि प्रबंध कमेटियों के हाथ में पहुंच गयी है, उस सारी जमीन में दरख्त लगाने का विचार है। उसके लिये एक स्कीम बना ली गयी है और वह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर के पास भेज दी गयी है और भूमि प्रबंधक कमेटियों और पंचायतों से यह अपील की गयी है कि उस भूमि में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाये जायं जो कि काश्त के काबिल नहीं है। हर जिले के अन्दर यह कोशिश की जायगी कि रद्दी से रद्दी जमीन में भी पेड़ लगाये जायं और अगर गांव सभा उनके पानी आदि का इंतजाम न कर सके तो वह प्राइवेट आदमियों को दे दी जाय। वह उस जमीन पर दरख्त लगाये। शर्त यह होगी कि वह दरख्त उस जमीन से न काट सकेगा, दरख्त के फूल फल ले सकेगा और जब वे दरख्त सूख जायें तो उनकी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकेगा। अगर इस तरह से काम हुआ तो गांव के गांव हरे पेड़ों से लहलहा जायेंगे और आजकल के गांवों का दृश्य कुछ दूसरा ही होगा और गांधों के चारों तरफ पेड़ों की एक माला सी बन जायगी। वह दिन इस सूबे के लिये एक शुभ दिन होगा।

इसी तरीके से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आगरा और मथुरा जिलों की तरफ लोगों का यह ख्याल है कि रेगिस्तान उधर बढ़ता आ रहा है लेकिन कुछ दूसरे विशेषज्ञों का यह ख्याल है कि वहां की जमीन अन्दर से ही खराब होती आ रही है। इस प्रश्न पर भी बहुत इंटेसिवली विचार किया गया। दो दिन तक फारेस्ट डिपार्टमेंट के आफीसरान दूसरे विभागों के आफिसर्स और इंजीनियर्स की बातचीत यहां पर हुई। गवर्नमेंट आफ इंडिया से माननीय कृषि मंत्री श्री पंजाब राव देशमुख और और इंस्पेक्टर जनरल आफ फारेस्ट भी बुलाये गये। इसके अतिरिक्त माननीय राज्यपाल भी इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके अलावा माननीय रावत जी की सदारत में आगरा और मथुरा के आफिसर्स की मीटिंग हुई। कितने दरख्त लगाये जाना है इस सबकी स्कीम बना दी गयी है जिसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता।

एक चीज और माननीय सदस्यों को जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी। गिरि गोवर्धन जिसकी परिक्रमा के लिये हजारों लोग जाते हैं। उसके चारों तरफ एक पथरीली सड़क

[श्री चरणसिंह]

बनी है जो ७ मील लंबी है। सुना जाता है कि किसी जमाने में इसके चारों ओर बड़े सुन्दर बगीचे थे जहां की आज धूल उड़ती है। यह ७ मील लंबी यानी ६०० एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें दरख्त बोये जा सकते हैं। और हमारा इरादा यह है कि इसी साल गिरि गोबर्द्धन पर ६०० की ६०० एकड़ में दरख़्त लगा दिये जायं। उनके लिये जमीन भी एक्वायर की जा रही है। बहुत से यात्री कलकत्ता, बम्बई आदि से भी वहां आते हैं और हमें उम्मीद है कि अगर हम उन्हें समझावें कि जहां तुम यात्रा करने के लिये आये हो वहां इतनी धूल उड़ती है और यह धार्मिक स्थान है तो उनसे भी कुछ रुपया प्राप्त हो जाय और इस बात की कोशिश की जायगी। महामान्य राज्यपाल भी इसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। रुपया उन यात्रियों से मिले या नहीं मिले लेकिन हम लोगों का इरादा है कि ६०० एकड़ में इस साल दरख़्त लगा दिया जाय।

इसके अलावा पार्टीशन हो जाने के बाद यहां जूट और पटसन की बड़ी भारी कमी हो गयी। उसके लिये हमारे यहां सन् १६४८ –४६ में एक स्कीम बनायी गयी। उस स्कीम में हमने टार्गेट रखा था कि एक लाख एकड़ में हमें पटसन बोना चाहिये। उस टार्गेट पर हम पहुंच गये हैं लेकिन हमारा इरादा था कि हम पटसन का रक़बा बढ़ा कर दूसरे सूबे को भी सप्लाई कर सकें जहां कि पटसन व सन की पैदावार कम होती है। हम रक़बा बढ़ा सकते हैं लेकिन सप्लाई तथा मारकेटिंग में कुछ कठिनाई मालूम पड़ी जिससे हम आगे रक़बा नहीं बढ़ा सके। लेकिन जो हमारा एक लाख एकड़ का टार्गेट था वह तो पूरा हो ही गया।

जहां तक प्लाट प्रोटेक्शन की बात है, एफ० ए० ओ० के एक्सपर्ट्स जो बाहर से आये और उन लोगों ने हमारे यहां के प्लांट प्रोटेक्शन के काम को देखा तो बतलाया कि हमारे यहां का काम बहुत अच्छा है और उन लोगों ने उनकी बड़ी सराहना की है। उसके लिये हम ज्यादा स्टाफ नहीं रख सकते हैं क्योंकि उसके लिये बहुत रुपया चाहिये। तो १४,१७८ आदमियों को २० जिले के अन्दर प्लांट प्रोटेक्शन की मामूली ढंग से हमने शिक्षा दी है ताकि कहीं कीड़े लग जायं, दरख़्त में लग जायं, आम में लग जायं या गेहूं व ईख में लग जायं तो किसान लोग खुद उससे अपनी रक्षा कर सकें क्योंकि हर चीज के लिये परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेन्ट का होना मुश्किल है, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है।

सन् १६५० ई० में कपास बोने की भी एक स्कीम चालू की गयी थी जो हमारे यहां बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं केवल दो बातें कह कर बैठ जाऊंगा क्योंकि मैंने हाउस का समय ज्यादा ले लिया है, इस बात का मुझे एहसास है। हरी खाद बहुत अच्छी है। आर्टिफिशिअल मेन्योर भी एक हद तक अच्छी है लेकिन वह जमीन में ज्यादा नहीं दी जाती, खालिस भी नहीं दी जाती है, इसलिये उसका लिमिटेशन कुछ अलग अलग है लेकिन जहां तक कुदरती खाद का संबंध है, जैसे आदमियों व जानवरों का फुजला होता है जिसे नाइट स्वायल व कम्पोस्ट भी कहते हैं वह बहुत अच्छी होती है। एक टाउन कम्पोस्ट स्कीम भी चल रही है लेकिन लैन्ड एक्वीजिशन में कठिनाई के कारण लोकल बाडीज को जमीन हासिल नहीं हो सकी है इसी वजह से वह काम अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस सिलसिले में अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से हाउस के सामने यह बतला देना चाहता हूं कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में क्या क्या संशोधन होना चाहिये उसके लिये एक कमेटी बैठी हुई है और मुझे उम्मीद है कि जुलाई में उस सिलसिले में एक बिल हाउस के सामने आ जायगा और तब इस तरफ ज्यादा तेजी से काम हो सकेगा। जितनी तेजी से हम बढ़ना चाहते हैं उतनी तेजी से हम नहीं बढ़ पा रहे हैं लेकिन हरे खाद के लिये हमने एक नम्बर निकाला है। लोबिया, मूंग, ढेंचा। मूंग से २०, २५ प्रतिशत उपज बढ़ जाती है लेकिन लोबिया से ४०,४५ प्रतिशत तक उपज बढ़ जाती है। उसके लिये बीज हमारे पास थोड़ा है लेकिन इतना बीज है कि थोड़ा थोड़ा कर के हर जिले में कुछ कुछ दे सकें। ढेंचा बहुत पोपुलर हो गया है और खास कर उन इलाकों में जहां धान की खेती होती है। जहां तक जमीन के रिक्लेम करने की बात है ढेंचा बहुत अच्छी चीज है।

में माननीय सदस्यों से आशा करूंगा कि वे ढ़ैंचा, लोबिया और मूंग का अपने यहाँ जितना ज्यादा प्रचार कर सकें करें। जो कि पोलिटिकल संस्थाएं हैं, इलेक्शन वह लड़ती हैं उसे लड़ें, लेकिन एक्नामिक रिकांस्ट्रक्शन का जो काम है चाहे सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर्स हों या कांग्रेस पार्टी के, उनका फ़र्ज़ है कि इसका प्रचार किया जाय। किसान कम पढ़े हैं। जो चीज़ हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं वह नहीं पहुंच पाती है तो वह चीज़ बाई माउथ पहुंचाई जा सकेगी। वह सब से ज्यादा विश्वास उसी आदमी पर करते हैं जिसको उन्होंने चुन कर अपने इलाके से भेजा है।

दो बिल इस साल एग्रिकल्चर के महकमे से लाने का विचार है। एग्रिकल्चरल मार्केट्स रेगुलेशन बिल अर्थात् जो मंडियां हैं उन मंडियों में बहुत से नियम लागू करना और किसान को जो कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं उन कठिनाइयों को दूर करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् ३८ में जो एक प्राइवेट एग्रिकल्चरल मार्केट्स रेगुलेशन बिल पेश हुआ था वह इत्तिफाक से मैंने ही पेश किया था और उस वक्त डाक्टर काटजू कृषि विभाग के मंत्री थे उन्होंने गवर्नमेंट मेजर पर उसे मंजूर कर लिया था। फिर वह सिलेक्ट कमेटी में गया और वहां से रिपोर्ट भी आ गयी थी। इत्तिफाक से ऐसा हुआ कि उस वक्त मंत्रीमंडल ने इस्तीफ़ा दे दिया। सन् ४६ में जब पापुलर मिनिस्ट्री आई तब से उस पर विचार हो रहा है और अब हमने उसको फिर से लाने का विचार किया है। वह बिल बिल्कुल तैयार है। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि जिस वक्त हम उठेंगे उस वक्त तक मंत्रीमंडल से स्वीकृत हो कर वह आ सकेगा या नहीं आ सकेगा। अगर अब के नहीं आ सकेगा तो जुलाई में शायद आ सकेगा।

फिर एक केटिल मार्केट रेगुलेशन बिल है जिसके लिये सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात की इच्छा प्रकट की कि जो हाट और बाजार खुले हैं वे जमींदारों के थे। उससे इतनी आय होती थी जितनी कि भूमिधर अपनी जमीन से करते हैं। उससे सबसे ज्यादा उनको आय होती थी। किसान या गवर्नमेंट को इससे कोई आय नहीं होती थी और तरह के हाट या मेलों में कठिनाई मालूम होती है, वे ज्यादा जरूरी नहीं हैं कि उनका रेगुलेशन किया जाय, न उनसे ज्यादा आमदनी होती है। ज्यादा आमदनी जो होती है वह केटिल मार्केट्स से होती है। उनको रेगुलेट करने के लिये एक बिल तैयार किया जा रहा है।

फिर कुछ हमारे यहां जैसा मैंने पहले जिक्र किया था आगरा और मथुरा के जिलों में इरोजन का बढ़ना रोकना है। इरोजन हमारे यहां बहुत हो रहा है। अगर आप सूबे का नक्शा उठा कर देखेंगे सन् १९०९ का तब से इरोजन और बढ़ गया है। माननीय सदस्य देखेंगे कि बुन्देलखंड में जमीन बहुत ज्यादा कट गयी है। उसका अहसास कर के तकलीफ होती है। अगर यह इरोजन इसी तरह जारी रहा तो १०० बरस के बाद तो बुन्देलखंड या इटावा का इलाका बिलकुल रेगिस्तान हो जायेगा। ऐसे ही सई नदी रायबरेली और प्रतापगढ़ में बहती है उस में बहुत कटान होता है। जमुना और चम्बल नदी में मथुरा जिले के नीचे भी कटान शुरू हो गया है। उस कटान को किस प्रकार रोका जाय, इरोजन किस प्रकार कम किया जाय यह तो बहुत बड़ा प्राबलम है लेकिन आमतौर पर जमीन का इरोजन किस प्रकार रोका जाय जो एक्सपर्ट कान्फ्रेंस हुई थी उस में इसका जिक्र आया था। उन्होंने बताया कि लैंड पालिसी लेजिस्लेशन लाया जाय। उसमें तीन बातों की ओर ध्यान दिलाया गया। एक तो जिस इलाके को नोटिफाइड कर दिया जाय उस इलाके में यह किया जाय कि किसान बिल्कुल नदी या नाले के कोने तक खेती न करे। अब ऐसा होता है कि पानी बह रहा है उसके किनारे पर हल चल रहा है और उस जमीन पर जब पानी पड़ता है तो वह बह जाती है। हल इस तरह चलता है कि जो खूंट बनता है उससे जमीन बह जाती है, ऐसा होना चाहिये कि मिट्टी ज्यादा न बह सके। उस किसान से कहा जाय कि तुम किनारे पर खेती न करके दरख्त लगाओ और दरख्तों के मालिक तुम होगे। एक सुझाव तो उस कांफ्रेंस का यह था। और दूसरा यह है कि जहां जमीन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही हो जैसे मथुरा, आगरा में तो वहां पर किसान को मजबूर किया जाय कि तुमको अपनी होल्डिंग के इतने रकबे में दरख्त लगाने होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सहारनपुर के हार्टिकल्चर की बाबत जिक्र कर देना चाहता हूं। वहां हमारे एक दर्जन नवजवानों की एक

[श्री चरणसिंह]

टोली काम कर रही है और जितने भी माननीय सदस्य हैं उन सब से मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि वे लोग वहां जाकर उनके कामों को देखने की कोशिश करें। जितने नौजवान हैं उनमें से किसी की भी उम्र ३० वर्ष से ज्यादा नहीं है लेकिन वह लोग अपने काम को जिस लगन के साथ करते हैं और इतना अच्छा काम करते हैं कि सारे हिन्दुस्तान में ही उनकी ख्याति नहीं बढ़ रही है बल्कि जो लोग विदेशों से आये हैं उन्होंने भी उन लोगों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। और उन पर मुझे तो गर्व है।

तो अगर दरख्त लगाये जा सकें और ऐसे दरख्त लगाये जा सकें जिनमें खेती से ज्यादा आमदनी हो और ईख और आलू से भी ज्यादा आमदनी हो तो ऐसी चीज के लिये किसानों को आप मजबूर करें कि वे ऐसे दरख्त अपने खेत में लगायें और जिनके खेत नदियों के किनारे हों उनसे हमें कहना होगा कि तुम इसको जोत नहीं सकते दरख्त लगा सकते हो और तुमको इसमें खेत से ज्यादा आमदनी होगी यह तुम्हारे लिये बहुत अच्छी बात है। यह जो बातें हैं यह एक्सपर्ट्स की राय हैं बुंदेलखंड में जितनी नदियां हैं उन सब में पानी का एक बहुत गहरा भंडार हो गया है और जितना गहरा भंडार होगा उतना ही बरसात का पानी आकर तेजी से बहेगा और ज्यादा जमीन को काटेगा। तो लोगों को यह सुझाव देना है कि उनको एक-एक मील पर बांध बांध लेने चाहिये और वह भी उन्हें अपने श्रमदान से करना है। और वह लैंड पालिसी लेजिस्लेशन के सिलसिले में एक्सपर्ट्स का सुझाव यह है। पहले मैन डाग को खेत के चारों ओर रखने का पुराना रिवाज था। लेकिन अब जहां-जहां इर्रीगेशन होता जाता है वहां इस पुराने रिवाज को लोग छोड़ते चले जा रहे हैं और जहां इर्रीगेशन नहीं है वहां भी कुछ जगहों पर तो उस का रिवाज है लेकिन कुछ जगहों पर इसको छोड़ा जा रहा है और यह सही है कि उसकी तरफ से किसानों का ध्यान कम हो गया है। लेकिन उसका करना जरूरी है क्योंकि उससे वाटर का कंजरवेशन होता है और पानी से जमीन का इरोजन होने से बचता है। इस प्रकार का सुझाव एक ऐक्ट बनाने के लिये एक्सपर्ट कमेटी का है और अगर गवर्नमेंट ने उस सुझाव को मंजूर कर लिया तो वह बिल भी आपके सामने आयेगा और इसी साल के अन्दर आयेगा।

बहुत सी और बातें हैं लेकिन मैं इस समय ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इन शब्दों के साथ यह अनुदान पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न कटमोशन पेश करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अन्दर एक रुपये की कमी कर दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान बड़े महत्व का है और इस पर जितना अधिक पैसा खर्च किया जाय कोई हर्ज नहीं है लेकिन देखना केवल यह है कि यह पैसा जो खर्च होता है उस खर्च से कोई लाभ होता भी है या नहीं और किस प्रकार उस धन का व्यय होता है। हम तो जब एक किसान की तरह से खेती करते हैं और उसके बाद जब खलिहान में उसको लाते हैं और उसके बाद जब फसल को दांते हैं और ओसाते हैं और उसके बाद तौलते हैं और उसके बाद अगर यह समझा कि फसल अच्छी हुई तो यह समझते हैं कि काम करने वाला जो आदमी था वह बड़ा लायक था होशियार था और हुनरमन्द था। लेकिन अगर हमने साल भर खेती की और खेती करने के बाद घर में लाकर तौला अगर वह कम हुई तो यह मालूम हो गया कि जो बहुत ही नाकाबिल आदमी था कोई खोज जिसने नहीं की थी, कोई नया ज्ञान उसको नहीं था तब भी उसकी पैदावार ज्यादा हुई और हमारी पैदावार में कमी हुई फिर हमें सोचने में दिक्कत होती है। इस विभाग ने हमें कोई फस्ल के आंकड़े नहीं दिये सिर्फ गन्ने और गेहूं के आंकड़े दिये हैं। गेहूं की जहां १९४४-४५ में ८.२८ टन प्रति एकड़ पैदावार थी वहां सन् १९५१ में ८.२५ टन प्रति एकड़ हो गई। यह गेहूं की पैदावार है। यह उस पत्रिका से जो माननीय राजस्व मन्त्री जी की ओर से दी गयी है उसी में से ये आंकड़े दे रहा हूं। उसी प्रकार जब मैं गन्ने को लेता हूं तो इंडियन शुगर टेरिफ बोर्ड ने हमको बतलाया कि सन् १९३६-३७ में प्रति एकड़ उसका उत्पादन १५.३ टन रहा है

और सन् ४८–४९ में प्रति एकड़ उसका उत्पादन ११.७ टन रहा । जब केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के दिये आंकड़ों को मैं पिछले वर्ष के देखता हूं तो उसमें यह लिखा हुआ है कि १९५१–५२ में १३२८ हजार एकड़ जमीन में गन्ना बोया गया और जो उसमें पैदा हुआ वह २१ करोड़ ८२ लाख मुन है । इस प्रकार जब हम देखते हैं तो यह मालूम होता है कि यह पैदावार बहुत कम है । किसी भी हालत में १० टन प्रति एकड़ हम मान लें तो इस प्रकार हमारी पैदावार धीरे २ घटती चली जा रही है । तो ऐसी हालत में हम क्या करें । रुपया आप बढ़ा रहे हैं । सरकारी खजाने से रुपया मुहकमे को खर्च करने के लिये बहुत दिया जा रहा है । जनता पर करों का बोझ बराबर लादा जा रहा है लेकिन इसका जो परिणाम निकल रहा है वह बिलकुल दूसरा ही निकल रहा है वह बिलकुल उलटा परिणाम निकल रहा है । तो ऐसी हालत में फिर हमको सोचने के लिये बाध्य होना पड़ता है कि इतना खर्च करने के बाद जब यह उपज नहीं बढ़ी है तो कहीं न कहीं कोई खामी है और उस खामी की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मुझे इस बात का फ़ख्र है कि माननीय कृषि मंत्री एक मेरी तरह से किसान हैं और एक किसान को इस बात का फ़ख्र होना चाहिये कि वह उस खामी को दूर करने की पूरी चेष्टा करे । मैं गेहूं की बात को छोड़ता हूं क्योंकि इस पर बड़ी खोज हो रही है लेकिन मैं यह समझता हूं कि दो हिस्सों में दो फसलों को बांटा जाय तो एक तो रुपया पैदा करने की फसल और दूसरी खाद्य पदार्थ की फसल । कैश प्राप्ति की फसल की बाबत निवेदन करना चाहता हूं और वह फसल गन्ने की फसल है । चीनी मिलों को जाने वाला जो गन्ना है वह सारा गन्ने का काम ईख सुधार विभाग की सुपुर्दगी में है और इस गन्ना सुधार विभाग ने जो अभी अपने काम किये हैं इनके ऊपर कभी कोई फ़ख्र के साथ कुछ नहीं कह सकता है । यह विभाग जो आज कायम है उसकी बाबत माननीय राजस्व मंत्री जी से बहुत शान्ति के साथ, आजजी के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन सुधार विभाग ने भी दूसरे विभागों की तरह से जो बदनामी का सेहरा है उसने भी उसको पहन लिया है । एक बदनामी का सेहरा तो पिछले वर्ष इस तरह से पहना कि उसने अपने यहां इस बात का अनुमान ठीक तरह से नहीं किया कि हमारे यहां गन्ने का कितना उत्पादन होगा । उसके गन्ने के ठीक पैदा होने को न आंकने के कारण नतीजा यह हुआ कि हमारे पच्छिमी जिलों में ७ जुलाई तक किसानों को गन्ने की सप्लाई करनी पड़ी । इसने इस बात का अन्दाजा नहीं लगाया कि उन मिल के क्षेत्रों में कितना गन्ना होने का अन्दाजा सही हो सकता है अब आप समझें कि ७ जुलाई तक अगर मिलें चलेंगी तो उसकी क्या हालत होगी जो खेत में गन्ना पैदा करने वाले हैं और जो मिलों में मजदूर काम करने वाले हैं उन की बुर्दशा का अनुभव हमें नहीं है । बहुत सी जगहों के बारे में मालूम है कि सरकार ने ८ आना मन तक गन्ना खरीदने की सुविधा मिलों को दे दी । सरकार को नुक़सान उठाना पड़ा । और उसमें भी ९ करोड़ २० लाख रुपया गन्ना का दाम बाक़ी रह गया जो मिलों को देने थे । २१, २२ करोड़ में से ९ करोड़ २० लाख रुपये बाक़ी रह गये यह सब जिम्मेदारी गन्ना विभाग की है । उस सरकार की है । अगर वह ठीक तरह से काम किया होता और उचित अन्दाजा लगाया होता तो इस गन्ने को मिल पेलने की कोशिश करते, लेकिन इस विभाग ने ऐसा नहीं किया । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी इस विभाग में वही चीज जारी है और आज भी केन कमिश्नर के दफ्तर से इस तरह के सरकुलर भेजे जाते हैं कि कम अन्दाजा लगाओ । हमारे यहां एक A. C. P. O. ने लिखा है कि १५० मन फी एकड़ से ज्यादा तुम अन्दाजा मत लगाओ चाहे खेतों में ५०० मन फी एकड़ ही क्यों न पैदा होता हो । तो मैं यह कहूंगा कि यह विभाग गन्ने के काश्तकारों के हितों की रक्षा नहीं कर रहा है । जूट की बात भी मैं कहना चाहता हूं । जूट की खेती बढ़ाने के बारे में इस सरकार के आदेश गये कि जूट की खेती बढ़ाई जाय । हमने भी सबसे कहा कि जूट की खेती करो और आज इस प्रदेश में इतना जूट पैदा होने लगा है कि हमारे सूबे का काम उससे चल सकता है, जितनी मिलें चलती हैं और उनको जितने जूट की जरूरत है वह यहां होने लगा है और यह सूबा सेल्फ सफीशेंट हो गया है । जो जूट पहले ४० रुपया मन बिकता था वह अब ९ रुपये मन बिक रहा है तो आप सोच लें कि उसकी खेती आइन्दा कौन करेगा । इस तरह से जूट की खेती चौपट की जा रही है और कोई सहायता नहीं की जा रही है,

[श्री गेंदा सिंह]

जूट पैदा करने वालों की यह बात सच है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जरूर कुछ सहायता दी लेकिन मैं इसकी जानकारी चाहता हूं कि हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी इसको बचाने के लिये क्या करना चाहते हैं। खेती की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक खोज होनी चाहिये लेकिन उन तरीक़ों को बेपढ़ा लिखा किसान नहीं समझता और कृषि और पशुपालन विभाग की पत्रिका भी वह नहीं समझा पाती है और मुझे भी अब की ही बार यह पत्रिका मिली है, मैं भी १४ हजार में से एक ही हूं। (आवाज़) आप ही जाकर समझावें। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं अवश्य ही जाकर बतलाता लेकिन मुझे भी तो मालूम नहीं है। अब मैं भी इस पत्रिका को मंगाऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा। इस पत्रिका की भाषा ऐसी नहीं है कि जिसको किसान समझ सकें इसलिये इसकी भाषा ऐसी होनी चाहिये कि जिसे किसान थोड़ा बहुत समझ भी सकें। इस सिलसिले में एक रिआरगेनाइजेशन कमेटी श्री चौधरी मुख़्तार सिंह जी के सभापतित्व में बनी थी लेकिन उसकी रिपोर्ट पर अमल नहीं किया जा रहा है। उसमें कहा गया था कि बड़े-बड़े अफ़सरों को १५-१५, २०-२० गांव देने चाहिये और उनका इम्तिहान होना चाहियें कि वह अपने क्षेत्र में क्या करते हैं तो मंत्री जी इसे लागू क्यों नहीं करते ? हरी खाद का प्रबंध भी माक़ूल होना चाहिये। बाढ़ से हानि होती है और उस पानी को अगर ठीक से रोका जाय तो बहुत लाभ उठाया जा सकता है। अगर बांध लगाने की खोज करके जगह तजवीज की जाय और पम्पिंग सेट्स लगाये जायं तो नदियों के पानी का अच्छा उपयोग हो सकता है।

एक बात और निवेदन करूंगा कि हमारे सूबे में बाढ़ कमेटी बनी थी लेकिन अभी तक मालूम नहीं उसकी रिपोर्ट आयी या नहीं। न मालूम कितना पानी बाढ़ के द्वारा नष्ट होता है और हानि पहुंचती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी स्वयं उस कमेटी में रह जायं और उसको एक्सपीडाइट करें क्योंकि पानी का बाढ़ से घनिष्ट संबंध है। इसलिये इस दिशा में सरकार को जल्द क़दम उठाना चाहिये। दूसरे केन सोसाइटीज को ओवर हाल किया जाय। तीसरे हरी खाद का प्रबन्ध किया जाय।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, मैं इस अनुदान के लिये माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं और उन्होंने अपने भाषण में बग़ीचों और सहारनपुर के रिसर्च स्टेशन के संबंध में जो कुछ कहा है उसका मुझे भी कुछ अनुभव है। मेरा अनुभव है कि यद्यपि इस प्रान्त के और जिलों की भी जमीन अच्छी है लेकिन सहारनपुर बग़ीचों की दृष्टि से सबसे अव्वल है। हर साल वहां प्रान्तीय सरकार फलों की प्रदर्शिनी कराती है। यद्यपि दशहरी आम मलीहाबाद का मशहूर है लेकिन अव्वल इनाम सहारनपुर का दशहरी ही पाता है। इसलिये बग़ीचों और फलों की दृष्टि से सरकार ने वहां जो रिसर्च स्टेशन कायम किया है उससे वहां के फलों को तरक्की मिलेगी, इस दृष्टि से वह उचित कार्य ही है।

इस साल धान की सबसे अधिक उपज किस जमीन में हुई है और उसका इनाम जो दिया गया था वह भी सहारनपुर के एक काश्तकार को मिला था। वह कांग्रेस कार्यकर्त्ता है। मैं समझता हूं कि सरकार को ध्यान देना चाहिये कि जिस प्रकार और रिसर्च की जाती है उसी प्रकार धान की तरक्की के लिये भी एक रिसर्च स्टेशन खोले वह सहारनपुर, देहरादून.....

श्री चरण सिंह—नगीना में है।

श्री दीनदयालु शास्त्री—मैं यह समझता हूं कि यह स्टेशन ऐसे जिले में बनाने की कोशिश करनी चाहिये जहां धान ज्यादा हो सकता है। मेरे जिले में सहारनपुर परगना, रामपुर परगना और ज्वालापुर परगना में जितना अधिक धान पैदा होता है उतना देहरादून में भी नहीं होता। यह ठीक है कि देहरादून की बासमती मशहूर है। लेकिन वह केवल थोड़े क्षेत्र में होती है। लेकिन सहारनपुर में बहुत बड़े क्षेत्र में धान होता है।

इसी प्रकार मैंने देखा एल० एस० एस० काटन के बीज के वितरण का यहां प्रबंध किया गया है। मैं पंजाब का रहने वाला हूं। सर्गोधा जिले में उसकी बड़ी भारी खेती होती है। मेरे पचास एकड़ के फार्म में भी उसकी खेती काफी परिमाण में होती थी। लेकिन यहां एल० एस० एस० काटन के बीज का जो वितरण किया जाता है वह नैनीताल की तराई में मेरे ख्याल में उगाया जा रहा है। आबहवा के विचार से मेरे ख्याल में नैनीताल की जमीन ऐसी नहीं है कि वह अधिक अच्छी फसल दे सके। मैंने यह भी सुना है कि जो बीज दिया जाता है वह इतने अच्छे किस्म का नहीं होता जो वहां पर उपज सके। मेरे पास उस मुहकमे के कुछ लोग पिछले दिनों आये थे। उन्होंने मुझे बतलाया कि जितने हिस्से में वह एल०एस०एस० बीज बोया गया उसमें से बहुत कम हिस्से में पैदावार हुई और जो हुई भी वह लाभ स्टैपिल की रुई नहीं हो पाई। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि अगर एल० एस० एस० काटन की पैदावार करनी है तो उसके लिये उपयुक्त साधन जुटाने चाहियें। मेरठ कमिश्नरी जो पंजाब के पड़ोस में है और आगरा कमिश्नरी के वह जिले जिनमें नहर है, वहां की जलवायु ऐसी है कि वहां इस संबंध में ज्यादा सफलता हो सकेगी। आज से पचीस-तीस वर्ष पहले इस प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कपास बहुत ज्यादा होती थी। और उसी कपास से लोग अपने कपड़े तैयार करते थे। लेकिन आज मेरठ कमिश्नरी के बहुत कम हिस्सों में कपास होती है। उसका प्रबंध हमें करना चाहिये और उसका प्रबंध यही हो सकता है कि उस एल० एस० एस० बीज का प्रयोग हम वहां पर करें।

माननीय मंत्री जी ने जमीन के कटान को रोकने के संबंध में भी जिक्र किया। मेरा खयाल यह है कि पहाड़ी और पहाड़ के पास के जिलों में उसका सबसे भारी खतरा है। गढ़वाल, देहरादून, सहरानपुर और बिजनौर में जो कि पहाड़ी जिले हैं या पहाड़ के नीचे के जिले हैं वहां ऐसी रौ चलती है जो चार महीने बरसात में चलती है और बाकी आठ महीने बन्द रहती है जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर रानीपुर, पथरी, रतमऊ और सैलानी नदियां ऐसी हैं कि हर साल सौ बीघा जमीन साफ कर देती हैं। उन जमीनों पर जहां खेती होती थी आज रेगिस्तान और मैदान पड़े हैं। प्रति वर्ष उनकी बाढ़ों से जो नुक्सान हो रहा है उसका ध्यान सरकार को दिलाया जाता है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है अब तक इन चारों नदियों से होने वाले नुक्सान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। ज्वालापुर और रुड़की परगनों में जहां बहुत अच्छी खेती होती थी अगर उनको इरोजन से न बचाया गया तो बहुत काफी नुक्सान होगा।

मैं साल में कई बार गढ़वाल भी जाता हूं। वहां की घाटियों में जहां पहले खेती होती थी वहां अगर आप जायं तो केवल जमीन की कटान की वजह से बड़ी-बड़ी खाइयां हो गयी हैं जिनमें रेत ही रेत दिखायी देती है। यही नैनीताल, अल्मोड़ा और टेहरी, के बारे में मेरा ख्याल है लेकिन वास्तव में अगर सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है तो उधर देने की जरूरत है जहां से जमीन की कटान शुरू होती है। वह पहाड़ों से शुरू होती है। इसका इलाज तभी हो सकता है जब कि जंगलों की उत्पत्ति वहां बढ़ायी जायगी। इसी तरह से सहारनपुर, बिजनौर, देहरादून जिलों में भी नदियों के आस-पास जंगलों की वृद्धि करने की आवश्यकता है ताकि जमीन का कटान न हो। अन्त में मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस अच्छे ढंग से इस काम को शुरू किया है उसमें न केवल हम सफल होने जा रहे हैं लेकिन अपने देश में सबसे आगे भी बढ़ाने जा रहे हैं।

एक शिकायत के तौर पर मुझे यह भी कहना है कि पिछले पांच वर्षों से एक सरकारी ट्रैक्टर लक्सर से ३ मील पर भीखनपुर में पड़ा हुआ है लेकिन यह पता नहीं चलता कि किसके आदेश से वहां पड़ा हुआ है और क्यों पड़ा हुआ है। तीन वर्ष पहले असेम्बली में उसके बारे में सवाल भी किया गया था जबकि श्री शेरवानी मंत्री थे। लेकिन वह आज भी

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

वहीं पड़ा हुआ है । वह ट्रैक्टर सरकारी है, लेकिन न कोई देखने वाला है और न पूछने वाला है कि क्यों पड़ा हुआ है। मैं इस ओर भी अपील करूंगा और आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी जहां उन्नति की बहुत सी बातें करते हैं वहां इस तरह की मुकद्दमे की कमजोरियों की ओर भी ध्यान देंगे, ताकि हमारे सूबे में कृषि की हर प्रकार से उन्नति हो सके ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आज के कृषि विकास के लिये इस अनुदान पर माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि यह अनुदान इतना महत्वपूर्ण है कि जिसके बिना हमारा देश उत्थान नहीं कर सकता है। आज मुझे मंत्री जी की बातें सुनकर हार्दिक खुशी हुई कि वह अपने देश की पैदावार बढ़ाने के लिये नाना प्रकार की कृषि योजनायें लागू कर रहे हैं। मैं उनके इस सुझाव से संतुष्ट हूं, किन्तु इतना मैं सुझाव के तौरपर आपसे प्रार्थना करता हूं कि जहां कृषि के लिये उन्नति की आवश्यकता है वहां हमें यह सोचना होगा कि इस पृथ्वी की रक्षा हम करें जिससे यह कटान से बचे और सैलाब से बचे। क्योंकि हमारे प्रदेश में बहुत से भाग ऐसे हैं कि जहां कटानों से जमीन बरबाद हो गयी, सैलाब से जमीन बरबाद हो गयी और जो पैदावार होनी चाहिये थी उसमें कमी हो गयी है ।

हमारे जिले मुजफ्फरनगर में गंगा नदी के खादर में अब के वर्ष में सैलाब आया और नदी हमारे जिले को पानी से भर गयी तो उससे कई गांव में बहुत भारी पानी भरने की वजह से बहुत खराबी हुई । तो आवश्यकता है कि उस पानी के बहाव को रोका जाय और वहां वृक्ष लगाने की योजना की जाय, ताकि जमीन एक तरीके से सुरक्षित रह सके ?

दूसरी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आज जमीन का जो वितरण है वह किस प्रकार का है ? उससे कैसे उन्नति हो सकती है ? मैं तो इतना कहूंगा कि जो मनुष्य खेती में जमीन को अपनी समझेगा वही उसमें अधिक पैदावार कर सकेगा । आज बहुत से आदमी खेती पर इस तरह से लगे हुये हैं कि वह नौकर के समान उस पर काम करते हैं। इतनी रुचि उनकी उसमें नहीं है । आज हमारे फाइव ईयर प्लान में यह है कि एक आदमी के पास कितनी भूमि होनी चाहिये, जबकि उससे अधिक भूमि लोगों के पास है । वह उसमें उतनी पैदावार नहीं कर सकते हैं जितनी कि अनुपात से होनी चाहिये, जितनी कि हमारे देश की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में जो जमीन बंजर पड़ी है। वह ऐसे लोगों को दी जाय जो खेती का अनुभव रखते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर सकते हैं । वह हैं भूमिहीन खेतिहर मजदूर ।

आज छोटे-छोटे किसानों के पास थोड़ी-थोड़ी जमीनें हैं, उनकी तरफ विशेष ध्यान की आवश्यकता है। इसलिये कि बड़े किसानों को तो, जिनके पास बड़ी-बड़ी जमीनें हैं, उनको हर प्रकार की सुविधायें मिल जाती हैं, लेकिन छोटे किसानों को बीज, खाद और पानी की अति आवश्यकता है अपनी पैदावार बढ़ाने के लिये। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे छोटे किसानों को कि जिन्हें यह मौका है, जो अपने आप खेती करके अपनी मेहनत से जमीनों पर परिश्रम करके पैदावार करते हैं, उनके लिये विशेष सहायता और उन्नति का मौका देना चाहिये, उनको इनामात भी देने चाहिये, उनको हर तरह से इस प्रकार से मदद दी जाय कि उनके हलों और बीजों और खाद के लिये उनको सबसिडी वस्तुओं के रूप में दी जाय । नकदी के रूप में न दिया जाय। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने इस बात को ध्यान में रखा है कि अब वह सबसिडी वस्तुओं के ही रूप में देने का विचार रखते हैं। ऐसा देखा गया जहां इनाम दिया गया, कुछ काश्तकारों ने थोड़ी सी जमीन पर अच्छा अनाज पैदा कर लिया और वह नमूने के तौर पर रखे गये तो उनको इनाम मिल गया। इससे हमारा ज्यादा भला नहीं होगा। गो यह भी अच्छी चीज है किसी चीज की नस्ल को बढ़ाने के लिये, लेकिन भलाई ज्यादा इसमें है कि जितनी जमीन

किसी के पास है उस सारी जमीन में वह अधिक से अधिक पैदा करके दिखाये । तो इनाम पाने का मुस्तहक वही है। जिसने कि अधिक से अधिक पैदा करक देश को दिया है। तो वही लोग ज्यादा पैदावार कर सकेंगे जो कि भूमि को अपनी समझेंगे। आज हमारे देश में जो लोग खेती में काम नहीं करते हैं असल में उनको जमीन का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये । आज दफ्तरों में अगर कलेक्टर साहब कलेक्टरी करते हैं, तहसीलदार साहब तहसीलदारी करते हैं या कोई भी सरकारी नौकर हैं तो जब वह सरकार से तनख्वाह पाता है तो उसका कोई अधिकार नहीं है कि वह जमीन का भी फायदा हासिल करे। तो आज जरूरत इस बात की है कि जो लोग खेती करते हैं जमीन पर उन्हीं को अधिकार होना चाहिये । एक ही तरह का फायदा हासिल करना चाहिये, चाहे इस तरफ से ले चाहे उस तरफ से । मैं आशा करता हूं कि इसकी ओर भी ध्यान दिया जायगा कि जिन लोगों का जमीन पर कब्जा है, वह लोग ठीक रूप से स्वयं अपने से परिश्रम करके अपनी पैदावार करते हैं उन्हीं को हक होना चाहिये जिन्होंने जमीन पर पैदावार की है, कर रहे हैं तो मैं आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान आज इस समय हाउस के सामने प्रस्तुत है उसमें जितना खर्च किया जाय वह कम ही है क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और हमारे प्रदेश की जनता आज ८५ प्रतिशत के करीब देहात में रहती है, उसका उत्थान कृषि के ऊपर ही निर्भर है। यदि हमारे प्रदेश में कृषि अच्छी तरह से सम्पन्न हो तो देहात में रहने वाले किसानों की हालत सुधरे और अच्छी हो और इसी से उनकी तरक्की हो सकती है। परन्तु इस संबंध में हमें अपने राजस्व मंत्री का ध्यान कुछ बातों की तरफ अवश्य आकर्षित करना है क्योंकि जो तरीके खेती-बाड़ी की तरक्की के लिये उन्होंने प्रदेश में जारी किये हैं वे बहुत अच्छे हैं परन्तु उनका प्रबंध जिस ढंग से हो रहा है, जिस ढंग से चल रहा है, वह मुनासिब नहीं मालूम पड़ता है जहां तक बीज गोदामों की बात है, बीज गोदाम इसीलिये खोले गये कि वहां से उन्नतिशील बीज किसानों को मिले और जिससे कि वह अपनी कृषि में तरक्की कर सकें। परन्तु अधिकांश में यह देखने में आया है कि वहां का बीज किसानों को जो दिया जाता है वह उनके घर के बीज से भी कहीं खराब हालत का दिया जाता है । जहां तक मेरे जिला फर्रुखाबाद की बात है वहां पर मैंने देखा कि जो बीज गोदामों से बीज दिये गये वह अच्छे बीज नहीं साबित हुये बल्कि उसका एक नमूना तो हम लोगों ने लाकर माननीय मन्त्री महोदय के सामने अक्तूबर में उपस्थित भी किया था कि यह उन्नतिशील बीज के नाम से आज वहां के काश्तकारों को दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जहां तक हरी खाद की बात है, हरी खाद के लिये कपास की बात है मुझे तो यह समझ में आया कि वह केवल कागज में खानापुरी की जाती है क्योंकि सनई अथवा कपास के बोने का समय तो जून या जुलाई में होता है परन्तु उसके बीज जब गेहूं वगैरह रबी के बीज दिये जाते हैं तो उनके साथ जबरदस्ती यह दिये जाते हैं। इस संबंध में कृषि मंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करता हूं कि इसके लिये वह अवश्य जिले के अधिकारियों को चेतावनी भेजने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के काम वहां पर न हों और उपयुक्त समय पर ही इस प्रकार के बीज दिये जावें।

इसके साथ साथ जो और बहुत से राज्य कर्मचारी कृषि उन्नति के लिए अथवा बीज गोदामों के हेडक्वार्टर्स पर रखे गये हैं, मैं तो यह देखता हूं कि उनका केवल काम वहां आफिस में बैठकर कृषि की उन्नति का करना है, न तो वे किसी गांव में पहुंचते हैं और न काश्तकारों को उचित सलाह देते हैं और न अपने उस काम का, जिसके लिये उनकी नियुक्ति हुई है काश्तकारों को फायदा पहुंचाते हैं। जहां तक और कृषि के संबंध की बातों हैं वे काश्तकारों तक पूरी नहीं पहुंच पाती हैं, और इसी की वजह से हमारे प्रदेश के काश्तकार पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाते हैं। बहुत सी बातें कागजों में ही रह जाती हैं।

[श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी]

जहां तक तकावी वाली बात है मुझे तो आज यह दिखलाई पड़ता है कि तकावी सिर्फ ऐसे बड़े आदमियों को ही जो सरकारी कर्मचारियों के मुंह लगे हैं या उन तक उनकी पहुंच है, मिल पाती है। जिन किसानों को वाकई में सच्चे माने में जरूरत है, जो उसको लेकर के कृषि में उन्नति कर सकते हैं और जिससे हमारे देश और हमारे प्रदेश का कल्याण हो सकता है, वे कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसलिये इस संबंध में मुझे अपने कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित करना है कि वे उचित कार्यवाही करें और जिला अधिकारियों को इसके लिये आदेश दें कि वाकई में उन सच्चे किसानों को, जिनको आज रुपये की जरूरत है और जो सरकारी सहायता ले करके कृषि में उन्नति कर सकते हैं, वह सहायता उन्हीं को दी जाय और ऐसे बड़े आदमियों को न दी जाय जो पैसे से कृषि के नाम पर कुछ न करके अपने दूसरे कामों में पैसा लगाकर रोजगार और धंधे करते हैं और दूसरे किस्म का फायदा उठाते हैं। इसलिये अगर सच्चे माने में देश की उन्नति करनी है तो इन बातों की तरफ हमारे माननीय कृषि मंत्री जी को अवश्य ध्यान देना चाहिये कि हमारे प्रदेश का कल्याण हो सके और कृषि की उन्नति हो सके जो इस विभाग का मुख्य मंशा है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करके अध्यक्ष महोदय, आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस पूरे बजट सेशन में आज आपके द्वारा मुझे कुछ बोलने का अवसर मिल सका।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुये जहां तक मुझे याद पड़ता है दो ही बातें केवल कही थीं, एक तो यह कि पैदावार घटती जा रही है और दूसरे यह कि गन्ने के मुहकमें ने अपने कर्ज की अदायगी नहीं की, कम से कम पार साल जब कि ७ जुलाई तक गन्ना फैक्ट्रियों को गन्ना पेलना पड़ा। जहां तक पैदावार घटने का ताल्लुक है मैं इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं कि पैदावार घटती जा रही है। पैदावार घट रही है या बढ़ रही है वह पांच साल के आंकड़ों से तय नहीं हो सकता, १० साल के आंकड़ों से भी तय नहीं हो सकता। कायदा यह है कि ४० साल के आंकड़े देखे जाते हैं तब किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि पैदावार घट रही है या बढ़ रही है। कुछ सालों से बराबर हमारे इस सूबे में या तो बारिश बहुत कम होती है या बेवक्त होती है या बाढ़ आ जाती है इससे अगर इन पांच साल के आंकड़ों की तुलना हम करने लगें सन् ४७ से और फिर यह नतीजा निकालने लगें कि गवर्नमेंट की कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है क्योंकि पैदावार घट रही है तो यह सही नहीं होगा। खेती की पैदावार बहुत से फैक्टर्स पर मुनहसिर है। वह यहां खेती का मुहकमा क्या करता है इस पर मुनहसर नहीं है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बुनियादी बात तो यह है कि गवर्नमेंट के पास खेती का मुकहमा है खेत उसके पास नहीं हैं, खेत दूसरों के पास हैं। तो गवर्नमेंट कितनी ही कोशिश करे जबकि हमारे देश में ८८ फी सदी आदमी बेपढ़े हैं, कृषि विभाग कितनी ही अच्छी किताबें निकाले लेकिन उनका पढ़ने वाला कोई नहीं है जो माननीय सदस्य इत्तिफाक से गवर्नमेंट से मतभेद रखते हों, मुझे माफ करेंगे, और जो गवर्नमेंट पार्टी से संबंध रखते हों, उनका ज्यादा ध्यान एलेक्शन आदि की तरफ है। फिर वह बात किसान तक पहुंचे तो कैसे पहुंचें। इस सिलसिले में कृषि मुहकमा कितना ही कुछ करे लेकिन जब तक नेशनल एफर्ट नहीं होगा और पब्लिक वर्क्स में कान्शसनेस नहीं होगी और किसानों में खुद सेल्फ इम्प्रूवमेन्ट की भावना नहीं होगी तब तक हमारे देश को अपवर्ड ग्रेड में नहीं जाना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसमें निराश होने की भी बात नहीं है क्योंकि किसान पहले के बनिस्बत ज्यादा कान्शस हैं और आप जाइये तो आपसे सवाल करते हैं तो धीरे-धीरे हमारा प्रदेश और हमारा देश तरक्की करेगा इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो भी ईविल काउन्सेल्स हैं डिसअप्वाइन्टमेंट के और डिस्पेयर के उनको हमें यूज नहीं करना है। दरअसल कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से हमको आपटिमिस्ट होना चाहिये लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट के पास खेत

नहीं हैं, खेती का मुहकमा है और फिर वर्षा, बीज, और लोकस्ट यानी टिड्डी और इन्टरनेशनल कारणों की वजह से चीजों के भावों पर असर पड़ता है। गेंदा सिंह जी ने कहा कि सरकार कोई आंकड़े नहीं जमा कर सकी कि पिछले साल कितना गन्ना पैदा हुआ इस वजह से कोई प्रोग्राम नहीं बन सका। लेकिन सरकार को यह तो अधिकार है नहीं कि वह किसानों को मजबूर कर कि तुम इतना गन्ना बोओ लिहाजा जब एक रुपये ४ आने के बजाय १ रुपये १० आने और १२ आने हुए तो गन्ने की पैदावार में तरक्की होती गयी। सन् १९४५-४६ में १८,१९,००० एकड़ था और सन् १९५१-५२ में २९,०१,००० हो गया तो उसका तिहाई रकबा बढ़ गया ६ साल के अन्दर, इसमें गन्ने का मुहकमा क्या करे। क्या गन्ने का मुहकमा डिस्सुवेड करता कि तुम न बोओ, वह मजबूर नहीं कर सकता था उन लोगों को। मेरे कहने का मतलब यह है कि खेती में यह है कि अगर पैदावार बढ़ जाय तो भाव भी गिर जाय और अगर पैदावार घट जाय तो भाव बढ़ जाय और फिर किसान उसे बोना शुरू कर देता है क्योंकि ज्यादा पैदावार बढ़े और भाव फिर गिर जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि खेती की पैदावार में मारकेट रेट्स, मारकेटिंग फैसिलिटीज, कम्यूनिकेशन्स, लोकस्ट इन्सेक्ट, पेस्ट, वाटर, मेन्योर, सीड और किसानों की अपनी बुद्धि और सीजन न मालूम कितनी चीजें काम करती हैं। पिछले साल की बात है कि गेहूं की फसल ऐसी थी कि किसानों का दिल बड़ा प्रफुल्लित था लेकिन हवा तेज चल गयी, दाना पकने नहीं पाया था और उसका नतीजा यह हुआ कि दाना हल्का हो गया तो इसमें खेती का मुहकमा क्या करे। इस साल भी हमारे यहां बड़ी अच्छी फसल आयी है और मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर वह किसानों के घर पहुंच जाय। लेकिन अभी दोबारा फिर देवरिया में ओला पड़ गया जहां से आप तशरीफ लाये हैं। बतलाइये क्या करें। जब सारा हिसाब लगाया जायगा तो उसमें ओलेवाला भी आवेगा। तो २-४ साल के आंकड़ों से हिसाब निकालना ठीक नहीं है। पहले हम पटवारी वग़ैरह की रिपोर्ट से अनुमान लगा लिया करते थे लेकिन अब क्राप कटिंग एक्सपैरीमेन्ट्स किये जा रहे हैं हर फ़सल में। बहुत सी में हो चुके हैं और औरों में करना चाहते हैं। उन सब से यह जाहिर होता है कि अभी तक हम अन्डर एस्टीमेट करते थे। वे जो आंकड़े थे उनमें बहुत कुछ तो ऐसे ही थे जो अटकलपच्चू थे। कोई उनका साइंटीफिक तरीका नहीं था। अभी तक हम लोगों का अनुमान यह था कि गन्ने की पैदावार हमारे यहां औसतन ३०० मन फ़ी एकड़ होती है बल्कि २८२ भी इस साल अन्दाजा लगाया गया। इस साल हमने क्राप कटिंग एक्सपैरीमेंट्स वैस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में किये हैं ईस्टर्न के आंकड़े अभी नहीं आये हैं लेकिन वेस्टर्न के पहले आ गये थे और उनसे जाहिर होता है कि जो हम अन्दाजा किया करते थे उससे कहीं ज्यादा है। यह इसी से जाहिर होता है जो मैं अंग्रेजी में पढ़े देता हूं और पीछे तर्जुमा कर दूंगा।

"On the basis of such data the average yield for the zones of Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpore and Bijnor districts is given in the table. The scheme is in operation at other places also and their results are being collected as crop cutting work goeson. The enclosed figures show that the average yield of plant cane varies from 405 to 655 maunds per acre and that of ratoon from 131 to 440 maunds per acre. The over all average is roughly 430 maunds per acre."

[ऐसे आंकड़ों के आधार पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर जिलों के क्षेत्रों के उत्पादन का मध्यमान नक्शे में दिया हुआ है। यह योजना अन्य स्थानों में भी कार्यान्वित है और फसल के काटे जाने पर उनके परिणाम एकत्र किये जा रहे हैं। संलग्न आंकड़ों से प्रकट होता है कि गन्ने के पौदे की औसत पैदावार प्रति एकड़ ४०५ से ६५५ मन तक है और ईख की १३१ से ४४० मन प्रति एकड़। सब मिला कर औसत साधारण तौर पर ४३० मन प्रति एकड़ है]

यह इंटेंसिव जोन है। इससे मालूम होता है कि जो हमारे पहले आंकड़े थे अनुमानतः वे बहुत ठीक नहीं थे। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में अब की बार गन्ने की फ़सल बहुत खराब हुई।

[श्री चरण सिंह]

तो उसमें भी गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। वक्त पर बारिश नहीं हुई और जब हुई तो बहुत ज्यादा हुई। जो मोदी नगर की मिल पिछले साल ७ जुलाई तक चली थी वह इस साल ७ मार्च को ही बन्द हो चुकी है। पूरब की मिलें जो पिछले साल अब तक बन्द हो गयी थीं वे अब तक चल रही हैं क्योंकि जलवायु अनुकूल रही तो वहां फ़सल अब की बार अच्छी हुई। तो २, ४ साल के आंकड़ों से या ५,७ साल के आंकड़ों से भी कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता है। मेरे दोस्त पं० दीनदयालु जी शास्त्री ने काटन के सिलसिले में कहा है। शायद उनको मालूम भी है कि ज्यादातर मथुरा, अलीगढ़ और बुलन्दशहर में ही कपास पैदा होती थी और वहीं हमारा काम पहले कुछ बीच में बन्द सा हो गया था काटन पर खोज करने का। वह काम फिर शुरू हो गया है। जो कुछ उन्होंने कहा है कि नैनीताल वगैरह में बहुत सूटेबिल जगह नहीं है, उसके बारे में यदि वे मुझसे बात करने की कृपा करें तो उस पर जो कुछ हो सकेगा वह करने की कोशिश की जायगी।

एक बात उन्होंने ट्रैक्टर की कही कि २ साल से पड़ा हुआ है। यह बात ठीक है। कारण यह है कि उसके पार्ट्स जिनके होने से वह चल सकता है, वे मंगाये जावें, उसमें लगें, तब वह ट्रैक्टर वहां से हटे। एक अफ़सर की उसमें ग़लती थी और उसमें कार्यवाही हो रही है। यह नहीं है कि हटाने की कोशिश नहीं की गयी है लेकिन मजबूरी है। इस गन्ने के सिलसिले में और भी मेरे पास आंकड़े हैं। पूरब में भी पैदावार बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है।

इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि यह अनुदान सदन को स्वीकार होगा।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, समय बहुत थोड़ा है। राजस्व मंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसका उत्तर देना बहुत जरूरी मालूम पड़ता है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिये अगर आप की आज्ञा हो तो मैं ५, ७ मिनट का वक्त चाहूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि आंकड़ों पर हमें ज्यादा निर्भर नहीं करना चाहिये। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर हम आंकड़ों पर निर्भर न करें तो फिर हमारे पास चारा नहीं रह जाता है कि हम किसी तरह से भी किसी की कारगुजारी को नाप सकें। सरकार की कारगुजारी भी आंकड़ों पर ही निर्भर है। सरकार बतलाती है कि इतना रुपया खर्च किया गया, इतना रुपया मिला और उससे उतनी उपज या उत्पादन बढ़ा। चाहे वह कारखाने हों या खेती हों।

मैं माननीय राजस्व मंत्री जी की इस बात से तो पूरी तरह से इत्तिफाक़ करता हूं कि हमारे यहां जो खेती संबंधी आंकड़े हैं वह बहुत ही अविश्वसनीय हैं और उन पर सोलहों आने विश्वास कर लेना कठिन मालूम होता है। जैसा कि उन्होंने कहा कि ४, ५ साल के आंकड़ों पर क्यों आप अपनी राय क़ायम करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि यह इंडियन शुगर टैरिफ बोर्ड के यह १२ साल के आंकड़े हैं जिन पर मैं निर्भर करता हूं। उससे ऐसा मालूम होता है कि इस विभाग में कोई सुधार नहीं हुआ है और यह बड़ा अकर्मण्य विभाग है और इसने कोई तरक्की नहीं की है। इसके अलावा मैंने उत्तर प्रदेश गन्ना सहकारी समिति की वार्षिक रिपोर्ट देखी। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो मैंने आंकड़े दिये थे। इसमें लिखा हुआ है कि सन् १९५१--५२ में १३ लाख २८ हजार एकड़ भूमि में गन्ना बोया गया। और उसमें २१ करोड़ ८२ लाख मन गन्ना पैदा हुआ यानी १० टन से अधिक नहीं जाता है। सन् १९३६ से लेकर ५१, ५२ तक की यह उपज है। इस पर भी माननीय राजस्व मंत्री जी कहें कि इस विभाग का काम संतोषजनक है तो फिर सिवाय यह कहने के और कोई चारा नहीं है कि यह जान कर अनजान होना चाहते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनको समझा नहीं पाते हैं। वह ऐसे विभाग को बढ़ावा देते हैं जो अकर्मण्यता से काम करता आ रहा है। मैं उनसे ऐसे उत्तर की आशा नहीं करता था।

मैं समझता हूं इसमें कुछ ख़ामी है उसको उन्हें देखना चाहिये था। उसमें ऐसे आदमी भी हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं लेकिन ऐसे विभाग पर हम ५२ लाख रुपया सालाना ख़र्च करें और वह एक रत्ती भर भी मदद न कर पाये किसानों की तो ऐसे विभाग को रखने से कोई लाभ नहीं होगा।

एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि इस विभाग में जो निचला वर्ग कामदारों का है उनकी तादाद १२, १६ सौ के क़रीब है उनका वेतन बहुत ही कम है और दूसरे उनमें जो परमानेन्ट होने चाहिये उनको परमानेन्ट किया जाय जिनकी कार्य क्षमता से ही विभाग के सुधार में भारी सहायता मिलेगी। इस विभाग में भीतरी कमजोरी है। अगर माननीय राजस्व मंत्री उसको देखने की कोशिश करेंगे तो उनको वह कमजोरी मिल जायगी। इसमें अच्छे अच्छे अफसरान भी फंसे हुये हैं और उनका एक गुट्ट बना हुआ है इस वजह से सरकार का रुपया ठीक तरह से व्यय नहीं हो पाता है। इस गुट्ट में लोग नीचे से ऊपर तक के हैं और उनका एक ही मक़सद है कि बेईमानी करो और रुपये कमाओ। अगर कोई ईमानदार आदमी इस विभाग में आ जाय तो उसकी मुसीबत हो जाती है। ऐसी बातें हैं अगर वे चाहेंगे तो मैं उनकी ख़िदमत में एक दो उदाहरण पेश कर दूंगा।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जैसा माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि सम्मानित सदस्य इस विभाग से सहयोग करें और जनता को इस विभाग की बातें बतलायें और जनता उनसे लाभ उठाये। मैं उनकी इस बात से बिलकुल इत्तफाक़ करता हूं लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं आप की आज्ञा से उनको एक बात का स्मरण करा देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले वर्ष हर जिले के सदस्यों से वायदा किया था कि वह उनसे एक आध महीने में अवश्य मिलेंगे। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा किया। उनके सदस्यों से न मिलने का कुपरिणाम यह हुआ कि उनको धान की ४०० क़िस्मों के बारे में नहीं मालूम हो सका। पिछले वर्ष जब मैंने कहा था कि राजस्व मंत्री को क्या मालूम है कि धान कितने क़िस्म का होता है तो मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया गया था। अगर लोगों से उनकी मुलाकात हुई होती तो इस तरह की बात न हुई होती कि क्वार में पकने वाले धान के बीजों को अगहन वाले खेतों में बोया जाता और अगहन में पकने वाले बीजों को क्वार वाले खेतों में बोया गया और उससे बड़ा भारी नुक़सान हुआ। हजारों एकड़ जमीन में वह धान बोया गया और वैसे ही बगैर फ़सल के काट कर लोगों को खिला देना पड़ा। इसलिये मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विभाग वाक़ई ऐसा विभाग है कि जिसमें क़तई एलेक्शन की तरफ़ से इस मामले में ध्यान नहीं है। इस मामले म तो यह ध्यान है कि अगर किसान के खेत में ज्यादा पैदावार होती है तो उससे एलेक्शन पर भी असर पड़ेगा और अगर हम खेत की पैदावार ज्यादा न कर पाये तो न उनके लिये एलेक्शन में अच्छा है और न हमारे लिये। इतनी बात ज़रूर है कि जहां बुराई को देखते हैं वहां सरकार पर्दा डालने की कोशिश करती है। चाहिये यह कि जहां जो बुराई दीखती हो उसको दूर करें। यही करने से हमारा कल्याण है, इस प्रान्त का कल्याण है और इस कोआपरेटिव की जो बदनामी होती है उसको बदनाम होन से भी बचा लेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात प्वाइंट आफ़ इनफ़ार्मेशन के लिए बता देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—कहिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—माननीय गेंदा सिंह जी ने अभी यह बतलाया कि १४ या साढ़े १४ लाख एकड़ ज़मीन में २१ करोड़ मन गन्ने का उत्पादन हुआ। मैं यह बता देना चाहता हूं कि मिल के रिज़र्व एरिया में जो १४ लाख ३९ हज़ार एकड़ भूमि थी उसमें २४ करोड़ ४९ लाख मन गन्ने की सप्लाई केन सोसाइटीज़ के ज़रिये हुई जो कि क़रीब क़रीब ५० फीसदी गन्ना रिज़र्व एरिया का मिलों को सप्लाई किया जाता है।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप ने भाषण देना शुरू कर दिया। मैंने समझा था कि सिर्फ कोई इनफ़ार्मेशन आप को देनी है।

श्री चरण सिंह—मैं बस दो ही मिनट लूंगा। एक बात ज़रा सी मैं यह कह देना चाहता हूं कि जिस वक्त मैं कह रहा था उस वक्त भी मुझे शुबहा था लेकिन उसको साफ़ कर देना चाहता हूं। मैंने यह कहा था कि अमोनियम सल्फ़ेट जो ३० जून तक लोग लेंगे तो उनको सूद नहीं देना होगा। दरअस्ल ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि ३० जून तक जो गवर्नमेंट आफ़ इंडिया हमको अमोनियम सल्फ़ेट देगी उस पर हम को सूद नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से वह सस्ती हो जायगी। न कि यह कि किसानों को सूद नहीं देना पड़ेगा। एक बात यह हुई।

दूसरी बात यह कि माननीय गेंदा सिंह जी ने यह कहा कि मैंने पिछले बजट की बहस में यह कहा था कि मैं हर ज़िले के माननीय सदस्यों से खेती के मुहकमें के इम्प्रूवमेंट के सिलसिले में मिला करूंगा और जाना करूंगा कि क्या क्या उनकी शिकायतें हैं और क्या क्या सुझाव हैं। यह बातठीक है और मैं इस दोष का भागी अवश्य हूं कि जो मैंने कहा था वैसा न कर सका। लेकिन इतनी बात कहना चाहता हूं कि मेरे मन में वह इच्छा बराबर बनी रही कि रोज शाम को मीटिंग हुआ करे, ५० ज़िले हैं तो ५० दिन तक, लेकिन कभी कोई शाम मुझको खाली न मिली और मैं वह मीटिंग न कर सका। इसलिये समय की कमी के कारण ऐसी बात न हुई न कि इच्छा की कमी के कारण। जब बजट का अधिवेशन शुरू हुआ था उस वक्त भी मैंने इरादा किया था लेकिन कभी कोई शाम खाली न मिल सकी।

जहां तक उन्होंने यह बात कही कि केन डेवलपमेंट कौंसिल कुछ काम नहीं करती है, यह बात ग़लत है। मैं आंकड़े देना नहीं चाहता, केन डेवलपमेंट के ज़रिये बहुत सी सड़क बनीं, ट्यूब वैल बने, पुलिया और पुल बने और पहले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा खाद बनी। जिससे काफ़ी तरक्क़ी हुई। जहां तक भ्रष्टाचार वग़ैरह की बात है तो उनके ही ज़िले में पिछले साल जो एक सबसे बड़ा आफ़िसर था वह ससपेंड है। दूसरा एक आफ़िसर है उसको अभी रिवर्ट करके भेजा है और मुझे माननीय रावत जी से मालूम हुआ है कि जब मैं कह रहा था कि आप उनसे बातें करना चाहते हैं तो वह आप से बातें कर चुके हैं और आपने वादा किया था कि आप तफ़सील में बात बतायेंगे लेकिन शायद अभी उस वादे की पूर्ति नहीं हुई है। मेरा मतलब कहने का यह है कि जो भी माननीय सदस्य बतलाय या कोई सज्जन बतलायें कि किसी भी राज्य कर्मचारी की ग़लती है, उसकी गफलत है या और कोई बात है जिससे कि जनहित को नुक़सान पहुंचता है तो उसके ख़िलाफ़ उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष—क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं।

श्री गेंदा सिंह—जी हां, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष —प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—कृषि संबंधी विकास और खोज (लेखा शीर्षक ४०—कृषि) के अन्तर्गत १,७०,१०,२०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१९ मार्च, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिऐ तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३८ पर)

IMPORTANT

No. O-305/II-B—1953

FROM

SRI B. N. JHA, I.C.S.,

CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT,

UTTAR PRADESH,

TO

ALL HEADS OF DEPARTMENTS AND
PRINCIPAL HEADS OF OFFICES,

UTTAR PRADESH,

Dated Lucknow, January 30, 1953.

Subject: PART I OF THE REPORT OF THE DISCIPLINARY PROCEEDINGS INQUIRY COMMITTEE.

SIR,

I AM directed to forward herewith a copy of Part I of the Report of the Disciplinary Proceedings Inquiry Committee, which has also been published in Part I-A of the *Uttar Pradesh Gazette* under notification no. O-226 /II-B-1953, dated January 30, 1953, and to say that the Governor has accepted all the recommendations made by the Committee in their Report (subject to a slight modification in respect of paragraph 15 of the Report). For facility of reference they are enumerated below:

(1) Amendment of Rule 55 of the C. C. A. Rules which deals with the procedure to be followed in disciplinary cases leading to the punishment of dismissal, removal or reduction. (Paragraph 11 of the Report.)

(2) Prescription of a standard form for charges to be used in connection with proceedings under Rule 55 of the C. C. A. Rules (Paragraph 12.)

(3) Addition of a new Rule 55-A, to the C. C. A. Rules relating to affording a second opportunity in cases to which Rule 55 *ibid* applies. (Paragraph 13.)

(4) Addition of a new Rule 55-B to the C. C. A. Rules to provide for the procedure to be followed in the case of minor punishments (Paragraph 14.)

(5) Amendment of Rule 56 (*a*) of the C. C. A. Rules to exclude the right of appeal in cases of minor punishments. (Paragraph 14.)

(6) Amendment of Rule 49 of the C. C. A. Rules to delete 'suspension' from the list of punishments and addition of a new Rule 49-A to provide for suspension pending inquiry. (Paragraph 15.)

(7) Vesting the power of "suspension pending inquiry" in the appointing authority in the case of members of the State services, and making it permissible to delegate this power to subordinate authorities int he case of the subordinate services. The particular authority to which the power may be delegated in each case to be examined with reference to the various classes of government servants in different departments. (Paragraph 15.)

(8) "Suspension pending inquiry" should not ordinarily be resorted to unless the allegations are serious enough to warrant dismissal, removal or reduction, and should in such cases immediately precede the framing of charges and their communication to the accused government servant. (Paragraph. 15.)

(9) Addition of a new Rule 49-B to the C. C. A. Rules making dismissal or removal effective from the date on which suspension had come into effect. (Paragraph 15.)

(10) Framing of a new general rule to regulate the termination of services of temporary government servants. (Paragraph 16.)

(11) Position of existing temporary personnel to be brought into line with that of future employees by formally terminating their appointment at the end of their present terms, and offering to such of them whom it is proposed to re-employ similar conditions as the others. Such formal termination of services of existing personnel referred to above should not have any of the other consequences of a break in service. (Paragraph 16.)

(12) Prescription of a time-schedule to be followed in all big and complicated cases of departmental proceedings, (Paragraph 17.)

(13) Superior officer responsible for initiating formal proceedings should be required to keep a close watch over the case to prevent undue delays. (Paragraph 17.)

(14) Enacting of law to give authority to the inquiring officer to compel attendance of witnesses, as is the case at present in the case of inquiries held under the Public Servants Inquiries Act. (Paragraph 18.)

(15) Appointment of a Committee for enacting a comprehensive legislation, as envisaged in Article 309 of the Constitution, to govern all aspects of a person's service under the Government, and pending such legislation, framing of an omnibus set of rules for all government servants, including those enrolled under the Police Act and the subordinate establishment of the Jail Department and the preparation of a manual dealing with the conduct, discipline, etc., of government servants. (Paragraph 19.)

(16) Requiring all gazetted officers to acquire full knowledge of the Government Servants Conduct Rules, and particularly to bear in mind the provisions of rules 3 and 4 thereof, relating to public demonstrations in honour of government servants and presentation of trowels. (Paragraph 21.)

(17) Grant of integrity certificate for gazetted officers and members of the Upper Subordinate Services to continue in the form prescribed in G. O. no. 2327/II-B-69-1948, dated July 24, 1948, for others drawing Rs.30 p. m. or more, the form to be as prescribed in 1938, and no annual integrity certificates to be required in the case of those drawing less than Rs.30 p.m. (Paragraph 22.)

(18) Responsibility for granting integrity certificates to be placed only on gazetted officers. (Paragraph 22.)

(19) Discontinuance of the requirement to report, with reasons, to superior authority the cases of withholding of integrity certificates to gazetted officers and members of the Upper Subordinate Staff. (Paragraph 22.)

(20) Persons failing to get integrity certificate to continue to be stopped at the efficiency-bar, or suffer stoppage of ordinary increment, or remain unconfirmed if they are probationers, until their integrity is certified again. Successive withholding of two integrity certificates to continue to lead to reference of the case to the Administrative Tribunal. (Paragraph 22.)

21) Superior officers to keep a general watch over the standard of living of their subordinates, and to withhold integrity certificates in those cases in which there is evidence that they live beyond their means for which they cannot offer a satisfactory explanation. (Paragraph 22.)

(22) Attention of officers to be drawn afresh to the orders regarding the grant of integrity certificates, with the direction that such certificates should be granted carefully after attaching due weight to reputation, and that Government expects them to act vigorously and perseveringly in the eradication of corruption. (Paragraph 22.)

(23) Framing of a general rule to place efficiency-bars on all time-scales of pay at five-yearly intervals. (Paragraph 23.)

(24) Re-examination of the present criteria for crossing efficiency-bars in different service rules, with a view to determine their adequacy and officers responsible for giving certificates of fitness for crossing of efficiency-bars to be required to perform their duty in this respect with conscientious care. (Paragraph 23.)

(25) Re-examination of the forms of annual report with a view to determine whether the present forms with prescribed headings are adequate, and where forms with headings are not used, or where no forms are used, consideration of the practicability of introducing forms with prescribed headings. (Paragraph 24.)

(26) Adoption of merit as the sole principle of promotion, and limitation of the field of eligibility for promotions by prescribing a minimum standing in service as one of the conditions of promotion. (Paragraph 25.)

(27) Exclusion of 'withholding of promotion' as a penalty from clause (ii) of Rule 49 of the C. C. A. Rules. (Paragraph 25.)

(28) Periodical meetings of Heads of Departments to discuss special merits of their officers who are likely to do better in other departments. (Paragraph 26.)

2. For the purpose of implementing the recommendations referred to in items (1), (3), (4), (5), (6) (partly), (7) (partly), (8), (9) and (27) of paragraph above, necessary changes have been made in the C. C. A. Rules, *vide* notification no. O-227/II-B—1953, dated January 30, 1953, a copy of which is given in Annexure I to this G. O. Corresponding changes have also been made in the Punishment and Appeal Rules for the Subordinate Services, *vide* notification nos. O-228/II-B—1953 and O-229/II-B—1953, dated January 30, 1953, copies of which are also given in this Annexure I.

3. The recommendation of the Committee mentioned under item (10) has been similarly implemented by the promulgation of a general rule, *vide* notification no. O-230/II-B—1953, dated January 30, 1953, a copy of which is given in Annexure II to this G. O.

As regards the recommendation of the Committee mentioned under item (23) of paragraph I of this G. O., necessary action in this behalf is being taken by Government separately in the Finance Department.

4. For the implementation of the other recommendations of the Committee, namely those mentioned under items (2), (7), (11), (12), (13), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (24), (25), (26), and (27), of paragraph 2 of this G. O. the orders passed by Government have been detailed in Annexure III to this G. O.

5. Action on the remaining recommendations of the Committee, namely those mentioned under items (14), (15), and (28) of paragraph I of this letter is being taken by Government separately, and further necessary orders in this behalf will be issued in due course.

6. Government attach the highest importance to the necessity of maintaining clean and efficient public services in the State, which are a *sine qua non* of progressive administration. The various recommendations made by the Committee and accepted by Government are designed to secure this end. The instructions issued in pursuance of these recommendations should, therefore, receive your most careful attention, and no effort should be spared in complying with them.

Yours faithfully,

B. N. JHA,
Chief Secretary.

No. O-305 (1)/IIB—1952

Copy forwarded for information and necessary action to all departments of the Secretariat.

The attention of the Finance Department is particularly invited to paragraph 3 of the foregoing G. O.

By order,
B. N. JHA,
Chief Secretary.

———

ANNEXURE I

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

APPOINTMENT (B) DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. O-227/II-B—1953, Dated January 30, 1953

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to direct that the following further amendments shall be made in the Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules in their application to the Government servants under his rule making control:

Amendments

(1) The following amendments shall be made in rule 49:

(*a*) in clause (ii), the words 'or promotion' shall be *omitted*

(*b*) in clauses (vi) and (vii), for the word 'Crown', the word 'State' shall be substituted.

(2) The following shall be added as new rules 49-A and 49-B :

49-A. A government servant against whose conduct an inquiry is contemplated, or is proceeding, may be placed under suspension pending the conclusion of the inquiry in the discretion of the appointing authority :

Provided that in the case of any government servant or class of government servants not belonging to a State service, the appointing an authority may delegate its power under this rule to the next lower authority.

N. B. —As a rule, suspension should not be resorted to unless the allegations against the Government servant are so serious that, in the event of their being established, they may ordinarily be expected to warrant his dismissal, removal or reduction. Suspension, where deemed necessary, should, as far as possible, immediately precede the framing of charges and their communication to the government servant charged.

49-B. Where, in the case of a government servant placed under suspension, as provided hereinbefore, the inquiry into his conduct results in his dismissal or removal from service, the order of dismissal or removal shall take effect from the date on which the suspension had come into effect. In other cases in which the inquiry does not result in the remoal or dismissal of the government servant concerned, his suspensiov will be deemed to have been covered under clause (v) of Rule 49.

(3) *For* rule 55 the following shall be substituted—

Without prejudice to the provisions of the Public Servants Inquiries Act, 1850, no order (other than an order based on facts which had led to his conviction in a criminal court or by a court martial) or dismissal, removal or reduction in rank (which includes reduction to a lower post or time-scale, or to a lower stage in a time-scale but excludes the reversion to a lower post of a person who is officiating in a higher post) shall be passed on a person who is a member of a Civil Service or holds a Civil post under the State unless he has been informed in writing of the grounds on which it is proposed to take action and has been afforded an edequate opportunity of defending himself. The grounds on which it is proposed to take action shall be reduced in the form of a definite charge or charges which shall be communicated to the person charged and which shall be so clear and precise as to give sufficient indication to the charged government servant of the facts and circumstances against him. He shall be required, within a reasonable time, to put in a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person. If he so desires, or if the authority concerned so directs, an oral inquiry shall be held in respect of such of the allegations as are not admitted. At that inquiry such oral evidence will be heard as the inquiring officer considers necessary. The person charged shall be entitled to cross-examine the witnesses, to give evidence in person and to have such witnesses called as he may wish, provided that the officer conducting the inquiry may for sufficient reason to be recorded in writing refuse to call a witness. The proceedings shall contain a sufficient record of the evidence and statement of the findings and the grounds thereof. The officer conducting the inquiry may also, separately from these proceedings, make his own recommendation regarding the punishment to be imposed on the charged government servant.

(2) This rule shall not apply where the person concerned has absconded or where it is for other reasons impracticable to communicate with him. All or any of the provisions of the rule may for sufficient reasons to be recorded in writing be waived, where there is difficulty in observing exactly the requirements of the rule and those requirements can in the opinion of the inquiring officer be waived without injustice to the person charged.

(3) This rule shall also not apply where it is proposed to terminate the employment of a probationer whether during or at the end of the period of probation, or to dismiss, remove or reduce in rank a temporary government servant, of any specific fault or on account of his unsuitability for the service. In such cases, the probationer or temporary government servant concerned shall be apprised of the grounds of such proposal given an opportunity to show cause against the action to be taken against him, and his explanation in this behalf, if any, shall be duly considered before orders are passed by the competent authority.

(4) The following shall be *added* as new rules 55-A and 55-B:

55-A. After the inquiry against a government servant has been completed, and after the punishing authority has arrived at provisional conclusions in regard to the penalty to be imposed, the government servant charged shall, if the penalty proposed is dismissal, removal or reduction, be supplied with a copy of the proceedings prepared under rule 55 excluding the recommendations, if any, in regard to punishment, made by the officer conducting the inquiry and asked to show cause by a particular date, which affords him reasonable time, why the proposed penalty should not be imposed on him:

Provided that, if for sufficient reasons, the punishing authority disagrees with any part or whole of the proceedings prepared under rule 55, the point or points of such disagreement, together with a brief statement of the grounds thereof, shall also be communicated to the government servant charged along with the copy of the proceedings under rule 55.

55-B (*a*). Whenever the punishing authority is satisfied that good and sufficient reasons exist for adopting such a course it may impose the penalty of—

(i) censure, or

(ii) stoppage at an efficiency-bar:

Provided that it shall not be necessary to frame formal charges against the government servant concerned or to call for his explanation.

(B) In all cases where a punishing authority imposes the penalty of—

(i) withholding increments in the time-scale at stages where there is no efficiency-bar, or

(ii) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government by negligence or breach of orders,

formal proceedings embodying a statement of the offence or fault, the explanation of the person concerned, and the reasons for the punishment shall be recorded:

Provided that it shall not be necessary to record such proceedings in cases where a government servant's increment in the time-scale of his pay at any stage other than an efficiency-bar, is stopped due to his integrity remaining uncertified.

(5) *For* clause (*a*) of rule 56 the following shall be substituted—

(*a*) imposing upon him any of the following penalties specified in rule 49:

(i) Reduction to a lower post or time-scale, or to a lower stage in a time-scale;

(ii) Removal from the service of the State which does not disqualify from future employment, and

(iii) Dismissal from the service of the State which ordinarily disqualifies from future employment:

Provided that in the case of the other penalties specified in rule 49 the absence of a right of appeal shall not debar the punished government servant from making a representation against the imposition of any one of these penalties to the authority, if any, next higher to the punishing authority.

By order,
B. N. JHA,
Chief Secretary.

No. O-228/II-B—1953, dated January 30, 1953

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to direct that the following further amendments shall be made in the rules published with notification no. 2067/II—264, dated August 3, 1952, as subsequently amended from time to time:

Amendments

(1) In rule 1—

(*a*) the words "or promotion" shall be omitted from clause (ii),

(*b*) in clauses (vi) and (vii), for the word 'Crown', the word 'State' shall be substituted.

(2) The following shall be added as a new rule I-A:

"I-A. A government servant against whose conduct an inquiry is contemplated, or is proceeding, may be placed under suspension pending the conclusion of the inquiry in the discretion of the appointing authority:

Provided that in the case of any government servant or class of government servants, not belonging to a State service, the appointing authority may delegate its power under this rule to the next lower authority.

N.B.—As a rule, suspension should not be resorted to unless the allegations against the government servant are so serious that, in the event of their being established, they may ordinarily be expected to warrant his dismissal, removal or reduction. Suspension, where deemed necessary, should, as far as possible, immediately precede the framing of charges and their communication to the government servant charged.

(3) The following shall be added as a new rule I-B:

"I-B. Where, in the case of a government servant placed under suspension, as provided hereinbefore, the inquiry into his conduct results in his dismissal or removal from service, the order of dismissal or removal shall take effect from the date on which the suspension had come into effect. In other cases in which the inquiry does not result in the removal or dismissal of the government servant concerned, his suspension will be deemed to have been covered under clause (v) of Rule 1."

(4) In rule 5—

(*a*) In clause (i) for the proviso the following shall be substituted—

The procedure laid down in rule 55 of the Civil Services (Classification, Control and Appeal Rules), as amended by notification no. O-227/II-B—1953, dated January 30, 1953, shall be followed, before any of the punishments mentioned in that rule are imposed."

(*b*) Clauses (ii), (iii) and (iv) shall be *omitted*.

(5) The following shall be added as a new rule 5-A:

"5-A. After the inquiry against a government servant has been completed, and after the punishing authority has arrived at provisional conclusions in regard to the penalty to be imposed, the government servant charged shall, if the penalty proposed is dismissal, removal or reduction, be supplied with a copy of the proceedings prepared in accordance with the procedure laid down under rule 55 of the Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, excluding the recommendations, if any, in regard to punishment, made by the officer conducting the inquiry, and asked to show cause by a particular date, which affords him reasonable time, why the proposed penalty should not be imposed on him:

Provided that, if for sufficient reasons, the punishing authority disagrees with any part or whole of the proceedings prepared as aforesaid, the point or points of such disagreement, together with a brief statement of the grounds thereof, shall also be communicated to the government servant charged along with the copy of the proceedings.

(6) The following shall be added as a new rule 5-B:

5-B (*a*). Wherever the punishing authority is satisfied that good and sufficient reasons exist for adopting such a course, it may impose the penalty of—

(i) censure, or

(ii) stoppage at an efficiency-bar:

Provided that it shall not be necessary to frame formal charges against the government servant concerned or to call for his explanation.

(*b*) In all cases where a punishing authority imposes the penalty of--

(i) withholding increments in the time-scale at stages where there is no efficiency-bar, or

(ii) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government by negligence or breach of orders,

formal proceedings embodying a statement of the offence or fault, the explanation of the person concerned, and the reasons for the punishment shall be recorded :

Provided that it shall not necessary to record such proceedings in cases where a government servant's increment in the time-scale of his pay, at any stage other than an efficiency-bar is stopped due to his integrity remaining uncertified.

By order,
B. N. JHA,
Chief Secretary.

No. O-229/II-B—1953, dated January 30, 1953.

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to direct that the following further amendment shall be made in the rules published with notification no. 2028/II-B—264, dated August 3, 1952 as subsequently amended from time to time:

Amendment

For rule 1, the following shall be substituted:

"Every member of a subordinate service against whom an order inflicting any of the following penalties is imposed shall be entitled to appeal as hereinafter provided:

(i) reduction to a lower post or time-scale, or to a lower stage in a time-scale ;

(ii) removal from the service of the State which does not disqualify from future employment, and

(iii) dismissal from the service of the State which ordinarily disqualifies from future employment:

Provided that in the case of the other penalties specified in rule 1 of the rules notified with notification no. 2627/II—264, dated August 3, 1952, as amended by notification no. O-228/II-B—1953, dated January 30,1953, the absence of a right of appeal shall not debar the punished government servant from making a representation against the imposition of any one of these penalties to the authority, if any, next higher to the punishing authority."

By order,
B. N. JHA,
Chief Secretary.

ANNEXURE II

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
APPOINTMENT (B) DEPARTMENT
NOTIFICATION

No. 230/II-B—1953, dated January 30, 1953

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of U. P. is pleased to make the following general rule regulating the termination of services of temporary government servants :

(i) Notwithstanding anything to the contrary in any existing rules and orders on the subject, the services of a government servant in temporary service shall be liable to termination at any time by notice in writing given either by the government servant to the appointing authority, or by the appointing authority to the government servant.

(2) The period of such notice shall be one month given either by the appointing authority to the government servant, or by the government servant to the appointing authority, provided that in the case of notice by the appointing authority, the latter may substitute for the whole or part of this period of notice, pay in lieu thereof; provided further that it shall be open to the appointing authority to relieve a government servant without any notice or accept notice for a shorter period, without requiring the government servant to pay any penalty in lieu of notice.

(3) This rule shall take immediate effect and shall apply to all persons who are appointed hereafter in a civil post in connection with the affairs of Uttar Pradesh and who are under the rule-making control of the Governor, but who do not hold a lien on any permanent government post.

(4) In this rule, "temporary service" means officiating and substantive service in a temporary post, and officiating service in a permanent post, under the U. P. Government.

(5) Nothing in this rule shall apply to:

(*a*) government servants engaged on contract;

(*b*) government servants not in whole-time employment;

(*c*) government servants paid out of contingencies, and

(*d*) persons employed in work-charged establishments.

By order,
B. N. JHA,
Chief Secretary.

ANNEXURE III

EXECUTIVE INSTRUCTIONS ON CERTAIN RECOMMENDATIONS CONTAINED IN PART I OF THE REPORT OF THE DISCIPLINARY PROCEEDINGS INQUIRY COMMITTEE

CHAPTER I

STANDARD FORM FOR PROCEEDINGS UNDER RULE 55 OF THE *C. C. A.* RULES

Disciplinary Proceedings have so far suffered from three main defects *viz.*, (1) want of precision in framing charges (2) incomplete compliance with the provisions of rule 55 of the C.C.A. Rules, and (3) absence of indication of evidence. The Disciplinary Proceedings Inquiry Committee have recommended in paragraph 12 of part I of their Report that if a standard form for proceedings under the aforesaid Rule 55 is prescribed,

providing for specific details it will go a long way to eliminate these defects. Accordingly, the Governor has approved the form given below, which should be used in future in all such cases:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Form of charge to be used in Disciplinary Proceedings

[*N.B.*—(i) The charge sheet should be given to the person concerned and his signature should be taken on a copy of the charge-sheet. If that is not possible, it should be served by registered post.

(ii) Each charge should be drawn up precisely and clearly, care being taken to avoid vagueness.]

OFFICE OF THE

Dated 195 .

To

(Full name and designation of the government servant charged.)

You are hereby charged as follows:

(1) that you* on (or about) (or between ..... and .....date) and thereby committed a breach of rule †

or, disregarded order.....

or, were guilty of failure to discharge your duty or, etc, etc.

Evidence which it is proposed to consider in support of the charge:

(i) ‡

(ii) ‡

(iii) ‡

(2) that you* etc.

(3) that you* etc.

(to be repeated as many times as there are charges)

---

*State the act or omission by the Government servant with us much precision as possible.

†If the act or omission can be related to any specific rule or order it should be shown here, if not a general statement like "were thereby guilty of 'negligence','dishonesty' dereliction of duty' ", etc., should be substituted.

‡It is not necessary that the evidence should be set out in detail. It is enough to specify the different pieces of evidence which it is proposed to take into account against the government servant charged e.g., statement of so and so, or letter or report of so and so, dated such and such. Care should be taken, however, to see that the evidence cited is exhaustive, as no further piece of evidence can be considered against the government servant charged later on, unless he is given fresh notice of it and also an opportunity to meet it.

You are hereby required on or before.....195 to put in a written statement of your defence in reply to each of the charges. You are warned that if no such statement is received from you by the under signed within the time allowed, it will be presumed that you have none to furnish, and orders will be passed in your case accordingly.

You are further rqeuired simultaneously to inform the undersigned in writing whether you desire to be heard in person and, in case you wish to examine or cross-examine any witnesses, to submit along with your written statement their names and addresses together with a brief indication of the evidence which each such witness will be expected to give.

(Signature and Designation of the Inquiring Officer).

(For and on behalf of**)

**Give here the designation of the competent punishing authority, in case it is other than the Inquiring Authority.

CHAPTER II

SUSPENSION PENDING INQUIRY

The new rule 49-A of the C.C. A. Rules, given on pages 1 and 2 of Annexure I, provides that the appointing authority may in his discretion place under suspension a government servant against whose conduct an inquiry is contemplated or is proceeding. The proviso to the rule contemplates the delegation of this power of suspension by the appointing authority to the next lower authority in the case of a government servant or class of government servants not belonging to a State service. The Disciplinary Proceedings Inquiry Committee have recommended in paragraph 15 of Part I of their Report that the particular authority to which such power may be delegated may be examined with reference to the various classes of government servants in different departments. The Governor has accordingly directed that the administrative departments of Government should immediately undertake this exmination in connexion with the government servants with whom they are conncerned, and take final decisions without delay.

CHAPTER III

TEMPORARY GOVERNMENT SERVANTS

For all temporary personnel to be employed in future, the terms of employment will be as given in the new general rule published with Government notification no. O-230/II-B—1953 dated January 30, 1953, (Annexure II). This should be carefully noted by all appointing authorities for compliance. As regards existing temporary personnel, the Governer has accepted the recommendation made in paragraph 16 of Part 1 of the Report of be Disciplinary Proceedings Inquiry Committee

that their position should be brought into line with that of the similar personnel to be employed in future, by formally terminating their appointments at the end of their present term, and offering to such of them whom it is proposed to re-employ similar conditions as the others, and accordingly, a notice in the form given below should be served by the appointing authority concerned on each such employee whom it is desired to re-employ:

NOTICE

The temporary appointment which you, Sri ———————————————, a temporary employee, occupying the office of a ———————————in the———————————— Department, are holding, will terminate on————————when the current sanction for the post is due to expire. You can be re-employed in this post in the event of its being sanctioned beyond that date, on the terms of employment for temporary government servants which are now in force *vide* notification no. O-230/II-B—1953, dated January 30, 1953, a copy of which is printed on the reverse. It is not intended that the formal termination of your present appointment should have any other consequences of a break in service. You are hereby requested to intimate to the undersigned by————————positively whether you are prepared to be re-employed from————————, on the said terms.

Appointing Authority.

N.B.—The Superintendent, Printing and Stationery, U. P. has been directed to print and stock copies of the notice and indents for the required number may be placed on him.

CHAPTER IV

Delays in Disciplinary Proceedings

Delays in Disciplinary proceedings are wasteful of time and money. They are also unfair to the delinquent government servant and lead to administrative inefficiency. The Governor has accepted the recommendations of the Disciplinary Proceedings Inquiry Commitee in this behalf, as contained in paragraph 17 of part I of their Report, and has been pleased to direct that the following instructions should be followed in future:

1. Disciplinary proceedings are most often preceded by an investigation of an informal character, and there is a tendency for the investigation stage to be protracted without any difinite target by which the investigation should be brought to a close. To guard against any such tendency, the immediate superior officer, on whom rests the responsibility for initiating formal proceedings, should in all cases decide at the earliest possible moment whether investigation is likely to be so complicated as to require a special investigating agency either of the police or of the department itself, and should, throughout the investigation, keep a close watch on its progress to ensure that no undue delay occurs at this stage.

2. When the investigation (if any) has been completed, and it has been decided to undertake formal disciplinary proceedings, the following time schedule should be observed as closely as possible in dealing with big and complicated cases :

(*a*) The charge or charges should be handed over to the charged officer within 15 days from the date to taking the decision to start formal proceedings. (At the same time a dicision should be taken whether the officer should be placed under suspension pending inquiry).

(*b*) The charged government servant's written statement of defence should ordinarily be required to be submitted within a period of a fortnight and in no case should a period of more than a month be allowed for the purpose.

(*c*) The inquiry, including oral examination of the witnesses, should be completed within a month of the submission of the written statement.

(*d*) The report of the inquiring officer, where he is not himself the punishing authority, should be submitted as expeditiously as possible and ordinarily within a fortnight of the closing of the inquiry.

(*e*) When the punishing authority is different from the inquiring officer, the punishing authority should pass final orders without delay. The following time-schedule is suggested for various stages to be gone through before the passing of the final orders :—

(1) Calling upon the government servant concerned to show cause against the proposed punishment where necessary: one week from the date of the receipt of the inquiring officer's report.

(2) Time to be allowed to the government servant to show cause: a fortnight to month according to the nature of the case.

(3) Final order :

(i) Where reference to the Public Service Commission is necessary: six weeks from the date of the receipt of the final explanation of the government servant.

(ii) Where no such reference is necessary a fortnight from the date of the receipt of the final explanation of the government servant concerned.

CHAPTER V

GOVERNMENT SERVANTS' CONDUCT RULES

In paragraph 21 of Part I of their Report, the Disciplinary Proceedings Inquiry Committee have drawn attention to the fact that government servants are not as mindful of the provisions of the Government Servants'

conduct Rules as they used to be in the past, although steps were taken in 1948 to supply to individual gazetted officers copies of these Rules in order to make them better aware of the specific provisions of these Rules and to ensure their proper observance by the subordinates under their charge. The Governor agrees with the observation of the Committee, and has accordingly ordered that all gazetted officers in the State should acquire full knowledge of the provisions of these Rules. (Copies of the Rules can be had for this purpose from the Superintendent, Printing and Stationery, U. P., Allahabad.) In particular,t he attention of all government servants is invited to rules 3 and 4, relating respectively to public demonstrations in honour of government servants and presentation of trowels etc., at ceremonial functions which should be strict y enforced, and they are warned that the attending of parties held in violation of these rules amounts to a breach of the rules.

CHAPTER VI

INTEGRITY AND REPUTATION OF GOVERNMENT SERVANTS.

The good reputation of the public services is not merely an asset to the members thereof, but, in a democratic state is the *sine qua non* of progressive administration. It is not enough that public servants should act to the best of their judgment with honesty and efficiencey; but, what is equally, if not more, important, it is essential that they should also secure public confidence and esteem through a reputation for scrupulous integrity in the discharge of their duties. It dose not make the task of the administration either smooth or pleasent if it is faced with sharply critical public opinion which, irrespective of the merits of the criticism offered tends continually to question the *bona fides* of government servants.

2. It is recognized that reputation, as such, is an amorphous matter which does not necessarily bear a correct relation to a man's intrinsic qualities, and consequently does not provide an unfailing criterion for an adequate appraisal of merit. It would not be fair and just to any one to judge him on the basis of his reputation alone which can be easily acquired and as easily dropped. In the case of government servants, such a procedure would tend to be one-sided and demoralising. Nevertheless, the good or bad repute of government servants is a matter which should be kept constantly in view. If not by itself, certainly in conjuction with other known circumstances relating to their work and conduct, such reputation affords valuable guidance in determining their worth.

3. Accordingly, existing instructions on the subject already provide that integrity certificates, based on reputation, should form an integral part of the annual confidential reports on the work and conduct of government servants. The Governor after reviewing these instructions in the light of the recommendations contained in paragraph 22 of Part I of the Report of the Disciplinary Proceedings Inquiry Committee is pleased to issue the following further instructions regarding Integrity certificates and reputation of government servants.

4. As Government expects the Heads of Departments and Principal Heads of Offices to act vigorously and perseveringly for the eradication of corruption, they should refresh their knowledge of the various G. Os. relating to the grant of integrity certificates, particularly G. O. nc. 2327/ II-B-69—1948, dated July 24, 1948, which has been reproduced at the end of this chapter. The grant of integrity certificates should be one of their important functions to which sufficient thought should be given and which should be discharged with great care. There should be no disposition to deal with it in a casual or mechanical fashion, It has been noticed that in the past integrity certificates have been given as a matter of routine to almost all subordinates including persons whose reputation, was doubtful or unworthy. If proper weight is attached to reputation there are bound to be a number of cases in which the annual integrity certificates should be withheld. The prescribed form of the integrity certificate makes it impossible for the reporting officer to give the certificate if the reputation of the government servant concerned regarding integrity is bad. In future, therefore, superior officers should attach due and proper weight to the reputation of their subordinates when deciding about the grant or withholding of their integrity certificates.

5. The G. O. of July 24, 1948, referred to in the previous paragraph applies only to gazetted officers and government servants belonging to the upper subordinate or equivalent services. The form of integrity certificate prescribed in this G. O. is appropriate to these classes of government servants, and should continue to be used as far as they are concerned. It should, however, be clearly understood that annual integrity certificates are no less essential in the case of even other class of government servants. As a means of securing the integrity of government servants, the government had accepted the recommendations of the Anti-Corruption Committee of 1938 that annual integrity certificates should be given by the superior officers to all classes and groups of government servants in receipt of a monthly salary of Rs.30 or more. The form for such a cretificate then prescribed was:

> "Certified that nothing has come to my knowledge which casts any reflection on the integrity of .....".

Annual integrity certificates in this form should continue to be given to all government servants who draw a monthly salary of Rs.30 or more, and who are not covered by the G. O. mentioned above.

6. Sub-paragraphs (2) and (3) of paragraph 2 of the aforesaid G. O. lay down the procedure which should be followed before the withholding of integrity certificates becomes possible or effective. While the procedure laid down in paragraph 2 (2) for inquiring into allegaticns touching the integrity of government servants is suitable, and should be retained, the further procedure laid down in paragraph 2(3) of the G. O. has tended sometimes to deter officers from withholding integrity certificates even where such a course was necessary. The stipulation that cases of withholding of integrity certificats should be reported for confirmation to the next higher authority is, therefore, withdrawn, and the instructions contained in paragraph 2(3) of the G. O. should accordingly be treated as cancelled, leaving the superior officer free to exercise his judgment and discretion in the matter of withholding of the certificate where he considers it necessary. Where, however, integrity certificates are duly withheld, the consequences of stoppage at an

efficiency-bar, the stoppage of annual or other ordinary increments, or the nonconfirmation of probationer until the integrity certificate is secured again, shall continue to follow. Likewise, cases where the integrity certificate is withheld on two successive occasions shall continue to be referred to the Administrative Tribunal in accordance with the rules prescribed for that purpose.

7. There are cases in which sometimes government servants are found living beyond their means. Superior officers should keep a general watch over the standard of living of their subordinates, and wherever evidence is forthcoming that a particular subordinate lives beyond his means, he should be asked to explain how he is in a position to do so. Unless the superior officer is satisfied with the explanation, he should withold the integrity certificate of the subordinate concerned.

8. The responsibility for granting integrity certificates, which should be scrupulously discharged, should, in no case, be placed on a government servant who does not hold a gazetted rank. In order further to secure that there is no capriciousness involved in the withholding of such integrity certificates, the government servant concerned shall have the right to make representation to the next higher authority, whenever the former's integrity certificate is withheld.

Copy of G. O. no. 2327/II-B-69—1948, dated July 24, 1948, from the Chief Secretary to Government, U. P., Appointment (B) Department, Lucknow, to all Heads of Departments and All Principal Heads of Offices, U. P.

I AM directed to address you on the subject of grant of integrity certificates. Government have noticed that the present position in regard to the grant of these certificates to Government servants is unsatisfactory. This is due in a large measure perhaps to a lack of clear appreciation among certifying authorities about the precise significance of these integrity certificates and also about their own responsibility in the matter of granting or withholding these certificates. Government are of opinion that the granting or withholding of integrity certificates should be an important aid in the drive against rooting out corruption from the services. Actually it has been found that these certificates are granted in quite a large number of cases where they should not be granted. Government have noticed that the instances in which integrity certificates have been withheld are proportionately very much smaller as compared to the large number of cases in which, in recent years, Government servants have been even notorious for lack of integrity.

2. With a view to ensuring that integrity certificates are granted only in cases where there is no doubt about the integrity of the officer concerned and also to indicate the consequences which would ensue in cases where integrity certificates are withheld on reasonable grounds, I am to convey the following instructions and orders:

(1) The form in which the integrity certificate is to be recorded will be as follows:

> "Nothing has come to my knowledge which casts any reflection on the integrity of.....His general reputation for honesty is good and I certify his integrity."

(2) All certifying officers should give the most careful attention to the grant or withholding of these certificates and treat it as a serious and important matter. No certificates should be given unless the certifying officer is satified without reservation about the integrity of the officer concerned. To enable certifying officers to discharge their responsibilities the following suggestions are made:

(*a*) In respect of each subordinate officer of gazetted rank and belonging to the upper subordinate service in whose case an integrity certificate is to be recorded, the certifying officer should keep a secret record in which he should note down from time to time any facts or circumstances which come to his knowledge touching the integrity of the subordinate.

(*b*) On each such occasion the certifying officer should exercise his judgment as to whether the facts or circumstances which have come to his notice amount to either.

(i) a definite fact susceptible of formal proof, or

(ii) a mere vague allegation not susceptible of formal proof but still creating doubt or suspicion.

In the former case he should make a proper inquiry in the latter case he should face the subordinate with the allegations or circumstances which have come to his notice.

(*c*) If the subordinate clears up his position the matter need not be pursued further and a note should be made to the effect that the subordinate concerned was able to clear his position. If on the other hand his explanation is not considered satisfactory and yet the point is not one on which the certifying officer thinks that proof would be available, he should utilize this as a fact or circumstance which came to his knowledge and the effect of which would create doubt about the integrity of the officer concerned which would justify him in withholding the integrity certificate.

(3) All cases in which a certifying officer withholds the grant of integrity certificate to any officer of gazetted rank or belonging to an upper subordinate service subordinate to him should be reported to the next authority. In making this report the certifying officers should furnish comments or the facts or circumstances due to which the certificate was withheld and should also send the explanation of the subordinate officer given to him at the time when the fact or circumstance was brought to his notice and he was asked to explain. The authority to which this reference is made should scrutinize the report and if necessary give the officer concerned an opportunity of giving a further explanation but no elaborate inquiry is to be undertaken. At the end of this scrutiny one of the following certificates will have to be recorded:

(*a*) I have satisfied myself that.....the certifying officer has in my opinion on reasonable grounds withheld the integrity certificate to .....

(*b*) I have satisfied myself that..... the certifying officer has withheld the integrity certificate to..... on insufficient ground.

(4) If on two occasions the withholding of the integrity certificate is supported by the next higher authority to whom this withholding has to be reported, as having been withheld on reasonable grounds, the case of the particular officer concerned should be referred to the Administrative Tribunal in accordance with the rules prescribed for that purpose.

(5) In all cases where the integrity certificate is withheld the officer concerned would be stopped at the efficiency-bar or would have his annual increments stopped until he gets the integrity certificate again. If the officer is a probationer, he will not be confirmed until his integrity has been certified. Where, however, the withholding of the integrity certificate is not supported by the next higher authority the mere withholding of the certificate will not in itself lead to the stoppage of increments but it will lead to stoppage at the efficiency-bar or to non-confirmation.

3. Every Departmental Head and every officer in charge of responsible work or having a fair number of subordinates under him would be required to give a declaration to the effect that he has made every possible effort to check corruption among his subordinates. Departmental Heads and other Senior Officers would also be required to express their opinion about every officer of gazetted rank under them in regard to his reputation and integrity. This report would be made annually and figures should be given to show the percentage of subordinates who are, in the opinion of the officer making the report, of undoubted integrity. The report should also describe the steps taken by the officer concerned to improve the situation. It should contain detailed comments about cases in which integrity certificates have been withheld and about the steps taken consequent on the withholding of such certificates.

4. After a consideration of the report mentioned in paragraph 3 above Government would, in cases of the Heads of Departments and certain other senior officers give a certificate in the following form:

"Certified that.....has made determined effort to check corruption among his subordinates."

This certificate will be granted only to officers who have exerted themselves fully to improve the tone of the subordinates under their charge and who have taken vigorous steps to ensure that these revised instructions about the grant of integrity certificates are followed.

CHAPTER VII

EFFICIENCY-BARS

Time-scales of pay have now been adopted for almost all classes of government servants, and to ensure that persons serving on time-scale of pay do not fall below certain standards, most of these time-scales have efficiency-bars at suitable intervals. Efficiency-bars act as a corrective for government servants who may have any tendency to become slack, and the different service rules provide for more or less similar criteria regarding the crossing of these efficiency-bars.

2. The main purpose of these rules is to require that for crossing an efficiency-bar, the government servant's record should be satisfactory both from the point of view of ability and integrity.

3. The Governor has considered the recommendations contained in pargraph 23 of Part I of the Report of the Disciplinary Proceedings Inquiry Committee, and necessary action to issue a general rule as recommended by the Committee, making the efficiency-bars quinquennial, is being taken separately.

4. As regards the question whether the criteria for crossing the efficiency-bars need to be tightened, the Governor considers that while it is not possible to lay down uniform criteria which will be applicable to all services alike, it is necessary to re-examine the present criteria as laid down in the different service rules, as early as possible, with a view to determine whether they can be made more adequate and precise, and that officers responsible for giving the certificate of fitness to cross the efficiency-bars should give such certificates with conscientious care. Necessary action in this behalf should be taken in respect of all services and posts under the rule-making control of the Governor in the departments concerned, and final decisions arrived at without any delay.

CHAPTER VIII

Forms of annual confidential reports on Government servants

Annual confidential reports are at present recorded on the work and conduct of nearly all government servants and such reports provide a very effective means of ensuring that government servants work with efficiency. The importance of recording these reports with due care is self-evident.

2. The present practice is that for administrative services such as the Provincial Civil Service (Executive Branch) and the Provincial Police Service, a general form of report without specific headings is prescribed, and separate Government Orders have been issued giving a general indication of the points which the report should cover. For technical services, the annual reports require answers to a number of specified questions relating to specific qualifications, and conclude with a general appreciation of the work and conduct of the officers concerned on the lines indicated for officers of the administrative services.

3. The Governor has considered the recommendation on this subject contained in paragraph 24 of Part I of the Report of the Disciplinary Proceedings Inquiry Committee, and is of the opinion that in view of the variety of duties preformed by government servants in the different services, it is not practicable to recommend a common series of headings which should be made applicable to all annual reports on officers of all departments. It is necessary, however, that in departments which already have forms of anunal reports with prescribed headings, the form should be re-examined in order to determine whether they can be made more explicit and precise; and in departments, where forms with headings are at present not used or where no forms, whatever, are at present laid down, the practicability of introducing suitable forms with prescribed headings should be examined. This order also covers the cases of the Provincial Civil Service (Excutive Branch) and the Provincial Police Service, for which forms without headings have been in use so far: The Departments concerned with the various services and posts in the State should take action accordingly, and issue necessary orders as early as possible.

CHAPTER IX

MERIT AS THE SOLE BASIS OF PROMOTIONS

The Governor has given careful consideration to the recommendation contained in paragraph 25 of Part I of the Report of the Disciplinary Proceedings Inquiry Committee, on the Subject of promotions of Government servants. Broadly speaking promotions of Government servants have hitherto been regulated by two principles. For promotions within a service, seniority has been accepted as the determining factor, except in cases where an officer is found to be unfit for the promotion. On the other hand, in promotions from one service to another, the principle followed has been to select the most meritorious officer from the entire field of eligibility, that is to say from among the whole group of officers above a certain standing. The diffrent service rules accordingly provide for promotions in conformity with one or the other of these principles. In actual working, however, it has been found that considerations of merit have not received the inportance that they deserved even where they are laid down as a guiding criterion, and promotions have followed generally the line of seniority, if only because it is more conveniently determined. This emphasis on seniority has tended to cramp effort among government servants, who have been encouraged to think that they have only to wait for their turn to earn promotions. Such attitude puts a premium on slackness and complacency. For improving the morale, efficiency and integrity of government servants, it seems necessary that the deserving government servants should be promoted on considerations of merit alone. Such uniform basis of promotion would not mean that a senior man who is otherwise competent in all respects should be superseded on account of his seniority, but would only emphasize that in judging his competence and fitness for promotion, his merit, and not seniority, should be the first criterion.

This view has also been influenced by the consideration that after the abolition of the graded system of pay and its replacement by time-scales in the various services under the State, promotions within the same service, which used to be governe by the principle of seniority subject to fitness, have really lost their significance. Service on a time-scale already attach sufficient weight to seniority in the shape of periodical increments for which considerations of merit are not important. Outside the time-scale, however, there is no reason why there should be rigid adherence to the principle of seniority. In any case, promotions outside the time-scale would generally be of the kind for which, even previously, the principle of rigorous selection on the basis of merit from the entire field of eligibility had been laiddown.

3. Impressive as these considerations for giving due weight to merit are, they are all the more important in a democratic state, which, if it is to progress on sound lines, must not only equip itself with a properly recruited body of public servants, but also take care, at all times, to ensure that standards of efficiency and integrity among the services are maintained at the highest. The Governor has, therefore, decided that in determining the fitness of a person for promotion, his merit alone shall be taken into consideration irrespective of seniority. In order, however, that experience may not be altogether discounted, the field of eligibility for promotions should be determined by providing for prescribed minimum standing in the service as one of the conditions for promotions,

6. As a corollary to this decision, the posts to which promotions are made hereafter will all assume the character of selection posts. Non-promotion will accordingly be the result of a comparison of the merit of a number of persons. If a person is passed over, it need not be so far any fault of his, but because there is some one else better entitled to the promotion. As such, the person who is not promoted cannot be said to have been punished, and there can be no appeal. Accordingly, 'withholding of promotions', mentioned as apenalty in Rule 49 of the C. C. A. Rules, has become redundant and, therefore, the words 'or promotion' have been deleted from clause (ii) of the said rule and from the corresponding rule for the Subordinate Services—*vide* Annexure I.

The introduction of merit as the sole criterion for promotion makes it necessary for appointing authorities to use the utmost care in exercising their judgment in regard to selections for higher posts. The Governor has been further pleased to order that in those cases in which the slections made by the appointing authorities require reference to the Commission, the Commission should invariably be supplied with the character rolls and personal records of all those officers who are passed over, along with the main and supplementary lists of the officers nominated for promotion, in order to enable the Commission to advise whether any suitable senior officer has been left out without adequate justification. Necessary action to delete clause (*d*) of regulation 4 of the Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations is being taken separately.

8. The various departments of Government should take immediate steps to bring their service rules into line with the above orders regarding the criterion for promotion.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३८ पर)

उत्तर में बताई गई तालिका

क्र० सं	मिल का नाम	भुगतान की हुई ईख के कर की रक़म		
		रुपया	आ०	पा०
१	सरदारनगर	२,१२,८९६	७	०
२	पिपराइच	१,४३,५९३	८	०
३	धुधली	३,८५,०३३	७	०
४	सिसवा	२,८६,२०९	८	०
५	फरेन्दा	३,५१,३८९	६	३
६	बैतालपुर	२,६८,१०२	२	६
७	देवरिया	१,९१,३७१	२	६
८	कप्तानगंज	१,८३,९३४	६	६
९	खड्डा	२,१३,८४६	१३	३
१०	छितौनी	३,७१,७७६	१	०
११	रामकोला (पंजाबी)	३,२५,५७१	३	०
१२	पडरौना	४,४३,५९५	३	६
१३	कठकुइयां	२,१३,९४२	२	०
१४	सिवराही	४,३७,४३४	६	९
१५	नवाबगंज	७,०५,३८०	१४	०
१६	खलीलाबाद	२,५६,५६९	१४	३
१७	मुंडेरा	२,९३,८३५	४	३
१८	बस्ती	४,०३,१११	८	६
१९	वाल्टरगंज	३,३२,५१५	४	०
२०	बभनान	४,०२,०२८	१२	६
२१	जरवलरोड	५,९९,४६८	११	६
२२	असौधा	४,१२,१७०	१४	६
२३	बुढ़वल	१४,५००	९	९
२४	बलरामपुर	४,०३,८३७	१४	०
२५	तुलसीपुर	३,३३,७००	६	६
२६	गौरीबजार	३,३५,२९०	२	०
२७	प्रतापपुर	३,५७,०७०	२	०
२८	छाइगंज	१,८९,९२०	१०	६
२९	हरदोई	५,४३,६९६	१३	६
३०	बाराबंकी	४,२३,२५०	११	६
३१	बिसवां	१,८४,६०६	१५	९
३२	महोली	५,३८,२२७	४	९
३३	हरगांव	९,१४,८५४	४	३
३४	गोला	१६,४८,१५२	४	६
३५	ऐरा	४,४७,१६०	०	९

क्र० सं०	मिल का नाम	भुगतान की हुई ईख के कर की रकम		
३६	रोजा	२,१०,०००	०	०
३७	बरेली	५०,१२५	०	०
३८	बहेरी	३,३७,१३७	४	३
३९	पीलीभीत	१,५१,०९४	०	०
४०	बिजनौर	१,६२,१०२	७	६
४१	धामपुर	१,८०,२८५	१	६
४२	दोईवाला	१,६३,८०८	१	३
४३	अमरोहा	१,००,०००	०	०
४४	बिलारी	४,७५,०००	०	०
४५	रज़ा व बुलंद	६,१७,६४७	२	३
४६	सिवहारा	४,८०,६२८	३	०
४७	सहारनपुर	९३,९१७	७	०
४८	देवबन्द	८,३८,४१०	८	६
४९	लक्सर	९,७१,४२३	६	०
५०	मंसूरपुर	२,०९,७२०	६	६
५१	रोहानाकलां	२,५०,०००	०	०
५२	शामली	२,३६,४६०	४	०
५३	सखौती टांडा	४,०४,४२२	३	६
५४	डौराला	१०,४०,१६४	१	०
५५	मलियाना	३,९३,१५२	४	९
५६	मोहिद्दीनपुर	२८,७६१	९	९
५७	मोदीगनर	८,०८,२०१	८	०
५८	सिंभीली	६,८५,१८२	२	०
५९	मवाना	८,८६,१०७	१४	०
६०	नेवली	६,८४,५६६	१०	३
६१	काशीपुर	१,९७,६८७	४	९
	कुल योग	२,४२,७६,३६६	९	६

उत्तर प्रदेश विधान

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २०० एल० ए०—१९५३—८५० ।